खण्ड-216, अंक-1
सोमवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(29 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, २९ अगस्त, १९६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–१६
प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रार्थना	१७
पीलीभीत जिले में बसाये गये बंगाली विस्थापितों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	१७
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी ..	१७
मनकापुर के दारोगा द्वारा श्री नागेश्वर को पिटवाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१८–२०
एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में श्री दीनदयालु शास्त्री द्वारा त्याग-पत्र दन से रिक्त स्थान पर एक सदस्य का चुनाव	२१
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	२१–२४
दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० (विचार जारी) ..	२५–४०
दि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० (विचारोपरांत पारित)	४०–६४
दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० (विचारोपरांत पारित)	६४–६६
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (प्रस्ताव पर कि विधयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि उसे प्रवर समित को निर्दिष्ट किया जाय—विवाद जारी)	६६–७८
नत्थी	७९

मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०

उपस्थित सदस्य	८१–८५
प्रश्नोत्तर	८५–१०१
श्री जंगबहादुर वर्मा को ६ मास की सजा होने के सम्बन्ध में सूचना ..	१०१
श्री लतीफ को अवैधानिक रूप से जेल में बन्द रखने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	१०१–१०२
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी ..	१०२
कुछ पश्चिमी जिलों में अधिकतम वर्षा होने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०२–१०५
वर्षा से हुई क्षति पर विवादार्थ समय-निर्धारण की मांग	१०५–१०६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय—विवाद जारी)	१०६–१५०
नत्थी	१५१–१५३

बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०

उपस्थित सदस्य	१५५–१५९
प्रश्नोत्तर	१५९–१७७
इटावा जिले में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१७८–१७९
वर्षा से हुई क्षति पर विवादार्थ समय-निर्धारण	१७९–१८०
५ सितम्बर, १९६० को बारावफात होने के कारण सदन की बैठक न करने के लिये प्रार्थना	१८०–१८१
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी) ..	१८१–२२७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० पर भाषणों के लिये समय-निर्धारण	२२७–२२८
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी) ..	२२८–२३४
नत्थी	२३५–२३६

बृहस्पतिवार, १ सितम्बर, १९६०

उपस्थित सदस्य	२३७–२४१
प्रश्नोत्तर	२४१–२५९
श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मुरादाबाद, का हाई स्कूल का परीक्षाफल न घोषित करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग ..	२६०
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी ..	२६०–२६१
कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	२६१
एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम भुवाली, की परामर्शदात्री समिति में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम	२६१
बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन तथा आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम	२६१–२६२
सदन के भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी की सूचना	२६२
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी) ..	२६२–३१६
नत्थी	३१७

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३१९–३२३
प्रश्नोत्तर	३२३–३४५
सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र	३४५
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों की स्वीकृति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	३४६
उत्तर प्रदेश में खाद (अमोनियम सल्फेट) के तस्कर व्यापार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	३४६
व्यवस्था का प्रश्न	३४७
पीलीभीत जिले में बसाये गये बंगाली विस्थापितों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३४७–३५१
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी) ..	३५१–४०१
नत्थियां	४०२–४११

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०

उपस्थित सदस्य	४१३–४१७
प्रश्नोत्तर	४१७–४३१
हिन्दी में साहित्य देने की मांग	४३१
फूलबाग, कानपुर में हो रही केन्द्रीय सरकारी प्रदर्शनी में भीड़ द्वारा उपद्रव व मारपीट करने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४३१–४३४
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के संबंध में जानकारी ..	४३५
श्री लतीफ को अवैधानिक रूप से जेल में बन्द रखने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४३५–४४०
प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१२ में संशोधन की सूचना	४४०
१९६०–६१ के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	४४०
१९५६–५७ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगें (प्रस्तुत की गईं) ..	४४०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद विधेयक, १९६० (विचार जारी)	४४०–४९१
नत्थी	४९२–४९४

बुधवार, ७ सितम्बर, १९६०

उपस्थित सदस्य	४९५–४९९
प्रश्नोत्तर	४९९–५१९
महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें (मेज पर रखी गयीं)	५१९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५१९
अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, की मीटिंग में पुलिस के अनधिकृत प्रवेश से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	५१९–५२०
परीक्षा केन्द्र, गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मुरादाबाद, का हाई स्कूल का परीक्षा-फल न घोषित करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५२०–५२४
सदन का आगामी कार्यक्रम	५२४–५२५
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी)	५२५–५७७
सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ जेल में बुरा व्यवहार किये जाने से संबंधित २५ अगस्त, १९६० के प्रश्न ५४ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	५७७–५८४
नत्थियां	५८५–५९०

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९६०

उपस्थित सदस्य	५९१–५९५
प्रश्नोत्तर	५९५–६१७
हिन्दी में साहित्य न मिलने पर आपत्ति	६१७
नियम समिति की सिफारिश (मेज पर रखी गई)	६१७
विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा रेलवे के रियायती टिकटों को गलत ढंग से लेने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग ..	६१८
एक दुखद घटना पर विचार व्यक्त करने की प्रार्थना	६१८–६१९
उत्तर प्रदेश में खाद (अमोनियम सल्फेट) के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१९–६२३
एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम	६२३
सदन का भावी कार्यक्रम	६२३–६२५
१४ अप्रैल, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १–२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	६२५–६२६
अनुपूरक अनुदानों को प्राक्कलन समिति के समक्ष भेजने का प्रस्ताव (उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी गई)	६२६–६२७
१९६०–६१ के प्रथम पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद	६२७–६४८
१९६०–६१ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––भू-राजस्व (स्वीकृत)	६४८–६५१
अनुदान संख्या ५––लेखा शीर्षक १०––वन (स्वीकृत)	६५१–६५६
अनुदान संख्या ६––लेखा शीर्षक ११––निबन्धन (स्वीकृत) ..	६५६–६५९
अनुदान संख्या ११––लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८––सिंचाई स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	६५९–६६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक १८—अभियन्त्रण संस्थायें (स्वीकृत) ..	६६१–६६४
अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	६६४–६६७
अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २८—जेल (स्वीकृत)	६६७
अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३७—शिक्षा (स्वीकृत)	६६७
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा (स्वीकृत) ..	६६८
अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	६६८
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि विकास, अभियन्त्रण और शोध (स्वीकृत)	६६८
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुपालन (स्वीकृत) ..	६६८
अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग (स्वीकृत)	६६८
अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—श्रम (स्वीकृत)	६६८
अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय (स्वीकृत)	६६८
अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	६६९
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५६—लेखन-सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	६६९
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत) ..	६६९
अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण (स्वीकृत) ..	६६९
अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ६३–क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख—सामुदायिक विकास परियोजनाएं (स्वीकृत)	६७०
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी-कार्यों का निर्माण (स्वीकृत)	६७०
विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा सदन त्याग	६७०
१९६०–६१ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास (स्वीकृत) ..	६७१
अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	६७१
अनुदान संख्या ५२—लेखा शीर्षक ८२—कृषि अभियन्त्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	६७१
अनुदान संख्या ५५—लेखा शीर्षक ८—ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	६७१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० (विचारोपरान्त पारित)	६७८
नत्थियां	६७९–६८१

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६८३--६८७
प्रश्नोत्तर	६८७--७०९
जिलाधीश बहराइच द्वारा अपने बंगले की चहारदीवारी में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा देने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	७०९
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी ..	७१०
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	७१०
आगरा विश्वविद्यालय सिनेट तथा इन्टरमीडिएट बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	७१०
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (सदन ने विचार करने के लिये अनुमति नहीं दी)	७१०--७११
१९५६-५७ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान--अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	७११
अनुदान संख्या १५--न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	७१२--७१३
अनुदान संख्या १६--जेल (स्वीकृत)	७१३
अनुदान संख्या १७--पुलिस (स्वीकृत)	७१३--७१४
अनुदान संख्या ३१--यातायात के साधनों का सुधार (स्वीकृत)	७१४
अनुदान संख्या ३६--बुढ़ौती भत्ते और पेंशन (स्वीकृत)	७१४
अनुदान संख्या ३९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	७१५
अनुदान संख्या ५०--राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत)	७१५--७१९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० (विचारोपरान्त पारित)	७१९--७२५
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी) ..	७२५--७७०
सरकार द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय जांच आयोग के निर्देश के पदों की सीमा बढ़ाने एवं व्यक्तियों में कोई परिवर्तन करने के विचार से संबंधित २६ अगस्त, १९६० के प्रश्न २ पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	७७०--७७७
नत्थियां	७७८--७८६

शनिवार, १० सितम्बर, १९६०

उपस्थित सदस्य	७८७--७९०
प्रश्नोत्तर	७९१--७९५
सैदपुर तहसील में लेखपालों की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले की नकल (मेज पर रखी गयी)	७९५

विषय	पृष्ठ-संख्या
लालपुरा, जिला इटावा, में छोटे दारोगा द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग ..	७९६
जिलाधीश बहराइच द्वारा अपने बंगले की चहारदीवारी में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा देने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७९६–८०१
प्रदेश में अतिवृष्टि तथा बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में चर्चा	८०१–८५७

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बूरूगुल रामकृष्ण राव

मंत्रि-परिषद्

मंत्री (जो मंत्रि मंडल के सदस्य हैं)

डाक्टर संपूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हुकुम सिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, स्वास्थ्य, राजस्व, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार–एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा वन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मंत्री।

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस) पी० एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक कर तथा परिवहन मंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, खाद्य मंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण मंत्री।

उपमंत्री

श्री सुल्तान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य, श्रम उपमंत्री।

श्री राम स्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य, गृह उपमंत्री।

श्री वीरेन्द्र वर्मा, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जय राम वर्मा, विधान-सभा सदस्य, स्वायत्त शासन उपमंत्री।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, विधान-सभा-सदस्य, राजस्व उपमंत्री।

श्री दीनदयालु शास्त्री, विधान-सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

श्री काली चरण अग्रवाल, विधान-सभा-सदस्य, कृषि उपमंत्री।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, विधान-सभा-सदस्य, संसदीय विषयक उपमंत्री।

श्री महावीर सिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री राजबिहारी सिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्म सिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

गृह मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य ।

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मदत्त वैद्य, विधान-सभा-सदस्य ।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री महमूद अली खां, विधान-सभा-सदस्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवर सिंह, श्री	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	नजीबाबाद
४	अनन्त राम वर्मा, श्री	अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	कोपागन्ज
७	अब्दुस्समी, श्री	बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	जसवन्तनगर
९	अमरनाथ, श्री	महराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	मिर्जापुर
११	अमोला देवी, श्रीमती	अठेहा
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	उतरौला
१४	अलीजहीर, श्री सैयद	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर	मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	भोजपुर
१७	अवधेश प्रतापसिंह, श्री	बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
२०	आत्मा राम गोविन्द खेर, श्री	झांसी
२१	आत्मा राम पांडेय, श्री	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्मशाह, श्री	राबर्ट्स गंज
२४	आर्थर सी ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित (आंग्ल-भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	सगरी
२६	इरतिजा हुसैन, श्री	सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	कानपुर शहर
३२	उल्फतसिंह, श्री	सहसवान
३३	ऊदल, श्री	कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	कानपुर शहर
३५	ओंकारनाथ, श्री	चुनार
३६	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद
३७	कमरुद्दीन, श्री	बुधना
३८	कमलकुमारी गोइन्दी, कुमारी	करछना
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली
४०	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले ..	पुवायां

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४१	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु ..	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४२	कल्याण राय, श्री	शाहाबाद
४३	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	महाइच
४४	कालीचरण अग्रवाल, श्री	कासगंज
४५	काशी प्रसाद पांडेय, श्री	कादीपुर
४६	किशनसिंह, श्री	ठाकुरद्वारा
४७	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
४८	केशभान राय, श्री	मगहर
४९	केशव पांडेय, श्री	मनीराम
५०	केशवराम, श्री	बिसौली
५१	कैलाश कुमार सिंह, श्री	इस्लामनगर
५२	कैलाशनारायण गुप्त, श्री	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५३	कैलाशप्रकाश, श्री	मेरठ शहर
५४	कैलाशवती, श्रीमती	छिल्लुपुर
५५	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	छिबरामऊ
५६	कृपाशंकर, श्री	नगर
५७	खजान सिंह, चौधरी	उन्नाव
५८	खमानी सिंह, डाक्टर	मुरादाबाद (देहात)
५९	खयालीराम, श्री	मोहनलालगंज
६०	खुशीराम, श्री	पिथौरागढ़
६१	खूबसिंह, श्री	धामपुर
६२	गंगाधर जाटव, श्री	एतमादपुर
६३	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)	गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	एटा
६५	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	रसरा
६६	गजेन्द्रसिंह, श्री	बिधुना
६७	गज्जू राम, श्री	ललितपुर
६८	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	बांसगांव
६९	गनेशचन्द्र काछी, श्री	भोगांव
७०	गनेशीलाल, चौधरी, श्री	बिसवां
७१	गयाप्रसाद, श्री	कुंडा
७२	गयाबख्शसिंह, श्री	इसौली
७३	गयर अली खां, श्री	भवन
७४	गरीबदास, श्री	कालपी
७५	गिरधारी लाल, श्री	धामपुर
७६	गुप्तारसिंह, श्री	सरेनी
७७	गुरुप्रसाद सिंह, श्री	मुसाफिरखाना
७८	गुलाबसिंह, श्री	मसूरी
७९	गेंदादेवी, श्रीमती	खलीलाबाद
८०	गेन्दासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
८१	गोकुलप्रसाद, श्री	चायल

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री ..	.. नारायनी
८३	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री ..	.. जालौन
८४	गोविन्द सहाय, श्री ..	.. नगीना
८५	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री ..	.. अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री ..	.. फर्रेदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री ..	.. बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री ..	बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री ..	.. भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री ..	.. मोहम्मदाबाद गोहाना
९१	चन्द्रदेव, श्री	.. पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	.. निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री ..	.. पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री ..	.. बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती ..	.. बिजनौर
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री ..	.. बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री ..	.. कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री ..	.. कौंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री ..	.. जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री	.. खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री ..	.. आगरा शहर
१०२	छेदीलाल, श्री ..	.. श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री ..	.. सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री ..	.. हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री ..	.. बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री ..	.. मोहम्मदी
१०७	जगदीशप्रसाद, श्री ..	.. हसनपुर
१०८	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री ..	.. बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी ..	.. सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री ..	.. धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री ..	.. फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री ..	.. करवी
११३	जगमोहनसिंह नेगी, श्री ..	.. गंगा सलाण
११४	जगबीरसिंह, श्री ..	.. अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री ..	.. गुम्भौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर ..	.. हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री ..	.. घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री ..	.. टांडा
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद ..	.. बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री ..	.. मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर ..	.. कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री	.. किशनपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
१२३	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	..	कांठ
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य	..	..	गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री ..	..	..	मेजा
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	..	..	घाटमपुर
१२७	झारखंडेराय, श्री	..	..	घोसी
१२८	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	..	..	खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	..	..	बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	..	..	सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री ..	..	..	राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	..	सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	..	..	मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	..	..	सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	..	..	लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	..	..	गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकीसिंह, श्री	..	..	लखनऊ शहर, (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	..	..	कानपुर-शहर
१३९	दर्शनसिंह, श्री	..	..	शाहजहांपुर
१४०	दशरथप्रसाद, श्री	..	..	बलरामपुर
१४१	दाताराम, चौधरी	..	..	नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री	..	..	बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	..	अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	..	रुड़की
१४५	दीपंकर, आचार्य	..	..	बड़ौत
१४६	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री		..	देवरिया (दक्षिण)
१४७	दुर्योधन, श्री ..	..	..	महाराजगंज
१४८	देवकीनन्दन विभव, श्री	..	..	आगरा शहर
१४९	देवदत्तसिंह, श्री		..	टप्पल
१५०	देवनारायण भारतीय, श्री	..	..	जमौर
१५१	देवराम, श्री	..	..	शादियाबाद
१५२	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	..	..	अकबरपुर
१५३	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	..	मुजफ्फरनगर
१५४	द्वारिकाप्रसाद, श्री	..	..	कन्नौज
१५५	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	..	..	फरेन्दा (पूर्व)
१५६	धनीराम, श्री ..	..	..	लालगंज
१५७	धनुधारी पांडेय, श्री	..	..	महुली
१५८	धरमपालसिंह, श्री	..	..	तुलसीपुर
१५९	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	..	सिरौली
१६०	धर्मसिंह, श्री ..	..	..	अनूपशहर
१६१	नत्थाराम रावत, श्री	..	..	बाराबंकी
१६२	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	..	..	फरीदपुर
१६३	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	..	करहल
१६४	नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री	..	..	हाथरस

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
१६५	नन्दराम, श्री ..	..	..	कुण्डा
१६६	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	..	..	चान्दपुर
१६७	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	..	..	केदारनाथ
१६८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	..	पिथौरागढ़
१६९	नवलकिशोर, श्री	..	..	आंवला
१७०	नागेश्वरप्रसाद, श्री	..	..	गरवारा
१७१	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	..	नैनीताल
१७२	नारायणदास पासी, श्री	..	..	बीकापुर (पश्चिम)
१७३	निरंजनसिंह, श्री	..	..	पीलीभीत
१७४	नेकराम शर्मा, श्री	..	..	अतरौली
१७५	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री		..	अतरौलिया
१७६	पब्बरराम, श्री ..	..	..	गाजीपुर
१७७	परमानन्द सिनहा, श्री	..	..	सोरांव (पश्चिम)
१७८	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	..	..	पुर्वा
१७९	पहलवानसिंह, चौधरी	..	..	बांदा
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	..	मेरठ (छावनी)
१८१	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	..	..	फखरपुर
१८२	प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री	..	..	लहरपुर
१८३	प्रतापसिंह, श्री	..	..	टनकपुर
१८४	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	..	..	लम्भुआ
१८५	प्रभुदयाल, श्री	..	..	बानगंगा (पश्चिम)
१८६	फतेहसिंह राणा, श्री	..	..	सरधना
१८७	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	..	श्रीनगर
१८८	बलदेवसिंह, श्री	..	..	महदेवा
१८९	बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	..	शाहाबाद
१९०	बसन्तलाल, श्री	..	..	लखनऊ (छावनी)
१९१	बादामसिंह, श्री	..	..	शिकारपुर
१९२	बाबूराम, श्री ..	..	..	भोजीपुरा
१९३	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	..	प्रतापगंज
१९४	बालकराम, श्री	..	..	तिलहर
१९५	बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री	..	..	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९६	बिन्दुमती दास, श्रीमती	..	..	प्रतापगंज
१९७	बिशम्बरसिंह, श्री	..	..	हस्तिनापुर
१९८	बिहारीलाल, श्री	..	..	बीसलपुर
१९९	बुलाकीराम, श्री	..	..	हरदोई
२००	बुद्धीलाल, श्री	..	..	नानपारा
२०१	बुद्धीसिंह, श्री ..	..	..	बहजोई
२०२	बृजबासी लाल, श्री	..	..	बीकापुर (पश्चिम)
२०३	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	..	..	बिल्हौर
२०४	बेचनराम, श्री	..	..	ज्ञानपुर
२०५	बेचनराम गुप्त, श्री	..	..	ज्ञानपुर
२०६	बेनीबाई, श्रीमती	..	..	मऊ

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२०७	बैजूराम, श्री	.. सिवौली
२०८	ब्रजनारायण तिवारी, श्री ..	.. पडरौना (पश्चिम)
२०९	ब्रजभूषणशरण, श्री ..	.. देहराडून
२१०	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ..	.. कानपुर शहर
२११	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ..	.. भावापुर
२१२	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री ..	.. प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१३	भगवतीसिंह विशारद, श्री ..	.. भगवन्तनगर
२१४	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री ..	.. बाराबंकी
२१५	भजनलाल, श्री ..	.. औरैया
२१६	भीखालाल, श्री ..	.. हसनगंज
२१७	भीमसेन, श्री ..	.. खुर्जा
२१८	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री ..	.. इटावा
२१९	भूपकिशोर, श्री ..	.. अलीगंज
२२०	मंगलाप्रसाद, श्री ..	.. मेजा
२२१	मंजूरुलनबी, श्री ..	.. सहारनपुर
२२२	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री ..	.. नौगढ़
२२३	मदनगोपाल वैद्य, श्री ..	.. अमीसन
२२४	मदन पांडेय, श्री ..	.. तिलपुर
२२५	मदनमोहन, श्री ..	.. फैजाबाद
२२६	मन्नालाल, श्री ..	.. मोहम्मदी
२२७	मलखानसिंह, श्री ..	.. सिकन्दराराव
२२८	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. मैनपुरी
२२९	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	.. दसना
२३०	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	.. स्वार टांडा
२३१	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	.. मुजफ्फराबाद
२३२	महमूद हुसैन खां, श्री ..	.. सम्भल
२३३	महादेवप्रसाद, श्री ..	.. फखरपुर
२३४	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री ..	.. केवाई
२३५	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री ..	.. लखनऊ शहर (मध्य)
२३६	महीलाल, श्री	.. बिलारी
२३७	महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा ..	.. बाह
२३८	महेशसिंह, श्री ..	.. हरदोई
२३९	माताप्रसाद, श्री ..	.. शाहगंज
२४०	मान्धातासिंह, श्री ..	.. कोपाचीत
२४१	मिहरबानसिंह, श्री ..	.. भरथना
२४२	मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री ..	.. रुदौली
२४३	मुक्तिनाथ राय, श्री ..	.. गोपालपुर
२४४	मुजफ्फर हसन, श्री ..	.. चायल
२४५	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री ..	.. बीसल
२४६	मुबारक अली खां, श्री ..	.. उसेहट
२४७	मुरलीधर, श्री ..	.. माहुल
२४८	मुरलीधर कुरील, श्री ..	.. बिल्हौर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२४९	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री ..	.. सफीपुर
२५०	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री ..	.. वाराणसी शहर
२५१	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री ..	.. देवरिया (उत्तर)
२५२	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ..	.. बानगंगा (पूर्व)
२५३	मुहम्मद हुसैन, श्री ..	.. बरेली छावनी
२५४	मूलचन्द, श्री	.. मिसरिख
२५५	मोतीलाल अवस्थी, श्री ..	.. कानपुर (देहात)
२५६	मोहनलाल, श्री ..	.. महोबा
२५७	मोहनलाल गौतम, श्री	.. कोयल
२५८	मोहलाल वर्मा, श्री ..	.. संडीला
२५९	मोहनसिंह मेहता, श्री ..	.. दानपुर
२६०	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री ..	.. रायबरेली (उत्तर)
२६१	यमुनासिंह, श्री ..	.. शादियाबाद
२६२	यशपालसिंह, श्री ..	.. देवबन्द
२६३	यशोदादेवी, श्रीमती ..	.. बांसगांव
२६४	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा ..	.. जौनपुर
२६५	रऊफ जाफरी, श्री ..	.. मछलीशहर
२६६	रघुनाथसहाय यादव, श्री ..	.. किशनपुर
२६७	रघुरन तेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब ..	सादुल्ला नगर
२६८	रघुराजसिंह चौधरी, श्री ..	.. बुलन्दशहर
२६९	रघुवीरराम, श्री ..	.. मोहम्मदाबाद
२७०	रघुवीरसिंह, श्री (एटा) ..	.. जलेसर
२७१	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ) ..	.. बागपत
२७२	रणबहादुरसिंह, श्री ..	.. हरैया (पश्चिम)
२७३	रमाकांतसिंह, श्री	.. अमेठी
२७४	रमानाथ खैरा, श्री ..	.. ललितपुर
२७५	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ..	.. बरसाथी
२७६	राघवराम पांडेय, श्री ..	.. गोंडा (दक्षिण)
२७७	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री ..	.. मनकापुर
२७८	राजकिशोर राव, श्री ..	.. इकौना
२७९	राजदेव उपाध्याय, श्री ..	.. सिधुवाजोबना
२८०	राजनारायण, श्री ..	.. कसवरसरकारी
२८१	राजनारायणसिंह, श्री ..	.. अहरौरा
२८२	राजबिहारीसिंह, श्री ..	.. कसंवर राजा
२८३	राजाराम शर्मा, श्री ..	.. खलीलाबाद
२८४	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती ..	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८५	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती ..	.. मौदहा
२८६	राजेन्द्रदत्त, श्री ..	.. शिकारपुर
२८७	राजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. गोंडवा
२८८	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री ..	.. शमसाबाद
२८९	रामअधार तिवारी, श्री ..	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
२९०	रामअभिलाख, श्री	..	..	गोंडा (उत्तर)
२९१	रामकिंकर, श्री	..	..	पट्टी
२९२	रामकुमार वैद्य, श्री	..	..	अमरोहा
२९३	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	..	कंतित
२९४	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	..	..	फर्रुखाबाद
२९५	रामचन्द्र उनियाल, श्री	..	..	रवाईं
२९६	रामचन्द्र विकल, श्री	..	..	सिकन्दराबाद
२९७	रामजीलाल सहायक, श्री	..	..	सरधना
२९८	रामजो सहाय, श्री	..	..	सिलहट
२९९	रामदास आर्य, श्री	..	..	जानसठ
३००	रामदीन, श्री	..	..	करहल
३०१	रामदुलारे मिश्र, श्री	..	..	अकबरपुर
३०२	रामनाथ पाठक, श्री	..	..	दोआबा
३०३	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	..	सुरहुरपुर
३०४	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	..	मलीहाबाद
३०५	रामप्रसाद, श्री	..	..	सलोन
३०६	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	..	कोयल
३०७	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	..	लैंसडाउन
३०८	रामबली, श्री	..	..	मुसाफिरखाना
३०९	राममूर्ति, श्री	..	..	बहेड़ी
३१०	रामरतनप्रसाद, श्री	..	..	रसरा
३११	रामरतोदेवी, श्रीमती	..	..	अकबरपुर
३१२	रामलक्षण तिवारी, श्री	..	..	बांसडीह (पूर्व)
३१३	रामलखन, श्री (वाराणसी)		..	चन्दौली
३१४	रामलखन मिश्र, श्री	..	..	बांसी (पश्चिम)
३१५	रामलखनसिंह, श्री	..	..	रारी
३१६	रामलाल, श्री	..	..	नगर
३१७	रामवचन यादव, श्री	..	..	माहुल
३१८	रामशरण यादव, श्री	..	..	मोहनलाल गंज
३१९	रामसनेही भारतीय, श्री	..	..	बबेरू
३२०	रामसमझावन, श्री	..	..	केराकत
३२१	रामसिंह चौहान वैद्य, श्री	..	..	एतमादपुर
३२२	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	..	नत्थूपुर
३२३	रामसूरतप्रसाद, श्री	..	..	पिपराइच
३२४	रामस्वरूप यादव, श्री	..	..	जसराना
३२५	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	..	भोगनीपुर
३२६	रामहेतसिंह, श्री	..	..	छाता
३२७	रामायणराय, श्री	..	..	पडरौना (दक्षिण)
३२८	रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	..	बछरावां
३२९	रुकनुद्दीन खां, श्री	..	..	कोंहडौर
३३०	रूपसिंह, श्री ..	..	..	खेरा बजेहरा
३३१	लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री	..	..	काशीपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
३३२	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	..	गरोठा
३३३	लक्ष्मणसिंह, श्री	..	..	रानीखेत (दक्षिण)
३३४	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	..	पहाड़पुर
३३५	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	..	..	फतेहाबाद
३३६	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	..	माट
३३७	लक्ष्मीसिंह, श्री	..	..	इगलास
३३८	लायकसिंह, चौधरी	..	..	शिकोहाबाद
३३९	लालबहादुर, श्री	..	..	शिवपुर
३४०	लालबहादुर सिंह, श्री	..	..	केराकत
३४१	लुत्फ अली खां, श्री	..	..	हापुड़
३४२	लोकनाथसिंह, श्री	..	..	कटेहर
३४३	बजरंगबिहारीलाल रावत,	श्री	..	हैदरगढ़
३४४	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	..	जमानिया
३४५	वसी नकवी, श्री	..	..	रोखा
३४६	वासुदेव दीक्षित, श्री	..	..	खागा
३४७	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	..	मोदीनगर
३४८	विजयशंकरसिंह, श्री	..	..	मुहम्मदाबाद
३४९	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	..	..	शाहाबाद
३५०	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	..	..	देवप्रयाग
३५१	विशालसिंह, श्री	..	..	भिटौली
३५२	विश्रामराय, श्री	..	..	आजमगढ़
३५३	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	..	..	करांद
३५४	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	..	..	फतेहपुर-सीकरी
३५५	वीरसेन, श्री ..	..	..	हापुड़
३५६	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	..	कैराना
३५७	वीरेन्द्रशाह, राजा	..	..	कालपी
३५८	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	..	..	महोबा
३५९	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	..	घाटमपुर
३६०	शंकरलाल, श्री	..	..	कादीपुर
३६१	शकुन्तला देवी, श्रीमती		..	हरौरा
३६२	शब्बीरहसन, श्री	..	..	खजुहा
३६३	शमशुल इस्लाम, श्री	..	..	निधपुर
३६४	शम्भुदयाल, श्री	..	..	संडीला
३६५	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	..	हरद्वार
३६६	शिवगोपाल तिवारी, श्री	..	..	सफीपुर
३६७	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	..	..	सिधुवाजोबना
३६८	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)		..	खीरी
३६९	शिवमंगलसिंह, श्री	..	..	बांसडीह (पश्चिम)
३७०	शिवमूर्ति, सिंह श्री	..	..	फूलपुर
३७१	शिवराजबलीसिंह, श्री	..	..	फतेहपुर
३७२	शिवराजबहादुर, श्री	..	..	नवाबगंज
३७३	शिवराजसिंह यादव, श्री	..	..	बिसौली

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
३७४	शिवराम, श्री ..	..	..	अफजलगढ़
३७५	शिवराम पांडेय, श्री	..	..	डेरापुर
३७६	शिववचन राव, श्री	..	..	सलेमपुर (दक्षिण)
३७७	शिवशंकरसिंह, श्री	..	..	डलमऊ
३७८	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री		..	इकौना
३७९	शीतलाप्रसाद, श्री	..	..	तरबगंज
३८०	शोभनाथ, श्री	..	..	राबर्ट्सगंज
३८१	श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	..	लखनऊ (छावनी)
३८२	श्यामलाल, श्री	..	..	माट
३८३	श्यामलाल यादव, श्री	..	..	मुगलसराय
३८४	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	..	..	किथोर
३८५	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	..	..	उझानी
३८६	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	..	खंरागढ़
३८७	श्रीनाथ, श्री ..	..	..	मोहम्मदाबाद गोहाना
३८८	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	..	मथुरा
३८९	श्रीनिवास, श्री	..	..	गांगिरी
३९०	श्रीपालसिंह, कुंवर	..	..	शाहगंज
३९१	संग्रामसिंह, श्री	..	..	सोरांव (पूर्व)
३९२	सईद अहमद अन्सारी, श्री		..	ज्वालापुर
३९३	सजीवनलाल, श्री	..	..	हसनगंज
३९४	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	..	..	दादरी
३९५	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९६	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	..	सरजू
३९७	सियादुलारी, श्रीमती	..	..	करवी
४९८	सीताराम, डाक्टर	..	..	सिलहट
४९९	सीताराम शुक्ल, श्री	..	..	हरैया (पूर्व)
४००	सुक्खनलाल, श्री	..	..	हसनपुर
४०१	सुखरानी, श्रीमती	..	..	फतेहपुर
४०२	सुखरामदास, श्री	..	..	टांडा
४०३	सुखलाल, श्री ..	..	..	औरैया
४०४	सुखीराम भारतीय, श्री	..	..	फूलपुर
४०५	सुदामाप्रसाद गास्वामी, श्री	..	..	मऊ
४०६	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	..	सलोन
४०७	सुन्दरलाल, श्री	..	..	फरीदपुर
४०८	सुरथबहादुरशाह, श्री	..	..	निधासन
४०९	सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	..	हमीरपुर
४१०	सुरेंद्रसिंह, राजकुमार	..	..	पूवायां
४११	सुरेशप्रकाशसिंह, श्री	..	..	बिसवां
४१२	सुल्तानआलम खां, श्री	..	..	कायमगंज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४१३	सूरतचन्द्र रमोला, श्री ..	.. टेहरी
४१४	सूर्यबली पांडेय, श्री ..	.. हाटा
४१५	सोहनलाल धुसिया, श्री ..	.. बांसी (पूर्व)
४१६	हमीदुल्ला खां, श्री ..	.. चारदा
४१७	हरकेशबहादुर, श्री, .	.. पट्टी
४१८	हरदयालसिंह, श्री ..	.. जलालाबाद
४१९	हरदयालसिंह पिपल, श्री	.. हाथरस
४२०	हरदेवसिंह, श्री ..	.. देवबन्द
४२१	हरिदत्त कांडपाल, श्री ..	.. रानीखेत (उत्तर)
४२२	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री ..	.. दातागंज
४२३	हरिहरबख्श सिंह, श्री ..	.. पाली
४२४	हरिश्चन्द्र श्रष्ठाना, श्री ..	.. सीतापुर
४२५	हरीसिंह, श्री ..	.. कियौर
४२६	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	.. मुरादाबाद शहर
४२७	हिम्मतसिंह, श्री ..	.. डिबाई
४२८	हुकुमसिंह बिसेन, श्री ..	.. कैसरगंज
४२९	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	.. मंझनपुर
४३०	होरीलाल यादव, श्री ..	.. कन्नौज
४३१	[रिक्त] ..	.. बहराइच (दक्षिण)

संसद सदस्य

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री

त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अघमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द , श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ़ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान बैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ अगस्त, १९६०

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में गन्ना विकास मद में धन

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आंजमगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में चीनी मिलें नहीं हैं वहां के किसानों का ईख विकास का रुपया जो उनके गन्ने की कीमत से काटा गया है किस प्रकार किसानों को दिया जाता है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—कोई कमीशन किसानों के गन्ने के मूल्य से नहीं काटा जाता। अतः उसको किसानों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले का गन्ना शाहगंज, जिला जौनपुर, तथा देवरिया जिले की चीनी मिलों को दिया गया है और गन्ना विकास मद में अब तक किसी प्रकार की सहायता विकास परिषदों द्वारा नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—आजमगढ़ जिले का गन्ना शाहगंज, जिला जौनपुर, तथा देवरिया जिले की चीनी मिलों को दिया गया है। इस गन्ने पर प्राप्त कमीशन का कुछ अंश विकास परिषदों द्वारा इस क्षेत्र के विकास कार्यों पर व्यय किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहगंज मिल ने उस क्षेत्र के किसानों के गन्ने के विकास के लिये कितना रुपया दिया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—३४,००० रु० सन् १९५८-५९ में और ३६,००० रु० सन् १९५९-६० में।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया खाद या बीज की सहायता के रूप में दिया गया है या और किसी रूप में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह कमीशन के रूप में जमा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया की चीनी मिलों ने आजमगढ़ की सोसाइटीज को अब तक कितना रुपया इस मद में प्रदान किया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—२४,००० रु० सन् १९५८–५९ में और १,००,००० रु० सन् १९५९–६० में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उस धनराशि में से आज तक उस क्षेत्र में एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया है और इसके मुताल्लिक विकास परिषदों द्वारा बार-बार मांग के बावजूद भी उस क्षेत्र के लिये रुपया नहीं दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—१,०९७ रु० आजमगढ़ में खर्च हो चुका है और बकिया ८०० रु० पौधशाला के लिये और २०,००० रु० सड़क निर्माण के लिये स्वीकृत हो चुका है। कमलसागर भंडार ने अभी कोई योजना बना कर नहीं भेजी है, इसलिये उसमें विलम्ब हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री जी इस बात की जानकारी हासिल करने की कृपा करेंगे कि कमलसागर सोसाइटी ने अपनी योजना बना कर केन कमिश्नर के दफ्तर में भेज दी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यदि प्राप्त हो गयी होगी तो उसके ऊपर जल्दी ही कार्यवाही हो जायगी।

*५–६—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहगढ़ व फर्रुखाबाद में सस्ते अनाज की दूकानों पर आटा न होना

*७—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार को मालूम है कि फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में सस्ते गल्ले की दूकानों पर १ जुलाई, १९६०, के आस-पास से आटा नहीं रहा जिससे गरीब जनता को तकलीफ हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां, सही स्थिति यह है कि ८ जून, १९६० से २३ जुलाई, १९६० तक आटा विक्रय योजना वापस ले ली गई थी परन्तु इसके स्थान पर देशी गेहूं इन दूकानों से दिया जाने लगा था। अतः जनता को इस सम्बन्ध में कष्ट होने का कोई कारण न था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि जिस समय आटा बिक्री योजना वापस ली गयी उस समय कई दूकानों पर गेहूं भी नहीं था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय वहां आटा नहीं था तो जो राशन का गेहूं दिया जाता था वह खराब था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी को यह भी शिकायत मिली है कि जो राशन शाप पर गेहूं बिक रहा था वह बहुत खराब था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह कालपी का गेहूं रहा होगा, वह तो बड़ा पौष्टिक होता है।

छिबरामऊ तहसील में सीमेंट की कमी की शिकायत

*८—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में सीमेंट की इस समय इतनी कमी है कि लोगों के अधूरे मकान व कुयें बिना सीमेंट के वर्षा के फलस्वरूप बरबाद हो रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं ।

*९—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन को इस बात की जानकारी है कि तहसीलदार छिबरामऊ ने दरख्वास्त देने वालों को एक एक बोरा सीमेंट दिया है और क्या यह सीमेंट की वहां कमी का सबूत नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, वहां १,३०० बोरे दिये गये, और ५८ प्रार्थियों को औसतन २२ बोरा फी एप्लीकेंट के हिसाब से दिया गया ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के लिये कितने बोरा सीमेंट का कोटा है और छिबरामऊ तहसील के लिये उसमें से कितना दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सारे जिले का कोटा १,५०० टन फी क्वार्टर है, उसमें से एक-चौथाई प्लानिंग के कार्य के लिए दिया जाता है । यह कुल जिले का है छिबरामऊ तहसील का अलग मुकर्रर नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि छिबरामऊ तहसील में सीमेंट के वितरण का क्या तरीका है ? सीमेंट परमिट से दिया जाता है या किस तरीके से दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब से सीमेंट की थोड़ी-बहुत कमी मालूम हुई है तब से तो परमिट से मिलता है ।

*१०—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

आगरा जिले में कोल डिपो होल्डर्स

*११—**श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में कोयले के कितने डिपो होल्डर्स हैं ? उनमें से कितने स्वयं अपनी डिपो पर बैठते हैं और कितनों ने दूसरों को किराये पर उठा रक्खी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस समय आगरा जिले में कोयले के ५० डिपो होल्डर्स हैं । इनमें से ४६ स्वयं अपनी डिपो पर बैठते हैं और ४ अपने मैनेजरों द्वारा काम करते हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ डिपो होल्डर्स ने किराये के ट्रांजेक्शन को छिपाने के लिए फर्जी सरखतनामे बना रखे हैं

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने बता दिया कि कुछ ऐसे हैं जो मैनेजरों से काम करवाते हैं । बाकी ठीक ही हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न ११ श्री लक्ष्मी नारायण बंसल ने पूछा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि आगरा और प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे कोल डिपो के होल्डर्स हैं जिनके नाम लाइसेंस हैं जो न स्वयं व्यापारी हैं, न व्यापार करते हैं बल्कि उन्होंने किसी व्यापारी को दे दिया है और उस व्यापारी को मैनेजर मान कर काम करवाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब कभी ऐसी शिकायतें आती हैं, उनकी इनक्वायरी करवा कर लाइसेंस खारिज कर देते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिस समय यह लाइसेंस दिये जाते हैं उस समय शरायतनामें में ऐसी बातें नहीं होतीं कि किसी हालत में भी मैनेजर के द्वारा या पार्टनरशिप के द्वारा काम करवाएं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—करा सकते हैं, अगर अपने नौकरों से काम करवाना चाहें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनेजरों से जो प्रबन्ध करवाते हैं, उन मैनेजरों को तनख्वाह दी जाती है और अगर दी जाती है तो कितनी, या उन मैनेजरों को परमिट बेच दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी जैसे कि मैंने नाम दिये, गांधी ग्राम सेवा संघ उनमें से एक है जो मैनेजर से काम करवाते हैं । मानी हुई बात है कि ठीक तनख्वाह देते होंगे और अच्छी तरह से काम लेते होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे खयाल में आपको सूचना की जरूरत है ।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि इन सब दस कोटा होल्डर्स में से कितने पोलिटिकल सफरर हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—कहां ? आगरा में ?

श्री गौरीशंकर राय—जी हां ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार मैनेजरों का जिक्र किया है क्या शाप्स ऐंड कामर्शल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट के अधिकारियों से यह पता लगा लिया है कि यह मालिक हैं या मैनेजर हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मालिक जिसको लाइसेंस देते हैं वह होता है । इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है ?

श्री शिवप्रसाद नागर—मैंने यह पूछा कि शाप्स ऐंड कामर्शियल एस्टेंब्लिशमेंट ऐक्ट के अधिकारियों से कुछ पता लगाया है कि वे मालिक की हैसियत से बैठते हैं या नौकर हैं क्योंकि वे रजिस्टर चेक करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—इसका तो उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरे में कितने ऐसे लाइसेंस कैंसिल किये गये जिन्होंने अपने लाइसेंस दूसरों को किराये पर उठा रखे थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि उन चार व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम क्या हैं जो मैनेजर के जरिये धंधा कराते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—एक तो गांधी ग्राम सेवा संघ है, दूसरी श्रीमती प्रेमलता भाकरा हैं, तीसरे श्री लालमन वाल्मीकि हैं और चौथे श्री मंगलदेव शर्मा हैं।

*१२—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बीज बाण्डों की तसदीक में अड़चन

*१३—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि कृषि गोदाम से जो बीज किसानों को सवाई पर मिलता है उसके लिये किसानों को बीज के बाण्ड को लेखपाल से तसदीक कराना पड़ता है ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—जी हां।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि बीज के बांड को तसदीक कराने के लिये लेखपालों के यहां बहुत समय लगता है जिसके कारण बुआई में देर हो जाती है ? यदि हां, तो सरकार क्या कृषि बीज गोदामों में खसरा खतौनी रखाने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—हम इस विषय में तकावी ऐक्ट १२ से गाइड होते हैं मालगुजारी के क्लेम को वैरीफाई करने की जरूरत होती है तो वह लेखपाल ही करते हैं, यह सही है कि इसमें अक्सर देर हो जाती है लेकिन उसके लिये आदेश दिये गये हैं कि वे जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करें।

श्री गौरीराम गुप्त—खसरा खतौनी के गोदाम पर रखने में क्या दिक्कत है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि लेखपाल बगैर कुछ लिये हुये उसको तसदीक नहीं करते और उससे किसानों को दिक्कत होती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इसका उत्तरदायी केवल लेखपाल को ही क्यों कहा जाय ? बहुत से आदमी ऐसा करते होंगे, यह तो चरित्र की बात है। यह नहीं कहा जा सकता कि हर लेखपाल लेता ही है।

सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के लिये जमानत

*१४—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या खाद्य मंत्री के पास "खाद्य सलाहकार समिति" की ओर से हाल में यह सुझाव आया है कि सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने में नकद जमानत न लेकर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जमानत स्वीकार की जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य सलाहकार समिति द्वारा पारित जो प्रस्ताव है वह क्या है ? क्या वह उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—"जिला खाद्य सलाहकार समिति यह प्रस्ताव करती है कि जिले की ग्रामीण जनता आज सस्ते गल्ले की दुकान से लाभ नहीं उठा पा रही है क्योंकि २०० रुपया गल्ले का और २०० रुपया चीनी के लिये जमानत के रूप में नकद जमा करना पड़ता है। ग्रामीण जनता की आर्थिक हालत दयनीय होने से वह जमा करने में असमर्थ रहती हैं।

अतः यह समिति शासन से निवेदन करती है कि भविष्य में जमानत को नकद रुपयों के बदले दो जिम्मेदार व्यक्तियों की जमानत पर सस्ते गल्ले की दुकान की स्वीकृति दी जाय।"

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह किस जिले की खाद्य सलाहकार समिति की सिफारिश है और क्या इसी प्रकार की सिफारिश अन्य जिलों से भी आयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं, और जिलों से नहीं आयी। नैनीताल की मालूम होती है।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि प्रस्ताव कब सरकार के पास पहुंचा और कब तक इस पर अन्तिम रूप से सरकार विचार कर लेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह प्रस्ताव २४-५-६० को पास हुआ देखना पड़ेगा कि यहां कब पहुंचा। उस पर अन्य विभागों से परामर्श लेना पड़ेगा। फाइनेंस डिपार्टमेन्ट से, जुडिशियल डिपार्टमेन्ट से और तभी कुछ विचार किया जा सकेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रस्ताव आया—उसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने जवाब दिया कि विचार किया जा रहा है—जो विचार करने के बाद निर्णय होगा वह पूरे सूबे पर लागू किया जायगा या जहां से प्रस्ताव आया है वहीं पर लागू होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, यह देहाती क्षेत्रों पर लागू किया जायगा और जहां तक चीनी का सम्बन्ध है देहाती क्षेत्रों में २०० रु० के बजाय सम्भवतः ५० रुपया कर दी गई है।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुये कि स्केयरसिटी एरियाज में सस्ते गल्ले की दुकानों से अधिक लोगों को लाभ हो सके क्या मंत्री महोदय जल्दी आदेश जारी करेंगे ताकि २०० रुपये के बदले प्रतिष्ठित लोगों की जमानत ली जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं कह चुका हूं कि चीनी का तो जहां तक मुझे याद है ५० रु० कर हो दिया है। इस पर विचार कर रहे हैं कि इसमें कितना माल अन्य दुकानदारों के पास आता है और कितना खतरा है। यह सब बातें देखने की हैं।

रामपुर जिले से अनधिकृत रूप से लोहा व इस्पात बाहर भेजने की शिकायत

*१५—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास रामपुर के कतिपय नागरिकों की तारीख ११-९-५९ को भेजी गई शिकायतें, जिनमें रामपुर जिले के हेतु निर्धारित लोहे और इस्पात को अनधिकृत रूप में बाहर भेजने का उल्लेख किया गया है, आई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। ऐसी एक शिकायत रामपुर के एक नागरिक की ओर से ११-९-५९ को तो नहीं परन्तु १२-८-५९ को भेजी गई थी।

*१६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आवश्यक जांच पड़ताल के बाद यह तथ्यहीन पाई गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी बतायेंगे कि जांच किन अधिकारियों ने की और उन्होंने किस शिकायत पर क्या फाइंडिंग दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह जांच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने की और उन्होंने लोहे का जिक्र किया है। उसके बाद मालूम हुआ कि जितने भी परमिट कटे हैं वह पी० आई० एस० सी० के काटे हैं और कोई ब्लैक में नहीं गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—रामपुर जिले का जो निर्धारित कोटा है वर्ष १९५९ का, वह कितना था और कितना उसमें से रामपुर जिले में इस्तेमाल हुआ और कितना रामपुर जिले के बाहर भेजा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—बाहर भेजने से क्या मतलब है ? किसी अधिकारी द्वारा परमिट काटे जाते हैं या चोरी से माल जाता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इसमें शिकायत थी कि रामपुर जिले का कोटा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर ने खुद परमिट देकर बाहर भेज दिया है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो शिकायत की गई है वह खाली स्क्रैप आयरन की है, तो यह फ्रैब्रीकेटर्स को ही दिया जाता है जो जिले के अन्दर ही होते हैं और इसका कोटा भी कम होता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मंत्री जी बतायेंगे कि जो कोटा रामपुर के लिये दिया गया था वह रामपुर कतई नहीं पहुंचा, रामपुर में कोई इसकी डिलीवरी नहीं हुई और परमिट बाहर दे दिया गया था और बाहर ही बाहर कोटा चला गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने बता दिया कि स्क्रैप जो होते हैं वह तो रामपुर में पहुंचे, वह तो उन्होंने ले लिया । अब यह नया प्रश्न है कि वहां पहुंचा ही नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी बता दें कि कौन सी शिकायत थी जिसकी उन्होंने जांच की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—श्री कपूर ने शिकायत भेजी थी । उनको नोटिस द्वारा बुलाया भी गया लेकिन वह जिलाधीश के सामने भी नहीं पहुंचे खंडेलवाल मिल्स स्टोर्स के खिलाफ उनकी शिकायत थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—११-९-५९ को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, रामपुर, के श्री ब्रजबासी ने शिकायत भेजी थी, उसकी जांच उन्होंने करायी कि नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमारे पास कोई शिकायत उनकी नहीं आयी है । श्री कपूर चन्द गुप्ता, सदस्य नगरपालिका, रामपुर, की है ।

गोरखपुर राजकीय कृषि विद्यालय में भर्ती

*१७—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर राजकीय कृषि विद्यालय में कुल कितने छात्र इस वर्ष लिये गये ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—७३ ।

*१८—**श्री सजीवनलाल तथा श्री ऊदल**—क्या सरकार, जिस तरह से नार्मल की ट्रेनिंग के लिये जिले से ही चुनाव हो कर आते हैं, उसी तरह से इस कालेज में भी भर्ती का नियम लागू करने जा रही है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी नहीं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस तरह नार्मल का चुनाव या जे० टी० सी० का चुनाव हर जिले के इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टी डायरेक्टर के जरिये होता है और उसके लिये कोटा मुकर्रर कर दिया है तो उसी तरह का कोटा पूरी कमिश्नरी के पैमाने पर किसी विद्यालय के लिये नियुक्त किया जाय और वहां के इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स उसका चुनाव करें ?

श्री काली चरण अग्रवाल—जो नार्मल स्कूल का प्रोसीजर है उससे हमारा प्रोसीजर बेहतर है। इसलिये हम उसे तब्दील नहीं करना चाहते। हमारे यहां तीन कालेज हैं और तीनों कालेजों के साथ अलग-अलग जिले सम्बद्ध कर दिये गये हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस प्रकार का डिप्लोमा देते हैं। उनमें सरकार मदद देती है और वहां भी दाखिला होता है। सरकार का नार्मल ट्रेनिंग स्कूल होता है, प्राइवेट होता नहीं। इसलिये जिलेवार वह मांग लेती है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—गोरखपुर विश्वविद्यालय में फैकल्टी नहीं है तो क्या इस विद्यालय को गोरखपुर विश्वविद्यालय में मिलाने की कोई योजना है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं वह गोरखपुर, चिरगांव तथा बुलन्दशहर में है और जहां तक विश्वविद्यालय का प्रश्न है तो इस प्रकार को शिक्षा यूनिवर्सिटी स्टेज की नहीं है। इंटरमीडियेट विभाग में उनके कोर्स विभिन्न हैं। हम अपने स्टैन्डर्ड को मेनटेन करना चाहते हैं। इसलिये हम उन इम्तिहानों को अलग रखना चाहते हैं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि जितने विद्यार्थी इस वर्ष पढ़ने के लिये चुने गये वे सब नहीं लिये जा सके ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हमारा कोटा ७५ विद्यार्थियों का है और वे चुने भी गये। दो विद्यार्थी आये नहीं, ७३ आ गये हैं। बाकी दो भी आ जायेंगे या और ले लिये जायेंगे।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—जैसा उत्तर में बतलाया गया कि नार्मल के छात्रों के चुनने का प्रोसीजर अलग होता है तो यह कृषि स्कूल के छात्रों के चुनने का क्या प्रोसीजर है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—ऐसा होता है कि प्रवेश के हेतु तथा प्रास्पेक्ट्स के लिये पत्रों में सूचना निकलती है कि अमुक-अमुक क्वालिफिकेशंस के लड़कों का एडमिशन होगा। ८ आने का प्रास्पेक्टस देकर दरख्वास्तें मंगा लेते हैं। लगभग १,१०० दरख्वास्तें आईं। उनको लेकर एक इम्तिहान होता है। थ्योरिटिकल के हेतु ४० नम्बर दिये जाते हैं जो हमारे डेवलपमेन्ट कमिश्नर के यहां से सवाल बन कर जाते हैं। कृषि सम्बन्धी बातें होती हैं। जवाब में हां या नहीं ही हो सकते हैं। ४० नम्बर का यह पर्चा होता है। दूसरे एंडथोरेंस टेस्ट होता है जिसमें फावड़ा चलाया जाता है, निराई कराते हैं, खेती करवाते हैं। ६ मील की दौड़ डेढ़ घंटे में होती है। ३० नम्बर इसमें होते हैं। फिर ३० नम्बर का साक्षात्कार होता है। बैकवर्ड क्लास और रूरल बेकग्राउन्ड का खयाल रखा जाता है। तीनों के नम्बर जोड़ दिये जाते हैं। उसके बाद ७१ आदमी ५८ परसेंट वाले चुन लिये गये और बाकी ५७ परसेंट वाले चुने गये।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—इस विद्यालय के अन्दर कितने-कितने प्रति जिले के छात्र लिये जाते है और जो छात्र लिये गये हैं वे किस जिले से कितने कितने लिये गये ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जिलेवार तो हम लेते नहीं हैं। जो सूची हमारे पास है उसमें जिलों के नाम नहीं हैं। अगर आप चाहें तो जिलों के नाम मालूम हो सकते हैं, वैसे जिलों की सूची रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार करने वाली समिति में कृषि विद्यालय के अधिकारियों के अतिरिक्त कितने नान-आफिशियल मम्बर हैं और इस समय कौन-कौन हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—ऐसा है, श्रीमन्, कि एक गवर्निंग बाडी हुआ करती है, उसकी मीटिंग होती है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गवर्निंग बाडी का प्रेसीडेंट हुआ करता था लेकिन अब डिप्टी मिनिस्टर आफ ऐग्रीकल्चर होते हैं। लेकिन इस वर्ष जो चुनाव हुआ उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही प्रेसीडेंट थे क्योंकि उसका पीरियड सितम्बर में खत्म हो रहा है। उसके बाद दूसरा आयेगा। वह गवर्निंग बाडी क्राइटेरियन को पेश करती है कि किस प्रकार दाखिला होगा। एक ऐडहाक कमेटी होती है जो चुनाव करती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और दो नान-आफिशियल मेम्बर होते हैं, एक तो एम०एल०ए० और एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स में से लिया जाता है।

*१९-२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिये गये।]

*२१—श्रीमती शकुंतलादेवी (जिला सहारनपुर)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२२—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

श्री एच० बी० जोशी, डिप्टी डाइरेक्टर, एनीमल हस्बेंडरी, जिला मेरठ का स्थानान्तरण न होना

*२४—श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग में जिला मेरठ में ३ वर्ष की अवधि से ऊपर के कितने छोटे-बड़े अधिकारी हैं और उनका अधिक समय तक वहां रहने का क्या कारण है?

श्री कालीचरण अग्रवाल—केवल एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिये मेरठ में तीन वर्ष की अवधि से ऊपर रोकना आवश्यक समझा गया।

श्रीमन्, इसमें मैं एक सफाई करना चाहता था कि इसमें सुपरवाइजर या स्टाकमैन, इस तरह के लोग भी हैं लेकिन वे अधिकारियों की परिभाषा में नहीं आते हैं, लिहाजा उनका नाम नहीं लिया गया।

श्री बादामसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको मेरठ में कितने वर्ष हो गये हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल—एक सज्जन हैं, श्री एच० बी० जोशी, डिप्टी डायरेक्टर आफ एनिमल हस्बेंडरी, जिनको मार्च में तीन वर्ष खत्म हो गये।

श्री बादामसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त अधिकारी उसी जिले के पास के जिले के रहने वाले हैं जिससे उस जिले में उनके प्रति लोगों में असन्तोष है?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जिले के पास का होने वाले के ऊपर तो कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन अपने जिले के वह नहीं हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान जी० ओ० नं० २५१२/२-ए-१९५८, दिनांक मार्च २८,१९५८ की तरफ गया है जिसमें दिया है कि तीन वर्ष तक कौन-कौन से लोगों का तबादला नहीं होना चाहिये?

श्री कालीचरण अग्रवाल—मुझे तो उस परिपत्र का पता नहीं। अगर आप पढ़ कर सुना दें तो मैं बता सकूंगा कि इसमें क्या है।

श्री प्रतापसिंह—जो नियम का एक्सेप्शन जोशी जी के लिये किया गया है, और विभागों में जिन अधिकारियों की प्लानिंग के लिये नितान्त आवश्यकता है, क्या उनके लिये भी माननीय मंत्री जी इस रूल को रिलैक्स करेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—नियम तो ऐसा भी नहीं है कि तीन साल के बाद कोई रहेगा ही नहीं। साधारणतः ऐसा नियम है कि तीन साल से अधिक जहां तक हो नहीं रहना चाहिये।

बदायूं जिले में भट्ठों के लिये लाइसेंस

*२५—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५८-५९ और १९५९-६० में जिला बदायूं में कोयले और लकड़ी के अलग-अलग भट्ठों के लिये सप्लाई आफिसर के यहां कितने प्रार्थना-पत्र आये, उनमें से कितनों को लाइसेंस दिये गये और कितने अस्वीकृत हुये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयले के लाइसेंस देते समय, जिन लोगों को लाइसेंस दिये जाते हैं, उसमें मुख्य आधार क्या माना जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—किस स्थान पर किस चीज की आवश्यकता जनता को है, इसी को आधार मान कर दिया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में कोयले का लाइसेंस नहीं दिया गया और लकड़ी से भट्ठे चलाने के ६ लाइसेंस नहीं दिये गये, तो इनके न दिये जाने का आधार क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शायद आपने सुना नहीं। मैंने यह कहा था कि १७ में से १६ को दिया गया। एक को नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—वह कारण पूछ रहे हैं कि उसका कारण क्या था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१९५९-६० में देखने से पता चलता है कि उनकी ईंटों के लिये जो कोयला था वह दूसरी प्रोमिसेज में ले जाकर रख दिया था और बिना लाइसेंस लिये पी० डब्लू० डी० का कोयला जलाना शुरू कर दिया था। इस वजह से उसको नहीं दिया गया।

श्री देवनारायण भारतीय—जो ६ लकड़ी से काम करना चाहते थे उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—दो के लिये अस्वीकृत कर दिया और ४ के लिये विचाराधीन है। तो दो के लिये बतला दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इनमें से एक ब्रिक किल्न तीन मील के फासले पर खोलना चाहते थे जबकि वहां पर दूसरा भट्ठा था। इसलिये उसको इन्कार कर दिया गया कि वहां पर आलरेडी भट्ठा है। दूसरे के लिये भी यही कारण है कि वहां पर ईंटें उपलब्ध थीं। इसलिये आवश्यकता नहीं समझी गई।

*२६-२७—**चौधरी लायकसिंह** (जिला मैनपुरी)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

नोटः—तारांकित प्रश्न २५ श्री टीकाराम ने पूछा।

*२८—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२९—श्री ऊदल—[स्थगित किया गया ।]

*३०—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[१२ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद, के लिये साधन सहकारी समितियों की पूंजी में कटौती

*३२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद, में जिसका प्रबन्ध राजकीय प्रशासक के हाथ में है, डूबे हुये कर्ज के नाम पर नयी साधन सहकारी समितियों की पूंजी में से कटौती की जा रही है और इस कटौती के खिलाफ सरकार को कोई विरोध-पत्र भी दिया गया है ? यदि हां, तो उस विरोध-पत्र पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कोई कटौती नहीं की जा रही है । हां, जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद, से सम्बद्ध समितियां स्वेच्छा से थोड़ा-थोड़ा धन बैंक के संदिग्ध ऋण कोष में उसकी दशा सुधारने को देती हैं । इस कथित कटौती के खिलाफ सरकार के पास कोई विरोध-पत्र नहीं आया है ।

*३३—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद, को अपने प्रशासन में रखना चाहती है और क्या वहां की सहकारी संस्थाओं की मांग को ध्यान में रखते हुये वह शीघ्र ही उसके संचालक मण्डल का चुनाव करायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—बैंक की आर्थिक दशा से पर्याप्त सुधार होते ही यह व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी ।

आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि वार्षिक बैठक में स्वयं प्रस्ताव पेश न कर सकने पर दो सदस्यों ने डिप्टी रजिस्ट्रार के पास शिकायत भेजी और उसकी जांच के लिये सुल्तानपुर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—प्रश्न था कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत आयी । तो सरकार के पास तो नहीं आयी । एक शिकायत जरूर आयी थी जिसकी जांच भी हुई थी ।

श्री उपाध्यक्ष—किसके पास आयी थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—डिप्टी रजिस्ट्रार के पास ।

श्री उपाध्यक्ष—तो यह कहिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बैंक की स्थिति सुधारने के लिये कितने धन की आवश्यकता है और स्वेच्छा से जो समितियां दे रही हैं वार्षिक, वह कितना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस समय दो लाख रुपये के सरकार ने शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा ६८,६५९ रुपया बैंक ने अपने फंड से उसके बैड डेट फंड में दिया है। इसके अलावा ६,५१६ रुपया साधन सहकारी समितियों ने अपनी साधारण वार्षिक सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर के दिया है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जो जांच की है, उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—शिकायत निराधार पाई गई।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५९-६० में इस बैंक की डूबी हुई कुल रकम कितनी थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सन् ५१ से अभी तक १ लाख ३८ हजार रुपये का गबन था और आज ४४ हजार रुपया ऐसा है जो अभी तक बाकी है।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिस शिकायत को मंत्री जी ने निराधार बताया वह क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—शिकायत यह थी कि साधन सहकारी समितियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध कटौती काटी जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। साधन सहकारी समितियां अपने प्राफिट में से बैंक के बैड डेट फंड में रुपया जमा कर सकती हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह गबन कितने व्यक्तियों ने किया था और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—एक मामला तो हाई कोर्ट में दरपेश है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सभा, आजमगढ़, के खिलाफ ९१ हजार रुपये की शिकायत की गई थी लेकिन उसके ऊपर केस नहीं चल सका, डिसमिस हो गया और बकिया के केस हाई कोर्ट में हैं।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सहकारी बैंक सरकार के प्रशासन में कब से चल रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—४-६-५१ से।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक लाख कुछ हजार रुपये का गबन हुआ था और ४४ हजार रुपया अब बाकी रह गया है तो बाकी ६० हजार रुपया वसूल हो गया है या राइट आफ कर दिया गया है ? अगर वसूल हुआ है तो किस कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप हुआ है या किस प्रकार यह रुपया आया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस समय इसके डिटेल्स उपलब्ध नहीं हैं।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बैंक की सालाना बैठक २५ जून, १९६० को हुई थी, उसमें दो प्रस्तावों को, एक तो प्रबंध के संबंध में और दूसरे समितियों से धन लिये जाने के संबंध में, लिखित सूचना दी थी एक सप्ताह पहले लेकिन वार्षिक अधिवेशन में उनके पेश करने की आज्ञा नहीं दी गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस बात की शिकायत अध्यक्ष महोदय से की थी लेकिन उन्होंने इसको अवैध माना और जो कार्यवाही हो रही थी उसको वैध माना।

प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—प्रश्नों के सम्बन्ध में एक निवेदन है कि आज एजेन्डे पर ३३ सवाल हैं। उनमें १२ स्थगित हो गये। आम तौर पर कृषि और सहकारी विभाग के प्रश्न स्थगित हो जाते हैं। इससे बहुत कम प्रश्न रह जाते हैं। तो ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में कठिनाई उपस्थित होती है उनको माननीय अध्यक्ष मुल्तवी कर देते हैं। किसी विभाग के लिये कोई खास बरताव नहीं किया जाता।

पीलीभीत जिले में बसाये गये बंगाली विस्थापितों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास तीन दफा ५२ के सम्बन्ध में प्रस्ताव आये हैं। उनमें से श्री प्रतापसिंह जी का महत्वपूर्ण है और उसको मैं पढ़ देता हूं :—

"जिला पीलीभीत में न्योरिया, माला, कलकत्ता फार्म व नगरिया में बसाये गये बंगाली विस्थापितों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। उनको बालू वाली जमीन पर बसाया गया और कलकत्ता फार्म में २०५ एकड़ जमीन पर प्रदेशीय सरकार के अधिकारियों द्वारा १४७ मन धान बोआया गया जिसमें आधा मन भी पैदा नहीं हुआ। उनको डौल (कैश पेमेन्ट) कई महीनों से नहीं दिया गया। इन समस्याओं की ओर जब विस्थापितों ने आवाज उठाई तो उन्हें कर्मचारियों द्वारा पीटा गया, उनकी महिलाओं को बालों के बल घसीटा गया। इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कृपया बतलायें कि कब सूचना दे सकेंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इस सम्बन्ध में सूचना देने में ५ रोज से कम समय नहीं लगेगा क्योंकि उसको पीलीभीत से मंगाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—तो शुक्रवार को रख दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—तो आप शुक्रवार को इस सम्बन्ध में बतला दीजियेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—एक प्रस्ताव मेरा भी नियम ५२ के सम्बन्ध में था जो इटावा जिले के लिये था। इटावा में ७ दिनों से घनघोर वर्षा हो रही है, तो उस सम्बन्ध में.....

श्री उपाध्यक्ष—आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रभुदयाल—इटावा जिले के सम्बन्ध में वह बहुत जरूरी.....

श्री उपाध्यक्ष—यह बहुत गलत बात है कि बिला इजाजत इस तरह से बोलने लगते हैं। मैंने कह दिया कि ५२ के अन्तर्गत जो सबसे आवश्यक था उसको मैंने ले लिया। अब हर आदमी, जिसका प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया हो, यदि इसी प्रकार से भाषण करना शुरू कर दे तो यह सदन की व्यवस्था के खिलाफ होगा।

मनकापुर के दरोगा द्वारा श्री नागेश्वर को पिटवाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय बलदेव सिंह द्वारा दिनांक २४ अगस्त, १९६० को दी गई सूचना पर १४ तथा १५ अगस्त, १९६० की रात्रि में मनकापुर के दरोगा द्वारा श्री नागेश्वर ब्राह्मण को कानस्टेबिल तथा चौकीदारों से पिटवाये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य होगा ।

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उपाध्यक्ष महोदय, १६ अगस्त, १९६० को सवा ग्यारह बजे ए ० ओ० मनकापुर को एक तार मिला जो कि श्री छेदी ने भेजा था कि श्री नागेश्वर को जो कीर्तीपुर के रहने वाले हैं, उनको भरोसे, चौकीदार, माताप्रसाद, चौकीदार रामसमुझ, चौकीदार, शिवराम सिंह कानस्टेबिल और दयाराम भारतीय ने १४–१५ की रात्रि को उनके मकान पर बहुत मारा है और उनकी हालत बहुत खराब है । इस तार के आने पर १४८ और ३०७ का मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी जांच सेकिंड अफसर को तुरन्त सुपुर्द कर दी गयी । बाद में उसकी स्पेशल रिपोर्ट जब पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची तो उन्होंने सेकिंड अफसर से जांच लेकर उसकी जांच सर्किल इंस्पेक्टर को दे दी ।

यह सही है कि १४-१५ की रात्रि में कुछ व्यक्तियों ने श्री नागेश्वर को चोटें पहुंचायीं । चोटें उनको काफी थीं । वह गोंडा अस्पताल में गये थे । वहां पर उनका डाइंग डिक्लेरेशन भी हुआ, उनकी चोटों का मुआयना भी हुआ और उनकी हालत अब अच्छी है और जहां तक इस विषय का संबंध है कि इस घटना से कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है, वह नहीं है । वहां शान्ति है । एक शख्स को कुछ थाने से संबंधित व्यक्तियों की शिकायत है । उसकी जांच हो रही है । एक दूसरी दरख्वास्त एस० पी० को दी गयी थी, जिसकी जांच एस० पी० ने की थी और प्रारम्भिक सूचना से यह मालूम होता है कि उन चौकीदारों का हाथ नहीं था क्योंकि थाने के रेकार्ड से मालूम होता है कि कानस्टेबिल १० अगस्त से १५ अगस्त तक थाने में रहा था । वह गांव मनकापुर थाने से १०-११ मील के फासले पर है । इसकी जांच हो रही है । कुछ गवाहान से बयान भी लिये गये हैं और जब तक पूरी जांच नहीं हो जायगी तब तक यह स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—बलदेव सिंह जी, क्या आप इस प्रकम पर प्रश्न पूछेंगे जबकि इस मामले की जांच हो रही है या जब पूरी जांच हो जाय तब पूछना चाहेंगे ?

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—मैं कुछ जानकारी चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—पूछिये ।

श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि नागेश्वर ने दरोगा के खिलाफ १२ तारीख को एक इस्तगासा दायर किया था और उसी के फलस्वरूप वह १६ तारीख को मारा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं प्रश्न समझ नहीं सका । एक नागेश्वर ने एक इस्तगासा ८ तारीख को दायर किया था और यह घटना १४-१५ की बतलायी जाती है । वह इस्तगासा ए० डी० एम० (जे०) के यहां है और उस पर धारा २८२ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—८ तारीख को इस्तगासा दायर हुआ और १२ तारीख को उसके संबंध में गवाहियां पेश हुईं और १४-१५ की रात को वह मारा गया, क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष—यानी इस्तगासे के दायर करने की वजह से वह पीटा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुझे यह सूचना नहीं है कि उस तारीख को गवाह पेश हुये या नहीं हुये, मुझे यह सूचना है कि इस्तगासा जरूर दायर हुआ ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ८ तारीख को जो इस्तगासा दायर हुआ वह थानेदार के खिलाफ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, थानेदार और कांसटेबिल के खिलाफ था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि दरोगा ने उस कांसटेबिल की रवानगी दूसरी ओर लिख कर यह ताकीद किया कि वह उसको मार डाले ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अभी यह जो बताया गया उत्तर में कि दरोगा और कांस्टेबिल के खिलाफ इस्तगासा था, तो क्या वह उसी कान्स्टेबिल के खिलाफ था जिसका नाम मारपीट में आया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री बलदेवसिंह—मेरी स्वयं की जानकारी यह है कि वह दरोगा अब भी वहां पर मौजूद है और वह गवाही पेश होने नहीं देता है, सर्किल इंस्पेक्टर जाता है और उसके सामने गवाह पेश नहीं होने दिये जाते। तो क्या मंत्री जी इस बात की कृपा करेंगे कि उस दरोगा को वहां से कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाय और उसको भेजने के बाद इंक्वायरी की जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, ऐसा विचार नहीं है क्योंकि सरकार के पास ऐसी सूचना है कि जो स्टेशन आफिसर वहां पर कार्य कर रहा है वह अच्छा काम कर रहा है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि इन दरोगा महोदय के खिलाफ इस घटना के पूर्व एक शिकायत पुलिस कप्तान को की गई थी और उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाये गये थे, और उसके तीसरे दिन यह व्यक्ति मारा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी सूचना नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि १२ तारीख को गवाह पेश हुये, इसकी सूचना नहीं है उनके पास, तो क्या वह इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि १२ तारीख को ४ गवाह पेश किये गये थे या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी आवश्यकता नहीं है। वे लोग १४-१५ तारीख की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि थानेदार के बड़े भाई के नाम से उस हल्के में एक फार्म है और उसी फार्म के कुछ झगड़े के कारण थानेदार और नागेश्वर में कुछ झगड़ा था, और जब यह जानकारी थी तो उसी थानेदार को उसकी जांच कराने के लिये क्यों कहा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं थी और न कोई कागज से ही यह साबित होता है कि फार्म के कारण कोई झगड़ा था। सरकार की जानकारी तो यह है कि वह पुराना हिस्ट्रीशीटर था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उसमें क्या बयान दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ दूं, वह मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष—छोटा हो तो पढ़ दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—यह इस प्रकार है "कल रात को ११ बजे मैं अपने द्वारे लेटा सोता था। शिवराम सिंह, भरोसे चौकीदार, दयाराम बढ़ई व माता प्रसाद चौकीदार उसके घर पहुंचे और मुझे बल्लम और टंगाड़ी से मारना शुरू कर दिया। दयाराम लाठी लिये थे। बल्लम शिवराम सिंह लिये थे। भरोसे भी बल्लम लिये थे। माता प्रसाद टंगारी लिये थे। मैंने बड़े दरोगा जी के खिलाफ इस्तगासा दायर किया है, उसी के वजह से मुझे मरवाया। यह मारपीट के भाग गये। जब तक मैं गोहार करूं भाग गये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया था कि वहां के दरोगा का काम बहुत अच्छा है तो उस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी दरख्वास्त आई थी कि दरोगा जी की भावज का फार्म है और कुछ काश्तकारों से बेगारी ली जाती है, और क्या उसकी जांच हो रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—मुझे ऐसा मालूम होता है कि शिकायत ऐसी आयी थी कि उसकी भावज का फार्म है और यह जिला के अधिकारियों को भी मालूम था कि फार्म है और सब-इंस्पेक्टर भी फार्म की वजह से रहना नहीं चाहता था, लेकिन वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने यह मुनासिब समझा कि काम क्षेत्र में अच्छा कर रहा था और उस क्षेत्र के लिये उचित था।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बतलाया कि छेदी ने तार द्वारा सूचना दी कि एक सिपाही और ३ चौकीदारों ने उसको मारा, नागेश्वर को, और उस पर मुकदमा कायम किया गया। तो जबकि यह साबित हुआ जांच से कि ऐसी बात गलत है तो उस छेदी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी जिसने तार दिया था?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने शुरू में, श्रीमन्, निवेदन किया था कि यह प्रारम्भिक जांच तुरन्त आवश्यक थी। सरकार से इस संबंध में पूछा गया और वहां पर ए० पी० को दरख्वास्त दी गयी। वैसे मुकदमे की तफतीश तो हो रही है, अभी उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं दी गयी है कि जुर्म किया है या नहीं। प्रश्न सदन में पूछा गया था, दफा ५२ का था। उस समय जितनी जानकारी मेरे पास थी वह मैंने दे दी।

श्री बलदेवसिंह—क्या यह जानते हुये कि दरोगा का फार्म उसी थाने के अन्दर है, यह जानते हुये कि ८ तारीख को उसने नागेश्वर को मारा था जिसके फलस्वरूप उसने इस्तगासा दायर किया, यह जानते हुये कि १४–१५ की रात को मारा गया और उसने सिपाही, दरोगा और चौकीदारों के खिलाफ मारने का डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, तो क्यों नहीं मुनासिब समझा गया कि उसको हटाकर डिसचार्ज करावें?

श्री रामस्वरूप यादव—वह सब-इंस्पेक्टर का नहीं, उसकी भावज का फार्म है। जहां तक उसको हटाने का सवाल है, अगर जांच से उसका संबंध पाया गया तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि २७ जुलाई को एक रामलखन राजनीतिक पीड़ित और पेंशन पाने वाले को मनकापुर के अन्दर उसी दरोगा ने जूते और ठोकर से मारा और रामलखन ने स्वयं मंत्री महोदय से शिकायत की और दूसरे दिन कप्तान पुलिस के यहां गया?

श्री रामस्वरूप यादव—कागज जो मेरे पास हैं, उनमें यह सूचना नहीं है। सभव है मंत्री जी से शिकायत की हो।

एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्श-दात्री समिति में श्री दीनदयालु शास्त्री द्वारा त्याग-पत्र देने से रिक्त स्थान पर एक सदस्य का चुनाव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारी सिंह)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्श-दात्री समिति में श्री दीनदयालु शास्त्री, सदस्य विधान सभा, के त्याय-पत्र से रिक्त स्थान पर विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करें, जिनकी उक्त समिति में कार्यकाल की अवधि उनकी सभा की सदस्यता की कालावधि होगी।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्श-दात्री समिति में श्री दीनदयालु शास्त्री, सदस्य विधान सभा के त्याग-पत्र से रिक्त स्थान पर विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करे, जिनकी उक्त समिति में कार्यकाल की अवधि उनकी विधान सभा की सदस्यता की कालावधि होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी २६ अगस्त, १९६० की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्न-लिखित विधेयकों के विभिन्न प्रक्रमों के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय---

दि इंडियन फारेस्ट (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६०---खंडशः विचार तथा पारण---डेढ़ घंटा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०---सामान्य विवाद दो दिन, खंडशः विवाद तथा पारण---८ दिन।

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण---एक दिन।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)---मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह जो कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय के मुताबिक इंडियन फारेस्ट विधेयक, १९६० के लिये डेढ़ घंटा समय रखा गया है, तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम २२६-२२७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए समिति के प्रतिवेदन में अमेंडमेंट भी मूव किया जा सकता है और अमेंडमेंट अगर स्वीकार हो गया, उसके बाद पूर्ण विचार समिति करेगी। अब इस विधेयक की यह गति है कि यह आधे से ज्यादा पास हो चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो जो विधेयक जेरे गौर हो और बहस हो चुकी हो और आखिर की हालत में समय का बांट हुआ है तो वह इसी प्रकार किया जा सकता है कि क्लोजर मूव करके समय की बरबादी रोकी जा सकती है। इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार समिति द्वारा बंटवारा नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष---नियम २२५ में अगर आप कार्य समिति का फंक्शन देखें तो उसमें है "समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के संबंध में सिफारिश

[श्री उपाध्यक्ष]

करे जिन्हें अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दे।" तो किसी भी स्टेज पर परामर्श-दात्री समिति को अधिकार है कि वह समय का बंटन कर सकती है।

आगे संशोधन का अधिकार समाज-कल्याण मंत्री के प्रस्ताव के बाद आपको होगा, अगर पेश करना चाहेंगे तो पेश कर सकेंगे।

श्री हरिदत्त कांडपाल---मैं इतना और निवेदन कर दूं कि फर्ज कीजिये ....

श्री उपाध्यक्ष---अब मेरी व्यवस्था के बाद मैं कोई बात सुनना पसन्द नहीं करूंगा।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा था। क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के संबंध में कार्य समिति ने जो समय का बटवारा किया है, इससे पूर्व जो सदन में एजेंडा आया था उसमें यह प्रस्ताव था कि स्वशासन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति को यह विधेयक सुपुर्द कर दिया जाय। तो जो प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द करने का था इसमें अब प्रवर समिति का कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वशासन मंत्री ने उस प्रस्ताव को पेश किया है और यह समय का बटवारा किस तरह से कर दिया है, इस संबंध में आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं सूचना दे दूं कि कार्य परामर्श-दात्री समिति ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि इसी सदन में जनरल बहस हो और पास कर दिया जाय, समय न लिया जाय उसी के अनुसार यह समय लिया गया है और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी संभव है कोई ऐसा प्रस्ताव विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्तुत नहीं करेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी---मेरा मतलब दूसरा था। जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख था वह सदन के सम्मुख नहीं लाया गया।

श्री उपाध्यक्ष---एजेंडे में आ जाय तो सदन के सम्मुख है, नहीं आता तो सम्मुख नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं कार्य मंत्रणा समिति में उपस्थित था, लेकिन मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इसका विरोध करता रहा जैसा कि इस एजेंडे में है। और यदि ऐसा ही निश्चय किया जाता है तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं इस बात का कि वह फरवरी में परिषदों का चुनाव कराने में समर्थ होंगे। मैंने यही शर्त वहां भी रखी थी और हम तभी स्वीकार कर सकते हैं कि इसको प्रवर समिति में न ले जायं और १० दिन में इस पर विवाद समाप्त कर लें यदि वह फरवरी, १९६१ में चुनाव करा सकें।

श्री उपाध्यक्ष---हां, मैंने सुन लिया। माननीय मंत्री जी यदि उचित समझेंगे तो उसका जवाब देंगे।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मैं, श्रीमन्, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रख्यापित समय के बटवारे को स्वीकार करता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहता हूं कि अभी जो प्रस्ताव रखा गया है यह पुनः विचार के लिये वापस भेजा जाय और समिति इस पर पुनः विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष---पूरे का पूरा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी हां। मैं थोड़ा सा यहां उसके संबंध में रख दूं। अभी हमारे भारतीय जी ने सरकार से आश्वासन चाहा और यह बात मंत्रणा समिति में भी रखी गयी थी। यह विधेयक बहुत ही आधारभूत है जिसे बार बार लाया गया और संशोधन किये गये। सरकार की मौलिक नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पायी है। हम भी अपनी मौलिक नीति बतलाना चाहते हैं। इसलिये सिवाय इसके कि इसे फिर बिजनेस कमेटी में भेजा जाय जिससे इसे काफी समय मिल सके और . . .

श्री उपाध्यक्ष---बिजनैस कमेटी का निर्णय तो हमारे सामने है। आप अगर चाहें तो यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। अभी भी इसमें कोई रुकावट नहीं है।

श्री हरिदत्त कांडपाल---मैं आपकी आज्ञा से नियम २२७ के उपनियम (२) की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०, के समय बंटन की बात को फिर समय समिति के पास भेज दिया जाय। यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। सन् ४८ से आज तक ये लटके हुए हैं और सरकार की इन पर बड़ी-बड़ी आशायें भी हैं। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार के लिये सदन को काफी समय मिलना चाहिये। तो मेरा सुझाव है कि आम बहस के लिये ५ दिन और खंडशः विवाद के लिये १० दिन रखे जायं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन विचारों से कार्य समिति ने यह समय का बंटवारा किया है उनसे मैं सहमत हूं। केवल इतना चाहता हूं कि सामान्य विवाद के लिये २ दिन के बजाय ४ दिन कर दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---नियमानुसार आपको यह कहना होगा कि वह परामर्श-दात्री समिति के पास फिर से समय निर्धारण के लिये भेजा जाय। यहां कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है ।

आचार्य दीपंकर---मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और उसके कारण बहुत स्पष्ट हैं। जब कार्य मंत्रणा समिति में यह प्रस्ताव आया था तो उसमें सभी दलों के नेतागण भी सम्मिलित थे। आज मुझे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जी ने यह कहा कि उन्होंने इसका वहां विरोध किया था। मैं उनकी बात को काटना तो नहीं चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि २ दिन उस समिति के सामने यह बात आयी। उसमें माननीय भारतीय जी भी दोनों दिन उपस्थित थे और दोनों ही दिन....

श्री उपाध्यक्ष---भारतीय जी उसके मेम्बर नहीं हैं। वह उपस्थित जरूर थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उसके मेम्बर तो उनके दल के दूसरे सज्जन हैं लेकिन भारतीय जी मंत्री जी के सामने उपस्थित थे।

श्री उपाध्यक्ष---वह आपके साथ चले गये थे। जानकारी उनको है। मगर वह सदस्य नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री जी के सामने भी वह उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने सभी दलों के नेतागण को बुलाया था और मुझे भी उसमें उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माननीय मंत्री जी से यह बात तो जरूर हुई थी कि चुनाव के संबंध में मंत्री जी सदन में कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं और सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि चुनाव अगले वर्ष कराने की बात के बारे में कोई दो राय नहीं हैं। उनके दल के प्रतिनिधि कार्य मंत्रणा समिति में थे और

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

उन्होंने इस पर अपनी स्वीकारोक्ति दी। सर्वसम्मति से तय हुआ कि यह विधेयक प्रवर समिति के सामने नहीं जायगा। तो अब मैं यह विश्वास करता हूं कि.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्रणा समिति में क्या कार्यवाही हुई, क्या आचार्य जी इसको सदन में कह सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—जब आपने रेफेरेंस दिया कि यह बात हुई, तो उसका उत्तर वह दे ही सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं जरूर कह सकता हूं और मैं दोहराना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में सर्वसम्मति से यह तय हुआ। मुझे तो दुख होता है कि उसका सदन में विरोध किया जाय। आज किसी को भी उस निर्णय से बाहर जाने का अधिकार नहीं है जिन नियमों से हम सदन में बैठते हैं उनमें यदि कार्यमंत्रणा समिति के निश्चय को हम यहां बदलना चाहें तो यह कहां तक उचित है? इसलिये मैंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में यह सर्वसम्मति से निश्चय हुआ। मैं अपने मित्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय—सबसे पहले कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक विचित्र नारायण जी के यहां हुई थी उसमें मैं उपस्थित था।

श्री उपाध्यक्ष—कोई मीटिंग उनके यहां नहीं हुई। अध्यक्ष के कमरे में हुई। मंत्री जी ने केवल आप लोगों को राय लेने के लिये बुलाया था।

श्री देवनारायण भारतीय—अध्यक्ष के यहां मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं था। माननीय आचार्य जी ने जो कुछ कहा वह निराधार और मिथ्या है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने यह नहीं कहा कि वह वहां उपस्थित थे। अगर आपने सुना है तो आपने गलत सुना है।

श्री देवनारायण भारतीय—विचित्र नारायण जी के यहां भी मैंने यही कहा कि.....

श्री उपाध्यक्ष—(श्री देवनारायण भारतीय से) आप कृपया बैठें। इसके स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया जा सकता कि वहां क्या हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, अभी जो इस संबंध में थोड़ा विवाद हुआ उसका कुछ आधार हमेशा रहता है कार्य मंत्रणा समिति में हो या किसी में हो, सभी पार्टियों की सम्मति लेना एक नीति सी बन गयी है वह बात ऐसी नहीं है। हम लोग इसमें निश्चित राय रखते हैं। जो विधेयक प्रस्तुत होने वाला है उसमें सरकार उसी अपने अनोखे ढंग से काम ले रही है, जैसा कि दूसरे विधेयकों में उसका ढंग रहता है कि पहले उसको गुप्त रखना, जल्दी पास कराने की कोशिश करना और सरकारी नीति को न खोलना, उसकी ये बातें इस विधेयक में प्रकट रूप से दिखायी पड़ती हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मुझे आशा है सभी समझदार लोग इसका समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ये विधेयक कार्य मंत्रणा समिति को समय निर्धारण के लिये फिर से भेज दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बटवारे को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० **

खंड ६–८ (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट इस पर बोल रहे थे, वे इस समय सदन में नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो उनकी तरमीम है वह मुझे मंजूर नहीं है, वह ड्राप हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खं० ६ में प्रस्तावित धारा ३८–एच० के उपखंड (२) के मद(a) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "fourteen days" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—इसके आगे के सब संशोधन एक ही खंड में हैं और वे श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट के साथ श्री प्रताप सिंह जी के नाम हैं इसलिये श्री प्रतापसिंह जी उनको एक साथ मूव कर दें।

***श्रीप्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८—एच के उपखंड (२) के मद (b) में शब्द "prescribed" के पश्चात् शब्द "Any person aggreived by the decision of the forest officer can appeal to the District Judge whose decision shall be final and binding and shall not be questioned in any other court of law" रख दिये जायं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८—आई के उपखंड (i) की पंक्ति २ में शब्द "Notification" तथा शब्द "in" के बीच शब्द "and the decision of the appeal by the district Judge against the order of the forest officer" रख दिये जायं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८–आई के उपखंड (ii) की सातवीं पंक्ति में शब्द "twenty" के स्थान पर शब्द "ten" रख दिये जायें।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८–J के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The person whose land, trees or structures thereupon are so taken shall be entitled to receive compensation."

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"Provided that land will be returned to the original owner in case the latter satisfies the Government or gives an undertaking that he will maintain and preserve the developed forest as such."

मान्यवर, यह जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं, उनमें बहुत से महत्वपूर्ण हैं, नंबर १० पर जो संशोधन है उसके विषय में कुछ शब्द कह देना मैं आवश्यक समझता हूं। फारेस्ट आफीसर

---

† २५ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

** ९ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह]

अगर कोई फैसला लिखे तो उसके बाद अपील का प्रावीजन अवश्य होना चाहिये। अब तक यह होता था कि अगर किसी पर फारेस्ट विभाग से जुरमाना हो और वह कहे कि नहीं दूंगा तो उस पर एस० डी० एम० कोर्ट में केस चलता था लेकिन इस संशोधन विधेयक में ऐसा लगता है कि फारेस्ट आफीसर का फैसला अन्तिम होगा। इस संशोधन के अनुसार गांव में रहने वाली जनता और उसके बीच में रहने वाले आफीसर जो कुछ भी कभी अपने विभाग से फैसला दे दें। ऐसी हालत में यह परमावश्यक हो जाता है कि वह उसके खिलाफ अपील करे। इसीलिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें कि कोई आदमी परेशान है और वह समझता है कि फैसला उसके हित में नहीं है तो उस को न्यायिक शाखा के पास जाने का अधिकार होना चाहिये। संविधान ने भी इस प्रकार का अधिकार उस को दिया है। मैंने पिछली दफा भी कहा था और अब भी कहता हूं कि जंगलात विभाग के नियम नहीं हैं कि किस प्रकार की पत्तियां छोड़ना चाहिये, किस प्रकार इमारतों की लकड़ी काटनी चाहिये आदि आदि। जंगलात विभाग के पास अपना इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट अलग से है और पब्लिसिटी आफिसर्स अलग से हैं लेकिन आदरणीय सदन के सामने आज तक ऐसी कोई किताब नहीं आयी जिसके जरिये से मालूम हो कि उनके पब्लिसिटी आफिसर्स जिस तरह से प्लानिंग डिपार्टमेंट के आफिसर्स या उनके पब्लिसिटी आफिसर्स जाते हैं उस तरह से आपके भी जाते हैं। आपने बजट में इसके लिये रुपया लिया हुआ है कि नियमों का ज्ञान कराने के लिये पब्लिसिटी आफिसर्स होने चाहिये। फैक्ट्स फाइंडिग कमेटी ने भी कहा कि इसके लिये प्राविधान नहीं है कि गरीबों को न्याय मिल सके और अफसरों के फैसले के विरुद्ध अदालत में जा सकें। यह कोई राजनैतिक बात नहीं है बल्कि तथ्य है। हम लोग यहां किसी रूल आफ ला के अन्तर्गत बैठते हैं। हमारा हक है और यही नहीं संविधान ने हमको यह हक दिया है कि हम मांग कर सकते हैं अपील की। उसके अन्दर हम को हक है कि अगर छोटी अदालत का फैसला हमारी समझ में उचित नहीं है तो बड़ी अदालत में जा सकते हैं और यही मेरे इस संशोधन की मंशा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसे मानेंगे।

इसके बाद अगले संशोधन में यह है कि नोटीफिकेशन के लिये कुछ दिन तय कर दिये जायं। जब हमने नम्बर १० पर यह संशोधन रखा है कि अपील का प्राविजन होना चाहिये तो हमारे लिये यह लाजिमी हो जाता है कि जजेज इतने दिन अपील में लगावें।

अगले संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि २० के स्थान पर १० रखा जाय। अगर मूल रूप में देखें और २० के हिसाब से रखा जाय तो ऐसी धनराशि होनी चाहिये जो कैलकुलेटेड हो, लेकिन इसमें अन्दाज से रखा गया है। इसलिये हम समझते हैं कि २० की जगह १० रखना परमावश्यक है।

इसके बाद एक इंसान ने अपना जंगल खुद कमाया है, उसने खर्चा किया है अपनी जमीन पर तो अब क्योंकि जो ऐडजेसेंट जमीन फारेस्ट की होगी वह भी ले ली जायगी तो हमारे संशोधन के अनुसार जो खर्चा उस नागरिक ने किया है वह उसको मिलना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन-सा रास्ता है कि जिससे जिस नागरिक की जमीन ली जायगी, जो गोचर भूमि है वह ली जायगी या गांव समाज की जमीन फारेस्ट विभाग लेगा, उसके लिये क्या प्राविधान है कि इस तरह से जो उसका खर्चा है उसकी पूर्ति हो जायगी, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और आखिर में जो संशोधन है, जिसमें जैसा कि हमने उस दिन भी कहा था, ठीक है, जंगल की रक्षा होनी चाहिये। विकास के नाम पर जंगल की रक्षा हो सकती है क्योंकि जंगल हमारे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जंगल काट दिये जायं। लेकिन यदि कोई आदमी चाहता है या कोई ग्राम सभा चाहती है कि जंगल हमें दे दिये जायं तो हम जंगल की रक्षा करेंगे तथा विकास के नाम पर स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि बनवायेंगे तो सरकार को चाहिये कि वह उसे १५ साल के बाद वापस दे दे। ये तमाम संशोधन जनता की सुविधा के लिहाज से बहुत मुनासिब मालूम होते हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इनको स्वीकार कर लें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखे हैं उनको मैंने सरसरी निगाह से देखा। मेरे विचार से वे उचित से मालूम होते हैं। इसमें फारेस्ट आफिसर को जो अधिकार दिया गया है वह एक प्रकार से निरंकुश अधिकार है। जब किसी अधिकारी को इस प्रकार के निरंकुश अधिकार मिल जाया करते हैं तो मैं उनको हमेशा शंका की दृष्टि से देखता हूं और मेरा विचार यह है कि आज के प्रजातांत्रिक जमाने में हम अपने अधिकारियों पर यह विश्वास करने लग जायं कि वे जनतांत्रिक तरीके से सोचने के योग्य हो गये हैं, तो यह ग़लत है। हमारा अनुभव बतलाता है कि आज के प्रजातांत्रिक युग में भी अभी उनमें बहुत कमी है और वे अपनी निरंकुशता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस आधार पर हम जब देखते हैं कि अधिकारियों को निरंकुश अधिकार मिल जाते हैं और जिनके खिलाफ हमें किसी न्यायालय में निगरानी कराने का हक नहीं मिलता तो हमारे मन में शंका पैदा होती है।

माननीय प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखे हैं उनका लक्ष्य केवल यही है कि उनके द्वारा किये हुए कारनामों की निगरानी किसी न किसी न्यायालय में हो सके। उन संशोधनों में जो १४ दिन के बजाय एक महीने की बात उन्होंने रखी है वह उचित-सी दीख पड़ती है क्योंकि यह जो अवधि होती है उसकी सूचना देहात के रहने वाले कृषकवर्ग, निम्नवर्ग तथा अनपढ़ लोगों को समय से नहीं मिल पाती। इसलिये उनको सचेत होने के लिये काफ़ी मौका होना चाहिये। इन अधिकारियों का कहीं न कहीं निरीक्षण होता रहे, उनकी चेकिंग होती रहे और उस चेक के लिये न्यायालय को बीच में लाना कोई अनुचित नहीं मालूम होता है। मैंने इस सम्बन्ध में पिछले कई विधेयकों के ऊपर भी —चाहे वह मिनिमम वेजेज संशोधन विधेयक हो, चाहे सेल्स टैक्स विधेयक हो या कोई और अन्य विधेयक हो, जहां अधिकारियों को विशेष अधिकार देने की बात आयी, वहां हमने हमेशा इस बात के प्रति शंका प्रकट की कि सरकार इस तरह से बहुत अधिक अधिकार अपने अधिकारियों को दे रही है और इसके लिये उनके ऊपर कोई चेक और निरीक्षण होना चाहिये। इसलिये जुडिशियल अथारिटी को बीच में लाना उचित होगा और उनके फैसले में तरमीम करना उचित होगा।

इसके अलावा सरकार जो २० प्रतिशत खर्चा निकालने की बात कर रही है उसको कम करने के लिये १० प्रतिशत खर्च का प्रस्ताव जो माननीय प्रताप सिंह ने रखा है वह उचित मालूम होता है। गवर्नमेंट द्वारा अपने खर्च को बढ़ाते जाना उचित नहीं है। इसके लिये कम से कम खर्चा उनसे लेना चाहिये। गवर्नमेंट द्वारा इस तरह से अपव्यय करके सारा खर्चा उनके ऊपर लादने का अधिकार अधिकारियों को नहीं होना चाहिये। मैं इन सभी संशोधनों का समर्थन करते हुए इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जब कभी भी ऐसी भूमि या ऐसे जंगल जो जनता के हैं, सरकार निरंकुशता से ले तो, उनको वापस करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिये। जंगल के विकास में जनता का सरकार के साथ हाथ न बटाना एक प्रकार से अप्रजातांत्रिक होगा। प्रजातांत्रिक तरीका यही है कि जनता की सहायता भी उसमें मौजूद रहे। इन सब बातों के आधार पर मैं उचित समझता हूं कि सभी सदस्य इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे और उनको बहुमत से पास भी करेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं माननीय प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। थोड़े से शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इससे इत्तफाक करेंगे कि हमारे देश में किसी काम के लिये जुडीशियरी पर विश्वास करना उचित होगा। श्री प्रतापसिंह जी के संशोधन का अर्थ यह है कि अगर सरकार प्रेस-क्राइब्ड अथारिटी की बात सोचती है तो यहां वह जिला जज का नाम देना चाहते हैं, उन तक उसकी अपील हो जाय। उस में कोई देर का भी सवाल नहीं है बल्कि केवल इतना सवाल है कि जंगल के अफसरों से उन को बचा दिया जाय...

---

*गलती ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कोरम नहीं है, श्रीमन्।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री गेंदासिंह**—श्रीमन्, मैं समझता हूं यही संशोधन का अर्थ है जो मैं समझ पाया हूं, अगर मैं ठीक न समझ पाया होऊं तो मंत्री जी कृपया उसको सुधार लें लेकिन मोटी-सी बात यह है कि एक अपील जुडीशियरी और जिला जज के हाथ में वह देना चाहते हैं। जो एग्जिक्यूटिव है और खास तौर पर जो जंगल के अफसरान हैं उनके बारे में मेरी राय है कि वह दूसरी एग्जिक्यूटिव से ज्यादा तेज और सख्त हैं, 'सख्त' शब्द ठीक न होगा अगर यह कहा जाय कि वह ज्यादा शरारत करते हैं तो ज्यादा उचित होगा। सरकार की नीति ह कि किसानों के साथ, ग़रीबों के साथ थोड़ी रियायत हो, लेकिन जंगल के अफसरों को हम ने कभी नहीं देखा कि वह कभी भी किसानों के साथ रियायत बरतते हों। अब तक हालत यह हैं कि वह गरीबों पर शेर बनते हैं, उन पर हावी होते हैं, और जहां कहीं जवाब देने वाले उन को मिल गये तो वह गीदड़ बन जाते हैं। इसलिए उन को सही रास्ते पर लाने के लिये एक जज के यहां अपील आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें। उस दिन उन्होंने सफाई के लिये भले ही कह दिया कि लोगों ने फूस इकट्ठा कर लिया इस वास्ते मकान जला डाले लेकिन क्या कहीं भी जंगल कानून में इस तरह के अधिकार हैं कि अगर किसी ने फूस जमा कर के मान लिया कि छप्पर बना लिया तो वह उसमें आग लगवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—जंगल में कोई कानून नहीं होता।

श्री गेंदासिंह—अब तो श्रीमन्, सभ्य लोगों के प्रदेश में जंगल है, २० प्रतिशत जमीन पर भी यहां जंगल नहीं है वह थोड़ी जगह में ही रह गया है। हम जंगल को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इस के नाम पर जुर्म नहीं करना चाहते। इसलिए जुडीशियल अफसर को मौक़ा होना चाहिये ताकि उनके हाथ किसी तरह से थोड़े बधे रहें। आपको भी अनुभव होगा अगर माननीय वित्त मंत्री जी भी मिनिस्ट्री में न होते तो उनको भी एग्जिक्यूटिव का तजुर्बा हो सकता था, हमें तजुर्बा है कि वह क्या किया करते हैं, किस तरह से झूंठे चार्ज लगाये जाते हैं और जुडीशियल अफसर भी उसको खींचते चलते हैं। सेपरेशन वाले जिलों में भी यही हालत है कि जो कलेक्टरों के हाथ में हैं। अगर इस देश में किसी नागरिक की प्रतिष्ठा बची है तो वह जुडीशियरः के कारण हो। यह इस देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अगर वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि वह प्रतिष्ठा बनी रहे तो जुडिशियरी को मजबूत किया जाय। जो पाप कर्म न करना चाहें उसकी अगर कोई हिफ़ाज़त कर सकता है तो वह जुडिशियरी है। इसी से एक अपील माननीय प्रतापसिंह चाहते हैं। मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये और इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है अगर एक अपील का अधिकार दे दिया जाता है तो जो सारे सख्ती के अधिकार दिये गये हैं उन पर थोड़ा-सा चेक हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय रघुरनतेज बहादुर सिंह जी, आपका कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर आप खंड का विरोध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैं इस अधिनियम के खंड ६ का विरोध कर रहा हूं। फ़ारेस्ट की डेफ़ीनीशन जो दी गई है, वह बहुत व्यापक है। इसके पूर्व भी जब प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट बना हुआ था तो उसमें फ़ारेस्ट की डेफ़ीनीशन में सब जमीनें थीं। खंड (३)–"Forest" means any land which the State Government may by notification declare to be a forest for the purposes of this Act."

तो श्रीमन्, १९४९ के ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत से जंगल नहीं बोये गये थे लेकिन उनमें जंगली पेड़ थे, उन्हीं पर नोटीफ़िकेशन हुआ। मगर इस विधेयक में तो बहुत ही व्यापक परिभाषा फ़ारेस्ट की की गई है और उसके अन्तर्गत किसी भी समय किसी भी किसान का जोता-बोया खेत लिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकता है। जिसका प्राविधान खंड ६ की धारा ३८ में होना चाहिये वह नहीं है। उसमें इस प्रकार का खंड बढ़ा देना चाहिये—

"Provided that the land on which there is no forest or stump and is under cultivation of a claimant, the notification under this section shall not be issued."

यह इसमें नहीं है जिससे इस बात का अंदेशा है कि जो जमीनें आजकल काश्तकार जोत-बो रहे हैं वह निकल जायेंगी। अभी हाल में दिल्ली में फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में इस बात को जाहिर किया गया कि भूमि व्यवस्था के तरीके अनिश्चित हैं इसलिये उन पर किसी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता है। आजकल खाद्यान्नों के उत्पादन में जो बाधा पड़ रही है वह महज भूमि व्यवस्था की कोई निश्चित पालिसी न होने के कारण है। इसलिये इस बात का होना बहुत जरूरी है कि उसमें यह बढ़ा दिया जाय कि जो जमीनें जोती-बोयी जाती हों उन पर नोटिफ़िकेशन नहीं इश्यू किया जायगा।

दूसरी बात यह है कि जमीन यह फ़ारेस्ट में ले लेंगे और १५ साल तक उसका इंतजाम करेंगे। तो यह तो है नहीं कि सब के पास बड़े-बड़े ही टुकड़े हों, छोटे भी हो सकते हैं। तो किस प्रकार उनकी आमदनी और खर्चे का यह बटवारा करेंगे। इसके बारे में खंड ६ में कोई विवरण नहीं है। इसलिये मुझे अन्देशा है कि उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा और उनकी जमीन और चली जायगी।

जो जमीन सरकार अपने कब्जे में लेगी और जंगल लगायेगी तो सरकारी खर्चे जिस प्रकार होते हैं वह सब जानते ही हैं, इनके शेड्यूल रेट अलग होंगे, मजदूरी की दर अलग होगी और वह पड़ेगा किन पर? उन किसानों पर जिनकी भूमि यह लेंगे। मैं आपकी आज्ञा से प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट में जो वेस्टेड फ़ारेस्ट की डेफ़ीनीशन है चैप्टर ३ में उसके खंड १६ (२) को पढ़ना चाहता हूं—

"If it appears from the report of a Forest Officer that any waste land the area of which is not less than 50 acres which is lying uncultivated for more than seven years and is suitable for afforestation and that the owner of such land is unwilling or unable to cultivate it by growing therein agricultural crops, or to use it for purposes of horticulture to the satisfaction of such Forest Officer or to afforest it, the State Government may after satisfying itself....."

इससे जाहिर है कि यह शर्तें अगर भूमि का मालिक न करे तो उसकी जमीन ली जा सकती थी। तो जो पहले ऐक्ट बना उसमें तो यह था लेकिन जो मौजूदा संशोधन हो रहा है उसमें उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है। तो अगर किसान उसको जोते-बोये हैं, या बाग लगाये हैं और सरकार की इस डेफ़ीनीशन के मुताबिक़ आ जाता है कि जंगल की भूमि है तो उसे सरकार अपने कब्जे में कर सकती है। तो इस प्रकार भूमि हस्तगत करने से देश में खाद्यान्नों में बड़ी कमी होगी और जो लोग खेती कर रहे हैं, जिससे देश तथा प्रदेश का कल्याण हो रहा है उससे उस पर असर होगा।

खंड ६ की धारा ३८–K में यह है कि कुल जमीन का १/५ क्लेमेंट को जोतने बोने के लिये दे सकता है फारेस्ट डिपार्टमेंट। १/५ के बारे में यह बतला सकता हूं कि इतना हिस्सा तो पेड़ों की साया में ही निकल जायगा यह बहुत कम है। जंगल के बीच में बोने की इजाजत दी गयी तो आधी भी फसल न लगेगी। किसान २४ घंटे उसकी देखभाल करे। चिड़ियां खायेंगी और वन पशु उसका नुक्सान करेंगे। रात में सियार और खरगोश से वह नहीं बचेगी। तो १/५ हिस्सा रखने से कोई लाभ नहीं होगा जब कि अन्न की हालत बहुत खराब है और अरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है। इस चीज को क्यों नहीं माननीय मंत्री जी मानते हैं कि सिर्फ़ इतनी भूमि जिस पर खेती करते हैं लोग और उसमें कोई दरख्त या खूंट न हो उसे छोड़ दिया जाय। अभी फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी। उसमें उन्होंने कहा कि अनिश्चितता होने के कारण

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

भूमि-व्यवस्था में हमारे खाद्यान्नों पर बड़ी भारी आफत पड़ने वाली है। यह ऐक्ट उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जमीनें जो विनोबा जी को भूमि दान में दी गयी हैं सन् १९५३–५४ तक, सरकार द्वारा फैसला नहीं हो सका कि कितनी भूमि ग्राम समाज की है और कितनी जंगल की है? वह भूमि भी कहीं जंगलात में न ले ली जाय। मैं नम्रतापूर्वक मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन संशोधनों को मंजूर किया जाय और यदि इस अधिनियम के अन्दर कोई दिक्कत समझते हों तो हाउस को एश्योरेंस दें कि रूल्स में ऐसी धारा रहेगी।

जंगलों में जो रियायतें समीपवर्ती जनता को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व थीं वे अब नहीं हैं। उनके सामने हर तरह की रुकावटें हैं। जमींदार जंगल जो सरकार में निहित हुए हैं उनसे अब जनता को कोई सुविधायें नहीं मिल रही हैं। एक बल्ली हरस बनाने के लिये एक असाढ़ में दरख्वास्त जाती है तो दूसरे असाढ़ में मंजूर होती है। लिहाजा समीपवर्ती जो जंगल हैं उनसे जनता को सुविधा दी जाय ताकि उदर पूर्ति हो सके, जलाने, गृह निर्माण और कृषि के लिये भी लकड़ी मिल सके और उनके पशुओं के चराने पर कोई रोक न हो।

श्री उपाध्यक्ष—यह आम वाद-विवाद की बात हो रही है।

श्री रघुरन तेजबहादुरसिंह—इन वलाजेज में यह सब होना चाहिये था लेकिन नहीं किया गया है। इसलिये मंत्री जी को बता रहा हूं इसमें १५ साल के अन्दर जब कभी सरकार चाहे तो छोड़ सकती है। छोड़ने के लिये सवाल उत्पन्न जब होगा, तब यह हिसाब बनेगा कि किस कदर खर्चा हुआ और आया वह खर्चा भूमि का मालिक अदा कर देंगे तब जंगल छोड़ा जायगा या बीच में जंगल छोड़ दिया जायगा। तो इसके लिये यह होना परमावश्यक था कि जिनकी जमीनों का सरकार अपने हाथ में प्रबन्ध लेना चाहे पहले उनको नोटिस दे कि वे उसका सुप्रबन्ध करें और उसका खर्च स्वयं वहन करें। उसके बाद भी अगर वे प्रबन्ध नहीं कर सकते तब उनकी जमीन लेने का प्रश्न आना चाहिये। मैं कहता हूं कि उन पर क़र्ज़ा इस कदर हो जायगा कि फिर उन काश्तकारों को जमीन किसी कीमत पर मिल ही नहीं सकती। नतीजा यह होगा कि जैसे आज जंगल लगाये गये हैं कि कहीं एक-आध पेड़ उग आये हैं और कहीं हैं ही नहीं, उसी तरह से जमीन भी फंस जायगी और पेड़ भी नहीं उगेंगे और खेती को भी नुकसान होगा। इसलिये पहले उनको मौका दिया जाय और तब भी अगर वे इन्तजाम नहीं कर पाते तो भले ही ऐसी व्यवस्था बनायी जाय। बहरहाल, बोई जोती जमीन को मुबर्रा कर दिया जाय और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मेरी बातों को स्वीकार करेंगे और सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि जुती हुई जमीनें नहीं निकाली जायेंगी और न जो लोग उन पर काबिज हैं उन पर कोई असर पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं माननीय प्रतापसिंह के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। यह इतिहास है कि इस विधान सभा में जो भी कानून सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेज से सरकार को इतना प्रेम हुआ करता था कि उसके अलावा हाई कोर्ट को वह भूल जाती थी, उसको कोई पावर नहीं देना चाहती थी और उसके साथ यह भी भूल जाया करती थी कि आर्टिकल २२६ है जिसमें रिट भी मूव हो सकती है। आर्टिकल २३२ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी आदमी जा सकता है। प्रतापसिंह जी महज यह चाहते हैं कि फारेस्ट अफसर भगवान न माना जाय बल्कि उससे भी किसी हद तक गलती हो सकती है इसलिये डिस्ट्रिक्ट जज को केवल एक अपीलेट अथारिटी मानने की मांग कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता कि इसमें सरकार को घबराहट किस बात की है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज को यह पावर दी जाय कि फारेस्ट आफिसर, जो कि अल्लाह मियां नहीं है, अगर कोई गलती करता है तो उसकी अपील हो सके तो यह एक मुनासिब तरीके से नियंत्रण रखा जा रहा है। इसमें है—

"The person, whose land, trees or structure thereupon are taken shall be entitled to receive compensation."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, यह तो एक आदत-सी हो गयी है कि हर इंसान यह समझता है कि कांस्टीट्यूशन रहते हुए भी जमीन ली जा सकती है। आर्टिकल ३१ का अमेंडमेंट किस तरह से हुआ है, यह जमींदारी उन्मूलन का एक इतिहास है कि जमींदर के पास जो ऊसर, बञ्जर थे उनका कोई मुआवजा नहीं दिया गया लेकिन जब वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। पेड़ हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, वह एक प्रापर्टी है और मैं समझता हूं कि अगर जमीन पर कुछ भी न हो तो भी वह उसकी एक अचल सम्पत्ति है और उसका मुआवजा देना चाहिये और अगर नहीं दिया जाता है तो सिवाय इसके कि हाईकोर्ट में यह अवैध घोषित किया जाय या ऐसी वैधानिक आपत्तियां उठें जिनका उत्तर देना मंत्री जी को कठिन हो और कोई दूसरा चारा नहीं है। भारतीय संविधान को दुहाई दी जा सकती है, समाजवाद और साम्यवाद की दुहाई दी जा सकती है और संसार में जितने वाद हैं उन सब का हवाला दिया जा सकता है तो मंत्री महोदय इसका हवाला दे सकते हैं और यह भी मुझे फिक्र नहीं है कि वह लोग समझें या न समझें, वह तो ग्रामोफोन के रिकार्ड की तरह से बोलते हैं। नागपुर में जो हुआ उसको करना उनका परम कर्त्तव्य है, अवध में कुछ हुआ तो उसके लिये भी उनको कुछ कहना आवश्यक है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं तो स्टेट के नियम होने चाहिये, मैं समझता हूं कि उनके संशोधन निर्दोष हैं और सरकार को स्वीकार करने चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमान जी, हमारे मित्र प्रतापसिंह जी का जो संशोधन है मैं उसके सम्बन्ध में अपनी बात कहने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। मेरा कहना यह है कि सरकार यह कहती है कि फारेस्ट लगा कर १५ साल बाद वह वापस कर देंगे यह कितनी गलत बात है। वापस करने का कोई कारण नहीं होगा इसमें बड़ा धोखा है। अगर १५ साल के बाद वापस कर देंगे तो किसान को ही कुछ सहायता दें जिससे वह जंगल लगा दे। आप क्या उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं या ईमानदारी से उत्तम पेड़ लगा सकते हैं? आप तो नौकरों से काम करायेंगे और आपका कहना यह है कि एक एकड़ में फारेस्ट लगाने में आपके १२५ रुपये खर्च होते हैं। लेकिन किसान लगायेगा तो सम्भवतः उसका इतना खर्चा नहीं होगा क्योंकि जैसे वह और कामों में मेहनत करता है वैसे ही इसमें भी कर लेगा। सरकार को धोखा नहीं देना चाहिये। जनता को जो मूर्ख और अपढ़ हैं, उसके भूखों मरने का सवाल है। इसलिये यह बात निरर्थक है। सरकार जब स्वयं बताती है कि उसकी आमदनी जंगल से प्रति एकड़ २ रुपये ६० पैसे प्रति वर्ष है तो इतनी सी आमदनी के लिये, जहां किसान एक एकड़ में ५०० रुपये प्रति वर्ष पैदा कर सकता है, उसकी आमदनी को ठेस लगाकर, देश को भूखों मारना किसी भी तरह से हितकर नहीं है और उस सरकार के लिये जो अपने को जनता की जन, मन, कल्याण करने वाली बतलाती है, केवल कहने के लिये ही है वैसे वह जनता की घातक है। इसलिये यह चीज न उठाई जाय। जंगल के माने वृक्षों की सघनता है, तो प्रत्येक गांव में जंगल हैं, बाग हैं और किसानों ने उनको बड़े प्रेम से लगाया है, धर्मार्थ समझ कर लगाया है और उससे लकड़ी लेकर काम में लाते हैं। सरकार ने जो जंगल लगाये हैं उनसे उनको क्या सहायता मिलती है?

श्रीमन्, हमारे जिले में पिछले साल दो हजार गांव जल गये और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने काफी लिखा कि इनको लकड़ी दे दी जाय। लेकिन एक को भी नहीं दी गई। यह उदाहरण है। पुरानी बात है, जब अंग्रेजों का राज्य था, उस समय फारेस्ट वालों से जो किसान चाहते थे, सहायता ले लेते थे और यहां तक था कि अगर कोई फारेस्ट की भूमि में एक-दो एकड़ में खेत बना लेता था तो उसको गाय, भैंस वगैरह चराने के लिये कुछ नहीं देना पड़ता था। यह सही बात है। मगर आज खेती के नाम पर जो जंगल में थारू लोग बस रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। उनके ३०–४० गांव उजाड़े जा रहे हैं। श्रीमान् जी, यह क्या हो रहा है? यह श्रीमन्, वज्र प्रहार हो रहा है फारेस्ट के नाम पर।

(इस समय १२ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

श्रीमान जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि आप विचारवान हैं, कानून जानते हैं लेकिन जहां आप जरा भी ढील दे देते हैं तो वह एक एटम बम बनकर जनता के सामने पहुंच जाता

[श्री बंशीधर शुक्ल]

है। आपने अपने अधिकारियों को पुलिस भी दे रखी है और जहां चाहते हैं उस भूमि पर वह कब्जा कर लेते हैं। उसके लिये कोई रोक-टोक नहीं है। यह सवाल क्यों उठा है कि जंगल के किनारे की जमीन सरकार ले ले। हमारे जिले में भीखमपुर एक जगह है उसके पास दो-ढाई सौ एकड़ भूमि ऐसी है जहां पर गरीब किसानों ने गेहूं, चना वगैरह बो रखा है। उनको फारेस्ट वाले चरा रहे थे और जहां जंगल वालों की गायें चरती थीं उनको ले कर खेतों में चराने लगे। यह लोगों को बुरा मालूम हुआ और उन लोगों ने इर्द-गिर्द से घेरघार कर ३००-४०० आदमियों ने रोका। रोकने पर फारेस्ट वाले बहुत नाराज हुए और गोली चलाने के लिये आमादा हुए, जनता ने कहा कि गोली चलेगी तो गोली खाने के लिये तैयार हैं लेकिन खेत नहीं चरने देंगे। इसी पर फारेस्ट वालों ने मुकदमा किया और हार गये। यह बिल सरकार को उन्हीं के कहने से लाना पड़ा। हमारा कहना है कि जंगल के किनारे के खेत ले-ले कर जन-मन-कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार क्या अपने को कायम रख सकती है? और यह भी कहने के लिये तैयार है कि हम भी सरकार हैं। इससे अच्छा तो डाकू मानसिंह की सरकार होती तो अच्छा होता, यह धोखा तो न रहता।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, कोरम नहीं है। पंद्रह मिनट के अन्दर दो बार कोरम के लिये कहना पड़ा है। आप रोज रूलिंग देते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, घंटी कब तक बजेगी? क्या इसके लिये कोई समय निश्चित है या जब तक कोरम न पूरा हो तब तक बजती रहेगी?

श्री अधिष्ठाता---कोशिश हो रही है। घंटी बज रही है।

(गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बंशीधर शुक्ल---श्रीमान् जी, यह जो जंगल की भूमि नपवायी जा रही है, हमारे जिले में....

श्री अधिष्ठाता---मैं जानना चाहता हूं कि किस संशोधन पर आप बोल रहे हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं प्रतापसिंह जी के संशोधन पर बोल रहा हूं। यह संशोधन है कि जंगल के किनारे की जमीन न ली जाय।

श्री अधिष्ठाता---इसमें तो यह संशोधन नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल---जज के यहां अपील करने की बात है। यही तो प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि अगर वन विभाग वाले किसान को मारते हैं, तो वह अपील भी नहीं कर सकता, दावा भी नहीं कर सकता, या तो वह वन वालों को रिश्वत दे या उनकी मार खाये। सरकार की ओर से जो यह हत्या हो रही है, इससे दुख होता है। अगर कोई ऐसी सरकार होती जो अपने को महात्मा गांधी का अनुयायी न कहती तो जो उसके दिल में आता करती। अंग्रेज सरकार जिस समय थी तो उस जमाने में हमारे जिले में जंगल सत्याग्रह छिड़ा था। किसानों ने तय किया था कि जंगल को रखने की जरूरत नहीं है। जंगल कटने लगे थे। वह लड़ाई समाप्त हुई। जब आपकी सरकार आयी तो किसान अब जंगल से अपनी बैलगाड़ी भी नहीं निकाल सकता। मैं आपको उदाहरण के रूप में बतला दूं। हमारे यहां गोला से अम्बारा तक एक सड़क जाती है। रास्ते में उल्ल नदी पड़ती है। उस नदी पर एक छोटा सा पुल था। उस पुल पर सरदार जी एक ट्रैक्टर लिये जा रहे थे। उनको फारेस्ट वालों ने रोका, तो उन्होंने कहा मैं कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा हूं। उस पर फारेस्ट वालों ने पुल ही तोड़ दिया। फिर केन-डिपार्टमेन्ट की तरफ से पुल बनाया गया था। तीन-तीन बार

वह पुल तोड़ा गया। जिला अन्तरिम परिषद् में यह सवाल उठाया गया लेकिन आज भी वह पुल टूटा पड़ा है। दोनों तरफ घना जंगल है। बीच में उल्ल नदी है। वह रास्ता ही बन्द पड़ा है। वहां पर समाज कल्याण विभाग की ओर से सांसिया बसा दिये गये हैं, जिससे वहां चोर और डाकू लगते हैं। १२ मील की सड़क बिलकुल बन्द है। इसी पर बिल लाना पड़ा है कि मोटर ट्रैक्टर न निकाले जायं। चूंकि वह सड़क जिला परिषद् की है जंगल विभाग की नहीं तो यह क्या हो रहा है? इस जुल्म को हम जंगल के किनारे रहने वाले रातदिन देखते हैं। जंगल में, श्रीमान् जी, पहले बिना रोकटोक गायें भैंसें चरा करती थीं। उनके लिये वहां पर लोग गौढ़ी, फूस और लकड़ी से छवाकर बना लिया करते थे। वह लकड़ी उनके जंगल से मिल जाया करती थी। उनमें उनकी गाय और भैंसे रहा करती थीं। अब जंगल वाले उनसे कहते हैं कि जितना दूध हो वह सब तुम हमको दे दो। अब अगर किसी के पास ५०,१०० गायें हैं और उनके दूध को वह इन जंगल वालों को दे दें तो फिर अपना निर्वाह कैसे करे?

श्री अधिष्ठाता—इस संशोधन से इसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल—संशोधन से वास्ता आपको नहीं है क्योंकि आपके यहां जंगल नहीं है। मगर इस सम्बन्ध में जब मुकदमा हम करेंगे तो जज के पास जायेंगे तो वह फैसला करेंगे। मगर जब हम वहां पहुंच ही नहीं पावेंगे तो फैसला कैसे होगा, यह आप के जंगली डाकू करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—सब मुकदमों की बात यहां पर नहीं आ सकती है। जब जमीन लेने के बाद झगड़ा होगा तब वह आयेगी।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं आपको उदाहरणस्वरूप बतला रहा हूं कि हमारे यहां एक मुकदमा इस सम्बन्ध में जनता ने दायर किया था। उस मुकदमे के सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं हुई और न हो सकती थी क्योंकि मैजिस्ट्रेट आप से तनख्वाह पाते हैं जनता की क्यों सुनें। जज जरा-जरा से लड़के हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं। अर्जी दावा पढ़ते नहीं, फैसला कर देते हैं। जज और वकील लोगों की बात भी आप देख लें, आप खुद जानते हैं यहां लखनऊ में वकील लोग कहते हैं कि जब जज साहब हमारे मन के हों, तब मुकदमा लगवाये। मुल्ला साहब हमारे जज हों या दूसरे जज हों, तब हम अपना मुकदमा लगायेंगे। इस तरह से न्याय बिकता है, उसमें भी जंगलों की दुर्दशा कहने का हमें अधिकार नहीं, यह क्या हो रहा है? आज जो अदालतों में फैसले हो रहे हैं वह बिलकुल गलत हो रहे हैं। किसी भी इजलास में आप चले जाइये यही व्यवस्था मिलेगी। तो ऐसे इजलास में यदि वन विभाग का मुकदमा चला जाय तो इंसाफ नहीं होगा मगर फिर भी ले जाने का हक नहीं। वहां पर कुछ नहीं होगा में एक उदाहरण आपको और बतलाऊं। इस तरह का उदाहरण आपको हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगा।

हमारे यहां शारदा नदी के किनारे ६ मौजे बसते हैं। गिरदा, निवासी, महाराजगंज, इलनगंज, कांप कटैया, फूटा कुआं। इन गांवों में पुश्तदरपुश्त से लोग बसते चले आते हैं। इन गांवों के लोग जब खेती करते हैं तो अपने खेतों की रक्षा के लिये घास-फूस की ऊंची टट्टी लगा देते हैं जिससे जंगली जानवर उसमें न आ सकें। सारा का सारा गांव इसी डर की वजह से एक कोने में खेती करता है। तो अब उन गांव वालों को न तो फूस मिलता है और न लकड़ी दी जाती है। यदि वे अपने खेतों की रक्षा करना चाहे तो किस प्रकार करें। यह सवाल अब पैदा होता है। सिंचाई के साधन वहां पर हैं नहीं। चारों तरफ जंगल है। पहले राजा लोगों के ये जंगल थे। राजा लोगों ने उनको सब सहूलियतें दे रखी थीं। मगर अब हमारी श्रीमती सरकार आसिया ने उन गांवों से सब कुछ छीन लिया है। एक मुकदमा उन्होंने दायर भी किया था कि हमारा वहां पर पुश्तैनी हक है और हमको ये सहूलियतें दी जायं? मगर कुछ नहीं हुआ। यदि ये सहूलियत नहीं दी जा रही है तो फिर क्या होगा किसान कहीं जंगल में निकल पड़े तो आप ५० के बजाय ५०० रुपया उन पर जुरमाना करेंगे। जिसकी मोटर, साइकिल, ट्रक वहां से गुजरेगी उनको आप पकड़ लेंगे और बन्द कर देंगे और उन पर मुकदमा चलाकर ५०० रुपया जुरमाना कर देंगे। अगर वह इजलास में जाता है तो वहां पर जय भारतमाता की की! तो

[श्री बंशीधर शुक्ल]

यह क्या हो रहा है ? मैं कहता हूं कि किसानों की तरफ आप देखें । क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वन लगाने के लिये जमीन किसानों को दी जाय । किसान अच्छी तरह से जंगल लगा सकते हैं....

श्री अधिष्ठाता---यह आप कह चुके हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल---जब आप टोकेंगे तो बात दोहरानी पड़ेगी ही । पहले वन की भूमि जमींदारों की थी । अब जमींदारी समाप्त हो गई तो वह सरकार के हाथ में आ गई । अब आप वन के जागीरदार बन गये हैं । वन के असली जागीरदार होते हैं शेर और बनकुतिया । आप कौन हैं ? शेर और बनकुतिया ही जंगलों की रक्षा करती हैं । हमारे जिले से मिला हुआ नैपाल राज्य है वहां पर थारू लोगों को सभी सहूलियतें हैं । अगर कोई नई जमीन तोड़ता है तो उससे तीन साल तक लगान नहीं लिया जाता है । वनों से चाहे जितनी लकड़ी इस्तेमाल करे कोई कर नहीं लिया जाता है । अगर वे जंगल की लकड़ी काटकर कोई व्यापार करें तो कोई रुकावट नहीं है । एक वसूले पर ५ रुपया पड़ता है । इसी प्रकार की सहूलियतों के लिये जब मुकदमा करना चाहे तो वहीं आपने रोक दिया । एक तो मारें और दूसरे हमको उसकी फरियाद भी न करने दें । आप गोली चलायें, लेकिन हम आह भी न निकालें । तो श्रीमन्, इस प्रकार की बात सरकार द्वारा नहीं होनी चाहिये । अगर ऐसा सुल्ताना डाकू करता तो कोई बात होती, मानसिंह डाकू करता तो कोई बात होती, लेकिन सरकार तो अपने को निजाम का ठेकेदार कहती है, उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिये । तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की भावनाओं का खयाल रखते हुए सरकार अपना यह प्रस्ताव वापस ले ।

श्री अधिष्ठाता---क्या वह अपना संशोधन वापस लें ?

श्री बंशीधर शुक्ल---सरकार का जो प्रस्ताव है उसे सरकार वापस ले । इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह जो आपने हिन्दी में लिख रखा है अगर इसे छपवा कर बंटवा दें और उसके बाद हम और आप एलेक्शन लड़ लें तो आप हार जायेंगे, जनता आपकी थू-थू करेगी ।

श्री अधिष्ठाता---आप बटवा दीजियेगा ।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं तो बटवा ही दूंगा और कहूंगा कि यह सरकार ने किया है । यह कहते हुए मैं श्री प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव वापस ले ।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी मैंने अपने विरोधी दल के सदस्य महोदय का भाषण सुना । काफी गौर से मैं सुनता रहा । वैसे तो ३,४ दिन से बराबर इस विधेयक पर चर्चा चल रही है, परन्तु जहां तक न्याय प्रणाली का प्रश्न है, वह हर विभाग के अनुसार उस विभाग के अधिकारियों को अधिकार दे कर ही तय की जाती है । अधिकारियों को उस के लिये अधिकार रहता है एक हद तक । जहां तक जजेज का सवाल है, यदि हम हर एक बात के लिये, हर एक केस और मुकदमें में जजेज के पास जाने लगें तो पता नहीं कि उस दशा में हम उतने जजेज कहां से लायेंगे ? आज जो हमारे मुकदमें पड़े हुये हैं उनको ही हमारे जजेज नहीं निपटा पाते । अभी अंग्रेजी राज्य का एक उदाहरण दिया गया कि जब अंग्रेजी राज्य था तो राजा महाराजाओं के और जमींदारों के जंगल थे और उन्हें अधिक सुविधायें मिली हुई थीं ।

श्रीमान् जी, यह ठीक है कि उस समय पता नहीं कितनी-कितनी सुविधायें मिली हुई थीं, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो आप अपने विधानों द्वारा ही उनकी तमाम सुविधायें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेते गये और दिन रात इसी सदन में यह कहते रहे कि उनको जो सुविधायें दी जा रही हैं वह बन्द की जायं। समझ में नहीं आता कि आप एक समय तो मजदूरों के शुभचिंतक बन जाते हैं दूसरे समय में किसानों के। कभी बटवारे की बात करते हैं तो कभी शोषकों की। सब से बड़े उन गरीबों के खून चूसने वाले वह लोग हैं कि जो उनका शोषण करते हैं। आज उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों में एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी जमीन का बटवारा किया हो, अपने जंगलों में किसानों को सुविधा दी हो और एक से एक राजे महाराजे विरोधी दल में मौजूद हैं। आप मंत्री जी की बात कहते हैं लेकिन आप समझें कि आप क्या करते हैं। आप क्या बात कहते हैं? जब आप हाउस में बात करते हैं तो बघारते हैं कि किसानों को सुविधायें नहीं दी जातीं।

श्री अधिष्ठाता---हरी सिंह जी, आप मुझे सम्बोधित करें।

श्री बंशीधर शुक्ल---जिसके पास जमीन होगी वही तो देगा।

श्री हरीसिंह---तो मैं आप के द्वारा माननीय बंशीधर जी से यह कहना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्य ऊटपटांग कविता करना जानते हैं, चाहे उसका अर्थ कुछ भी हो। तो मैं आपके द्वारा उत्तर दे रहा हूं कि उन्होंने जो किसान या बढ़ई की बात कही, उस समय हमारे देश में लकड़ी की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी कि आज स्वतंत्र होने के बाद देश में लकड़ी की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---माननीय बंशीधर जी, आप जब बोल रहे थे तो वे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आप शांत रहें।

श्री हरीसिंह---आपके द्वारा मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि वे कल और परसों से इतनी गालियां दे रहे थे, लेकिन यहां जूं भी नहीं रेंगी और आज एक जरा सी बात कही और वह भी सच बात कही, जिसका कि उत्तर उनके पास नहीं है तो (माननीय वक्ता ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया) श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि वह अपनी बातों को पूरी तरह से यहां कहना चाहते हैं। हमारा हृदय देखें कि कितना विशाल है, कितना पत्थर हृदय है कि उनकी हर बात हम सुनने की सामर्थ्य रखते हैं।

(श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---आप बाहर जाकर लड़िये, कृपया यहां सदन में शान्त रहिये यह तो कोई तरीका नहीं है कि जब वह बोल रहे हैं तो आप बीच-बीच में टोकते रहें। जब आप बोल रहे थे तब वे भी तो सुन रहे थे।

श्री हरीसिंह---मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब भी उनकी बातों का उत्तर इधर से दिया जाता है, वे उसको सुनते नहीं हैं, उसको वे कृपया सुना करें। जब भी इधर से कोई बोलता है तो वे भी कभी यह कहते हैं कि कोरम नहीं है, कभी बीच-बीच में टोकने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको ध्यान से सुनना चाहिये। हम भी तो उनकी बातों को सुनते हैं।

तो अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था, कि अभी जो बढ़ई की बात कही गयी कि वे लोग ५ रुपये वसूल करते थे और उसके एवज में किसान मन चाही लकड़ी काट लेता था। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं और वे जानते होंगे कि अंग्रेजों के राज्य में कभी जंगल काट कर खेती नहीं हुई। इसके अलावा मैं एक बात और उनको बतलाना चाहता हूं कि उस समय लकड़ी का भाव क्या था? उस समय जो लकड़ी १ रुपये फुट और दो रुपये फुट थी आज वह लकड़ी १२ और १३ रुपये फुट है। उस समय सोल्ते को कोई पूछता नहीं था आज वह भी दो रुपये मन है। बार-बार हमारी सरकार ने वन-महोत्सव के अवसरों पर यह कहा कि अपने खेतों की मेंड़ों पर पेड़ लगाइये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितने वनों को तैयार किया

[श्री हरीसिंह]

हैं । आप सिवाय इसके कि यहां पर हर बात की आलोचना करें या कविता पढ़ें, कुछ नहीं करते । आप बताइये कि आपने कितने पेड़ लगाये ? वे लोग सिवाय आलोचना करने, विरोध करने के और कुछ कर नहीं पाते ।

अधिष्ठाता महोदय, इस तरह से न तो किसानों का ही भला हो सकता है और न देश का ही भला हो सकता है । इधर भी जनता के नुमाइन्दे बैठे हुए हैं, इधर भी सरकार में बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं जो जनता द्वारा ही चुन कर आये हैं । हो सकता है कि इस विधेयक में कुछ त्रुटि हों, पर वे दूर हो सकती हैं । आपको तो इस तरह के विधेयक का स्वागत करना चाहिये, इसका समर्थन करना चाहिये । न्याय के लिये उसे दूर-दूर तक न भटकना पड़े, इसीलिये यह व्यवस्था की गई है कि सरकार जिस अधिकारी को इसके लिये नियुक्त करे, उससे उसे शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके । न्याय उसको, जो अधिकारी सरकार नियुक्त करेगी, उससे ही मिल सकेगा । इसलिये, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है वह उसे वापस ले लें । जो लोग इसमें काम करने वाले हैं, जंगलात में उनको कुछ सुविधा दी जाय, उनका वेतन बढ़ाया जाय, जो ठेकेदार हैं उनको कुछ सुविधा दी जाय, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाय, इस तरह की कोई बात होती, तो वह ठीक होती । लेकिन इस तरह की तो कोई बात है नहीं, जो सरकार कर रही है, उसका आप विरोध कर रहे हैं । इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि अगर आप जनता का हित चाहते हैं, उसका अहित नहीं करना चाहते, तो आप अपने इस संशोधन को वापस ले लें ।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, इसमें कई तरमीमें पेश हो चुकी हैं और उन सब तरमीमों के ऊपर एक साथ बहस चल रही है । मैं थोड़े से लफ्जों में उन बड़ी तरमीमों के मुताल्लिक जो पेश हुई हैं, कुछ कह देना चाहता हूं । इनमें से कोई भी ऐसी तरमीम नहीं है जिसको मंजूर किया जा सके ।

पहली तरमीम जो पेश हुई है वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां एक अपील कर दी जाय और जंगल विभाग के लोगों पर एतमाद नहीं है । सही है, हो सकता है एतमाद न हो, लेकिन अगर आप ३८-एच देखें तो उसमें पहले ही जुमले में साफ कर दिया गया है—

"Whenever it appears to the State Government that the taking over of the management of any particular forest...."

आखिरी फैसला गवर्नमेंट करेगी । आफिसर्स जो हैं वह खाली प्रोसीजर को पूरा करेंगे और उज्रदारी की तारीख मुकर्रर करेंगे, उज्रदार आवेगा, उसके उज्र की रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे लेकिन कोई जंगल लिया जाय या नहीं, यह स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार रहेगा, फारेस्ट के कोई अफसरान फाइनल फैसला नहीं करेंगे । यह जरूर है कि जो एतराजात हैं वह उनके सामने होंगे । तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है ।

दूसरी तरमीम यह की गयी है कि "२०" का "१०" कर दिया गया । मेरा कहना यह है कि यह २० जो रखा गया है यह भी बहुत कम है और दूसरे यह तो मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा मैनेजमेंट कास्ट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है । तब भी ८० फीसदी मुनाफा बहरहाल हमको वापस करना पड़ेगा । लेकिन अगर २० से भी कम खर्चा कर सकते हैं तो करेंगे । इससे कम हमारा खयाल है कि नहीं होगा, लेकिन अगर कम खर्च होगा तो दे देंगे—

"Not exceeding 20, as may be prescribed by the rules."

और यह कैसे होगा ? कहा गया कि बहुत मुमकिन है इसमें गलती हो, यह सब कुछ है । लेकिन उसके मुताल्लिक ३८-एम की तरफ तवज्जुह दिलाऊंगा, जिसमें साफ तौर से लिखा है—

"Provided for the items for which and the manner in which, the cost of management shall be calculated."

तो उसके मुताबिक खर्च बनावेंगे ।

वह जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपील का प्रस्ताव था, तो उसका भी प्रोसीजर गवर्नमेंट प्रेसक्राइब करेगी। तो इसमें किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं रही। "२०" तो ऐसी रकम है और इतनी कम है कि कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

इसी तरह से कुछ यह भी कहा गया कि गांव समाज की जमीन मुमकिन है सरकार के फारेस्ट अफसरान ले लें। तो कोई इसका अन्देशा नहीं है। जहां तक गांव समाज की जमीन है उसका कोई ताल्लुक इस दफा से नहीं है।

आखिरी तरमीम जो है वह ३८-जे में की गई है। उसमें दो चीजें बढ़ाने की तजवीज है। पहली यह है—

"The person whose land, trees or structures thereupon are so taken shall be entitled to receive compensation."

दूसरी यह है—

"Provided that land will be returned to the original owner in case the latter satisfies the Government or gives an undertaking that he will maintain and preserve the developed forest as such."

मेरी समझ में इन तरमीमों की गुंजायश यहां बिलकुल नहीं है। ३८-जे जो इस बिल की है, उसे आप मुलाहजा फरमायें—

"In the case of a forest, possession whereof was taken over by the State Government prior to the commencement of the Indian Forest (U. P. Amendment) Act, 1960, and the management whereof is taken over in accordance with the provisions of section 38-H, the State Government shall, in the absence of a contract between the State Government and the person concerned to the contrary, be liable to pay, for the period commencing from the date of possession till the issue of the notification under the said section, the balance of income accruing therefrom in accordance with the provisions of section 38-I(ii) as if the provisions of the aforesaid Act had been in force at all material dates and the management of such forest had been assumed on the date of taking over possession thereof; anything contained in any other law, custom, usage for the time being in force or contract to the contrary notwithstanding."

इसके माने यह निकले हैं कि जो जंगल इस वक्त हमारे कब्जे में नहीं हैं उनके लिये कोई मुद्दत नहीं है और वह जो हमारे कब्जे में हैं उनको २-४ बरस तक नहीं कटने देना है। लेकिन मालिक अगर दूसरा है तो इन वर्षों में उसका हिसाब-किताब उन्हीं उसूलों पर होगा जिनका इस ऐक्ट में प्राविजन किया जा रहा है। इसमें इसका कोई सवाल नहीं है कि कोई शख्स किस प्रकार से मैनेजमेंट करता है या नहीं करता है, उसके लिये तो अलहदा नोटीफिकेशन होगा। इस सिलसिले में तो हिसाब-किताब की बात कही गयी है। जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है उसका प्राविजन तो इसमें है ही लेकिन उसका केलकुलेशन बेसिस क्या होगा, इसको साफ कर दिया गया है। इसलिये ये दो तरमीम गलतफहमी पर मबनी मालूम होती हैं क्योंकि इसमें उन बातों की कतई गुंजाइश नहीं है।

आखिरी चीज जिसके लिये तरमीम पेश की गयी है कि दफा ६ निकाल दी जाय वह तो ऐसी है कि पूरे ऐक्ट को पेश ही न किया जायं।

श्री अधिष्ठाता—आप उसका जवाब दीजिये जिसमें कहा गया है कि खण्ड ६ के अन्त में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं।

श्री सैयद अलीजहीर—जहां तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है उसके जरिये से तो यही कहा गया है कि मालिक अगर अंडरटेकिंग दे ठीक इंतजाम करने की तो उससे जंगल न लिया जाय।

[श्री सैयद अली जहीर]

लेकिन उससे पहले तो नोटीफिकेशन हो जाता है, जमीन ले ली गयी, उसका इन्तजाम हो गया, इन सब चीजों के खत्म होने के बाद रूल्स भी बन गये, तब कहा जाता है कि अगर कोई अपना इन्तजाम कर सकता है तो वह जमीन न ली जाय । यह तो पहली दफा में आया है कि जो कोई चाहे एतराज करे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट फैसला करेगी कि आया यह जंगल लिया जाय या न लिया जाय । यह तो खुद गवर्नमेंट को अख्तियार है कि अगर वह देखे कि किसी जंगल का इन्तजाम अच्छा है तो वह उसको छोड़ सकती है । अगर कोई जंगल का इन्तजाम अच्छी तरह से कर रहा है तो खामख्वाह उसको ले लिया जायगा, यह इसमें कहीं नहीं है । बिल में यह साफ तौर पर बताया गया, खंड ३८-एम (२) में कि ऐसी हालत में जिसमें हम यह समझते हैं कि मालिक खुद अच्छी तरह से इन्तजाम कर रहा है, उसका जंगल लेने की जरूरत नहीं है । जिस वक्त रूल्स आयेंगे उस वक्त ऐसे सजेशन्स दिये जा सकते हैं, लेकिन यहां पर इस अमेंडमेंट को पेश करने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधनों का समर्थन किया है और अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार के सामने रखे हैं । माननीय भूतपूर्व न्याय मंत्री के अलावा और किसी ने जवाब दिया होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता । वे न्याय मंत्री रहे हैं उन्होंने कहा है कि जज के यहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिये कि इस विधेयक में गवर्नमेंट ही फायनल अथारिटी है । मैं समझता हूं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका का कोई मिनिस्टर यह कहे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा इसलिये कि उनके यहां जुडीशियरी सुप्रीम है लेकिन यहां पर लेजिस्लेटिव सुप्रीम है । जहां जुडीशियरी सुप्रीम नहीं है वहां चीजें बिलकुल डेफिनिट होनी चाहिये । अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि गवर्नमेंट ही फायनल अथारिटी है तो वह हो नहीं सकती । गवर्नमेंट को और न्यायिक शाखा को अगर हम एक तराजू पर तौलें तो यह गलत बात है । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संशोधन में क्या विरोधाभास है । वह यह चाहते हैं कि अपील गवर्नमेंट में ही रहे, मैं यह कहता हूं कि अपील न्यायिक शाखा के यहां सुपुर्द कर दी जाय इसलिये कि फारेस्ट आफिसर की एप्वाइंटिंग अथारिटी गवर्नमेंट खुद है और इसलिये वह अपने एप्वाइंट किये हुए आदमी का पक्ष लेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो ऐग्रीव्ड व्यक्ति है उसको अदालत में जाने देना चाहिये । जवाब देते हुए मंत्री जी ने कहा कि जमीन के लेने के लिये एक प्रोसीजर रखा है । अब मेरे पास तो, मान्यवर, बुद्धि नहीं है कि मैं उनको समझा सकूं लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि जंगल लेने के लिये आप क्या कर रहे हैं । मैंने तो यह कहा है कि जंगल लेने के बाद अगर वहां का जो निवासी है उसके पास नोटिस आती है कि इस जमीन पर तुमने जबरन कब्जा किया है, छोड़ दो और अगर वह नहीं छोड़ता है तो क्या होगा ।

इसी सदन में एक बार आया था कि झांसी में एक हरिजन की झोपड़ी में आग लग गयी लेकिन फारेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कोई नोटिस नहीं दी गयी और जब यह फारेस्ट ऐक्ट में आता है तो क्या गारण्टी है कि कल विधेयक के पास हो जाने के बाद हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा और हम गवर्नमेंट के यहां अपील भी कर सकेंगे । जब फारेस्ट मंत्री जैसा सुलझा हुआ आदमी स्वयं कहता है कि यह लॉ आफ जंगल है । तो जहां पर आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी० आदि न चल कर जंगल का लॉ चलता हो तो फिर मैं क्या कहूं । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कोई नोटिस नहीं दी गयी । तो जब लॉ आफ जंगल चलता तो वहां पर समझिये कि जिन्दगी खतरे में है । जो छोटा आदमी वहां पर जंगल के आस-पास है और जिसका सम्पर्क फारेस्ट अधिकारियों से होता है और जिसको पत्तियां या जलाने के लिये लकड़ियां लानी पड़ती हैं उसका जीवन बड़े खतरे में हो जाता है । मैं समझता हूं कि लॉ आफ जंगल को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन की परमावश्यकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप १५ साल की जमीन लेना चाहते हैं उसके लिये हमने कुछ नहीं कहा है। विरोधी दल की मांग तो सिर्फ यह है कि अगर कोई कहता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो फिर कौन-सा ऐसा आर्टिकिल है जिसके अनुसार आप उसको हाईकोर्ट में जाने से रोक सकते हैं, ? आप नहीं रोक सकते हैं। यह उसका फंडामेंटल लॉ के अनुसार अधिकार है। अगर आप यहां नहीं करते हैं तो फिर उसके लिये रिट भी आ सकता है। संविधान उसकी रक्षा करता है, जहां गवर्नमेंट अपनी फायनल अथारिटी समझती है। माननीय मंत्री जी को इस गलतफहमी को अपने दिमाग से दूर करना चाहिये और इसे ठीक कर लेना चाहिये।

दूसरी बात के लिये मैं उनका आभारी हूं कि आखिरी संशोधन के लिये उन्होंने कहा है कि जब रूल्स आयेंगे तो उसमें हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन सही है और धारा के अन्दर में नहीं आ सकता है और माननीय मंत्री जी उसे लेने के लिये तैयार हों तो जहां पर वह संशोधन उपयुक्त हो वहीं पर ले लिया जाय।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन उचित होगा लेकिन इस धारा ६ के आखीर में नहीं आ सकता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे न्याय मंत्री रह चुके हैं, कानून के अच्छे ज्ञाता हैं, धारा के जिस किसी स्थान पर भी वे इसे रखना उचित समझते हों वहीं रख देने की मेहरबानी करें। जब वे संशोधन के औचित्य को समझते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। मान्यवर, मैं अधिक न कहते हुए केवल एक बात ही कहना चाहता हूं। इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जमींदारी एबालिशन प्लेन में हुआ, कुमायूं में भी जमींदारी एबालिशन हुआ, उन सब जगहों पर कम्पेन्सेशन की बात आपने रखी है। लेकिन जब किसी फारेस्ट के लिये उसकी एडजेसेंट जमीन ली जाय तो आप उसके लिये एक पैसा भी नहीं देना चाहते हैं। हमारा सुझाव है कि यह पहले से आपकी परिभाषा में मौजूद है। जब आप किसी की जमीन लें तो सरकार को उसके लिये कम्पेन्सेशन देने को तैयार होना चाहिये। जब सरकार कम्पेन्सेशन के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुकी है तो मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह यहां पर इसको स्वीकार करने के लिये क्यों नहीं तैयार होती है? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें कौन-सी दिक्कत व कठिनाई पैदा हो रही है? इस संशोधन के साथ-साथ जब हम इस बात की मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो तो मुझे आश्चर्य होता है जब कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जो न्याय मंत्री रह चुके हैं, वे इस का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसके लिये किसी अदालत में जाने का हमको हक नहीं है। मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार हमको न्याय मांगने का पूरी तरह से अधिकार है।

मान्यवर, आप को पता है कि यहीं पर बहुत से विधेयक सरकार जल्दीबाजी में पास करा लेती है जिसके ऊपर बाद में हाईकोर्ट में रिट दायर होते हैं और वे अल्ट्रावायरस करार दिये जाते हैं संविधान के। तो माननीय मंत्री जी के दिमाग में जो एक गलतफहमी है कि गवर्नमेंट ही फायनल अथारिटी है, लिहाजा किसी जज के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वह सही नहीं है। क्योंकि यहां पर जुडिशियरी सुप्रीम नहीं है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है। संविधान में इस बात की गारंटी है कि सब को समान अवसर न्याय पाने का है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमारे इन मासूम संशोधनों को स्वीकार कर अपनी उदारता का परिचय देगी।

श्री सैयद अली जहीर—एक और अमेंडमेंट शायद एक माननीय सदस्य ने पेश किया है, उनको अगर राइट आफ रिप्लाई हो तो उनको भी मौका दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने तो विरोध किया था।

श्री सैयद अली जहीर—मैं तो केवल प्रोसिज्योर पूछ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—कोई राइट आफ रिप्लाई नहीं है। आप बोलें।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, जो कुछ मुझे कहना था वह तो मैं पहले ही बतला चुका हूं और जैसा मैंने कहा कि जब ऐक्शन गवर्नमेंट लेगी तो न्याय के लिये डिस्ट्रिक्ट

[श्री सैयद अली जहीर]

जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में यह मामला नहीं आ सकता। वह तो गवर्नमेंट का जो डिसिजन होता है वह लेजिस्लेचर के सपोर्ट से होता है, उसकी सहमति उसे हासिल होती है। जो लेजिस्लेचर है वह एक सुप्रीम बाडी है, उसके किसी फैसले पर किसी को बीच में लाना कोई माने नहीं रखता है। अगर हम कोई गैरकानूनी बात करते हैं तो उसके लिये तो कांस्टीट्यूशन में लोगों को राइट हासिल है ही। आखिरी बात जो कही गयी कि हमने यह कहा कि अमेंडमेंट सही है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो यह कहा था कि अमेंडमेंट की जो स्पिरिट है वह सही है कि इस तरह से किसी आदमी का जंगल न लिया जाय। यदि कोई अपने जंगल का इन्तजाम अच्छी तरह से करता है, उसको डेवलप करता है तो विकास की दृष्टि से अपनी जगह यह बहुत सही बात है कि ऐसे आदमियों से इन्तजाम न लिया जाय और उसके लिये मैंने जवाब दिया कि उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो जब कोई आब्जेक्शन करता है और उसके लिये अंडरटेकिंग देता है कि हम इसका इन्तजाम अच्छी तरह से करेंगे तो उस वक्त सरकार को इसे मान लेना चाहिये। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सरकार जिस वक्त रूल्स बनावे उस वक्त रूल्स में इस बात का आविजन कर दे। ये दोनों बातें इस वक्त सम्भव नहीं मालूम होतीं इस वजह से मैं इस संशोधन की मुखालिफ़त करता हूं और बहैसियत मिनिस्टर इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता—एक और दो बजे के बीच इस पर वोटिंग हो नहीं सकती, इसलिये पहले मिनिमम वेजेज विधेयक हो जाय, उसके बाद फिर इस पर वोटिंग कर लेंगे।

दि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०*

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मुझे दुख है कि माननीय यादव जी जैसे योग्य उपमंत्री द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया है। मैं इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये मजबूर हूं। यह संशोधन विधेयक जो यहां लाया गया है उसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो चुकी है। मैं भविष्य के लिये सफाई कराना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था हो जाय कि अब यह केवल इसलिये लाया जा रहा है कि जहां इसमें १९५९ आया है उसकी जगह १९६० कर दिया जाय। यह संशोधन अवधि की समाप्ति से पहले २८,२९ दिसम्बर तक आ जाना चाहिये था ३१ दिसम्बर सन् ५९ से पहले ही आना चाहिये था, आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार फिर पावर्स को बढ़ाना चाहती है। आज कोई ऐक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, अवधि समाप्त हो चुकी, सेंटर का ऐक्ट जरूर है, उन्होंने कहा कि आप कानून बनायें। आज अगस्त सन् १९६० आ गया और १९५९ एक्सपायर हो गया तो उस वक्त से अब अगस्त में आकर उस बिल की पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस पर मैं व्यवस्था आप की चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप यादव—अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो मौका भी नहीं दिया गया कि मैं इस चीज को अपने बयान में साफ करता कि किन कारणों से इस तरह से यह लाया गया है, क्या इस की इम्पलीकेशन्स हैं। किन कारणों से दिसम्बर, १९५९ में अवधि समाप्त होने के बाद अब अगस्त सन् १९६० में लाया गया है और क्यों इस बीच में सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये और मिनिमम वेजेज मुकर्रर नहीं हो सकीं और अब क्यों अवधि बढ़ाई जा रही है, यह सब स्थिति मैं निवेदन करूंगा, जब विचार करने के लिये मैं सदन से निवेदन करूंगा।

---

*९ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसकी मियाद ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई और अब पावर को उस पिछली तारीख से बढ़ाया जा रहा है और जनवरी सन् १९६० रखा जा रहा है। उन्हें पहले ही इसको समय से लागू करना चाहिये था लेकिन वह नहीं कर सके। इस से पहले भी कई बार अवधि बढ़ाने के लिये बिल आये हैं, हमने उनका समर्थन किया है, लेकिन अब जब कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता, जो आउटडेटेड चेक हो गया उसको लेकर क्या अब पिछली तारीख से पावर वह बढ़ा सकते हैं? यह व्यवस्था मैं चाहता हूं। इस तरह से तो जितने पुराने कानून हैं कभी भी किसी की तारीख बदली जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता—मैंने माननीय प्रतापसिंह जी के व्यवस्था के प्रश्न पर बड़े गौर से विचार किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मंत्री जी इस बिल को ला सकते हैं उसकी अवधि बढ़ाने के लिये। अब इसका क्या नतीजा होगा, ३१ दिसम्बर सन् १९६० से आजतक के वक्त का क्या होगा यह तो जज फैसला करेगा, लेकिन जहां तक बिल लाने का सवाल है वह तो वह ला ही सकते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—अधिष्ठाता महोदय, मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ में यह दिया था कि एक अवधि के भीतर दिये गये शिड्यूल के पार्ट १ और पार्ट २ में जो चीजें दी हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के बारे में उनके लिये मिनिमम वेजेज मुकर्रर की जायं। पार्ट १ में एग्रीकल्चर के विषय में है और पार्ट २ में कृषि सम्बन्धी जो ट्रेड्स के एम्प्लायमेन्ट हैं उनके विषय में है।

श्रीमन्, जहां तक नान-एग्रीकल्चरल जो रोजगार थे उनमें मिनिमम वेजेज का सवाल था, उनमें अधिकतर समय-समय पर शासन ने मिनिमम वेजेज मुकर्रर कर दिये। एग्रीकल्चरल एम्प्लायमेन्ट के बारे में फेज एक बनाया गया कि इस तरह से धीरे-धीरे शुरू करना चाहिये और उसी के अनुसार कार्यक्रम चलता था। ३१ मार्च सन् १९५२ तक पार्ट वन के एम्प्लायमेन्ट का था। उसमें जो स्थिति मार्च, १९५२ के बाद रही थी वह यह रही कि ३ ऐसे एम्प्लायमेंट थे जिनमें कि मिनिमम वेजेज फिक्स नहीं हो सके। दो ऐसे थे जो कि इस प्रदेश में देखे नहीं जाते, केवल अल्मोड़ा और गढ़वाल के जिलों में प्लान्टेशन का विषय रह गया। एग्रीकल्चरल एम्प्लायमेन्ट का जो फेज था उसके अनुसार सितम्बर, १९५२ तक उन १२ जिलों में जिनमें ५० एकड़ से अधिक के फार्म थे उनके मिनिमम वेजेज की धारा ३ के अन्तर्गत घोषणा कर दी गई। सन् १९५४ से सब जिलों में केवल पहाड़ी जिलों को छोड़कर यह मिनिमम वेज लागू कर दिया गया। सन् १९५८ में तराई और भावर भी इसमें शामिल कर लिये गये, जिसके अनुसार जितने ५० एकड़ के फार्म थे प्रदेश में, केवल पहाड़ों में छोड़कर, उनमें धारा ३ के अनुसार मिनिमम वेज मुकर्रर कर दिया गया। मई, १९५९ में ५० एकड़ के फार्म के अलावा पूरे प्रदेश में यह लागू कर दिया गया और अब यह स्थिति रही कि केवल दो जगह इस वक्त रहीं जहां कि एग्रीकल्चरल मिनिमम वेजेज मुकर्रर करनी रही सरकार को। ए क तो एम्प्लायमेंट इन प्लान्टेशन इन अल्मोड़ा ऐण्ड गढ़वाल और दूसरा एम्प्लायमेन्ट इन एग्रीकल्चर इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स—तो दो ही जगह बचीं, एक तो पहाड़ी इलाके में जहां ५० एकड़ से कम फार्म हैं और अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में जहां प्लान्टेशन होता है।

इस सिलसिले में सुझाव भी सरकार ने रखे और उनको नोटीफाई भी कर दिया, लेकिन उन्हें फाइनल नहीं किया जा सकता है जब तक कि दिसम्बर, १९५९ से ६० न कर दिया जाय। इसलिये यह आवश्यक हो गया कि एक क्लाज का बिल लाया जाय और सन् १९५९ के बजाय सन् १९६० कर दिया जाय और जो दो रह गये हैं—पहाड़ी इलाका और अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में प्लान्टेशन—उनको फाइनल करके लागू कर दिया जाय। इसी आशय से यह छोटा-सा बिल लाया गया था। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यह साधारण सा बिल है जिसको मैंने इस सदन के समक्ष विचार के लिये रखा है। संशोधन मुझे अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन यह अवश्य है कि मिनिमम वेजेज और जगह भी लागू किये जायं, इस बात को सभी स्वीकार करेंगे।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन ७ दिन के भीतर प्रस्तुत करे और जिसको परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो। मान्यवर, मेरे प्रस्ताव के दो रूप हैं—एक तो यह कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय और दूसरे उसको परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

इससे पहले कि मैं अपने प्रस्ताव के दोनों रूपों पर बोलूं, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न कि मिनिमम वेजेज विधेयक का टाइम लिया जाय कब हमारे सामने आया ? मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, लेबर कान्फ्रेंस हुई ५ जनवरी, १९६० को और उसमें सब स्टेट्स के मिनिस्टर्स ने यह सुझाव रखा कि हम अपने यहां मिनिमम वेज सब जगह नहीं लागू कर सके हैं लिहाजा केन्द्र के ऐक्ट में संशोधन होना चाहिये। तो नंदा जी ने जो कहा उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"Regarding the question of minimum wages, the Union Minister, Mr. G. L. Nanda, said the Centre was not in favour of amending the Minimum Wages Act to provide for an extension of the time limit for fixing minimum wages in scheduled employments where this had not already been done. The statutory time limit expired on December 31, 1959."

यह कहा कि केन्द्र का जो ऐक्ट है उसमें कोई भी संशोधन हम समय बढ़ाने के लिये नहीं लाना चाहते। इस पर सारे प्रदेश के श्रममंत्रियों ने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनवरी से आज तक यह बिल सदन के सामने क्यों नहीं आया जब कि सदन की बैठक दो बार हो चुकी। जब मंत्री जी कहते हैं कि वह सभी जगह इसको लागू करना चाहते हैं तो फिर अभी तक क्यों नहीं बिल लाया गया ?

आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने एक मिनिमम वेजेज कमेटी बनायी इस बात को जांचने के लिये कि हमारे यहां जो विभिन्न उद्योग हैं उनमें और दूसरे जो नौकरियों में हैं उनमें, कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिये। मुझे पता चला है कि उक्त समिति ने मार्च में अपनी सिफारिश दे दी है और मान्यवर, आप भी शायद उसमें सदस्य थे। मैं उप-मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मार्च में जब रिपोर्ट दे दी तो आज तक वह इस सदन के सामने क्यों नहीं आयी ताकि हमें पता चलता ? अगर वह हमारे सामने होती तो हमारा काम काफी हल्का हो जाता और हम अच्छे सुझाव भी दे सकते थे। तो न रिपोर्ट आयी और न देरी का कारण बताया।

मिनिमम वेज का प्रश्न कहां से उठा ? मान्यवर, इंटरनेशनल लेबर कान्फ्रेंस, १९२८ में हुई और उसने तय किया कि मिनिमम वेज होना चाहिये। शीघ्र ही रायल कमीशन बैठा और उसने भारत के बारे में खासतौर से क्या कहा। 'स्टेट रेगुलेशन आफ मिनिमम वेज' नामक किताब से रायल कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो पृष्ठ ३२४ में है :—

"The attitude of the Royal Commission on Labour may be judged by its following remarks :

> It must always be remembered that in India organized industry cannot be regarded as lowering the standard of those it absorbs, the majority of whom left the field for the factory to ensure an allevation of their hardships. It appears to us that in order to conform to both the letter and the spirit of the convention, it would first be necessary to create machinery for fixing minimum rates of wages in those trades in which wages are lowest and where there is no question of collective bargaining."

तो रायल कमीशन ने १९२९ में कहा था कि मिनिमम वेज को बनाने के लिये इस तरह का मिनिमम वेज बोर्ड बनना चाहिये और उन तमाम जगहों पर बनना चाहिये जहां मजदूरों की हालत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खराब है। १९२८ में मिनिमम वेज इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन ने सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद, बम्बई के मजदूरों की एक कमेटी बनी और उस समय ३० रुपया मिनिमम वेज १९२८ में रखा गया। अभी तीन दिन पहले माननीय उप-मंत्री ने बताया था कि आज हमारा मिनिमम वेज ३६ रुपया है।

१९३७ में जब पापुलर मिनिस्ट्री आई स्टेट्स में, उसके बाद बम्बई लेबर इन्क्वायरी कमेटी ने कहा कि मिनिमम वेज कम से कम ५० रुपये होना चाहिये लेकिन आज उन तमाम कमेटीज की रिपोर्ट एक तरफ चली गयीं। मैं समझता हूं कि मिनिमम वेज वह होना चाहिये जिससे काम करने वाला इंसान जो है उसको रहन-सहन, शिक्षा आदि चीजों की सहूलियतें मिल सकें। इसी रिपोर्ट में पृष्ठ ३२५ पर सफिशेंट वेज के बारे में कहा गया है :—

"The 'Sufficient Wage' was defined so as to ensure to every worker the necessities of existence, food, clothing, housing and education, taking into account at the same time the practical side of the question and the needs of industry."

मिनिमम वेज को सफिशेंट वेज करते हुये यह कहा गया है कि जो आदमी किसी उद्योग में काम करता है उसके रहने की ठीक से व्यवस्था हो सके, बाल-बच्चों का सही तौर से पालन-पोषण हो सके और रहन-सहन के लिये जिन्दगी की चीजें आसानी से मुहैया हो सकें तो ये सारी चीजें हमारे सामने रखी गयीं। तो आज हमारे सामने यह विधेयक किस लिये आ रहा है कि ५९ को ६० कर दिया जाय ?

नैनीताल में पिछले साल हुई ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस के लिये मैं बधाई देता हूं लेकिन साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्णायक नियुक्त किया गया था तब से लेकर आज तक क्या निर्णय उन्होंने लिया ? जो कान्फ्रेंस हुई उसमें मिनिस्टर्स, बड़े-बड़े पूंजीपति, एम्प्लायर और छोटे-छोटे कर्मचारी हैं। वहां पर यह कहा जाता है कि उनको हाउस भी मिलना चाहिये, बोनस भी मिलना चाहिये और उनका मिनिमम वेज भी बढ़ना चाहिये। लेकिन जब फैसला करने का वक्त आता है फिर न जाने माननीय मंत्री और सरकार के हाथ क्यों कांपते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बाद इंडियन लेबर कान्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई १९५७ में। एशियन रिपोर्टर के पृष्ठ १५६७ पर दिया हुआ है उसमें तीनों लोगों के नुमाइन्दे बैठे हुये थे और उन्होंने एक फैसला लिया :—

"The employers' responsibility to provide a reasonable number of houses for their workers was recognized."

यह तय हो चुका कि मजदूरों को सुव्यवस्थित ढंग से रहने के लिये मकान सप्लाई करना उस आदमी पर निर्भर है जो मजदूरी पर उन्हें रखता है और एक कान्फ्रेंस में यह तय हुआ कि वैसे तो फैमिली ५,६ भी मानी जाती है मिनिमम वेज तय करने के लिये, लेकिन मजदूर की फैमिली ४ की मानी गयी है—

"For calculating minimum wages, it was recommended that the standard working class should be taken to consist of four persons, including the earner and earnings of women, children and other dependants should be disregarded."

जो बेचारे मातहत हैं उनकी कोई परवा न की जाय। आदमी और बीबी दोनों कमायें और इन दोनों की कमाई पर चार आदमियों की फैमिली मानी जाय और फिर मिनिमम वेज तय किया जाय। आगे खाने-पीने का इन्तजाम किया गया है। प्रेक्टिकल साइड को इस कान्फ्रेंस ने लेने की कोशिश की है:—

"Minimum food requirements should be calculate on the basis of a net intake of 2,700 calories. There should be a provision of 18 yards of cloth per year for a member of a standard family. Housing and other items of expenditure including fuel and lighting should also be taken into consideration."

[श्री प्रतापसिंह]

यह मुझे ताज्जुब हुआ कि परिवार की परिभाषा का अर्थ शास्त्रियों के मुताबिक ५ आदमियों की मानी जाती है। जहां एक आदमी भी कमाने वाला हो वहां ५ आदमियों का हिसाब लगा कर मिनिमम वेज तय करने की बात अर्थशास्त्रियों ने कही, लेकिन जो लेबर कान्फ्रेंस १९५७ में नयी दिल्ली में हुई उसमें इस तरह से सिफारिश की गयी कि ४ आदमियों की फैमिली मानी जायगी और १८ गज कपड़ा एक आदमी को साल भर में मिलेगा। श्रीमन्, आप भी कुरता, धोती पहनते हैं, आप समझ सकते हैं कि १८ गज में क्या हो सकता है।

दूसरी चीज कलेक्टिव बार्गेनिंग की है। इस सम्बन्ध में जो मजदूरों के एक्सपर्ट हैं और जो हमारे भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं उन्होंने कहा है:

"However, it must be distinctly noted that the collective bar gaining and mutual negotiations should be given full scope at every stage of a dispute or a threatened dispute."

डिस्प्यूट हो तब तो होना ही चाहिये लेकिन अगर कहीं पर मजदूर धमकी भी देते हैं तो भी आपको निगोशियेशन के द्वारा फैसला करना चाहिये। लेकिन यहां तो हाल यह है कि अगर कहीं मजदूर धमकी देता है तो सरकार की सारी मिलिटरी और पुलिस की गोलियां और बन्दूकें तेज होने लगती हैं। यह इस समाजवादी सरकार का रवैया है। जब भी माननीय गिरि जी लेबर कान्फ्रेंस में भाषण देते थे तो यह कहते थे कि मुझको गवर्नर मत समझो बल्कि एक कामरेड समझो। लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने तो हड़ताल की और बारूद और गोली तेज हुई यू० पी० सरकार की। यहां के चीफ सेक्रेटरी बिला वजह एलान कर रहे थे कि सारा मामला ठीक है। डिस्प्यूट को तय करने को एक मशीनरी बतायी गयी लेकिन वह तो कुछ नहीं उल्टे पुलिस और पी०ए०सी० को बुला लेते हैं, कई बार गोली भी चल जाती है। यह कहां का न्याय है ?

अब मान्यवर, प्लानिंग कमीशन ने भी कुछ कहा है....

श्री अधिष्ठाता—मैं आपको रोकता नहीं हूं मगर जरा समय का भी आप ध्यान रखें।

श्री प्रतापसिंह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, श्रीमन्। प्लानिंग कमीशन ने पेज ३१ पर 'अवर प्लान' में कहा है—

"The worker is the back bone of our economy. He is, however, not merely a producer of wealth but also a human being. His basic need for food, clothing and shelter must be satisfied. Also he must have facilities for health, education, recreation and cultural life. He must be assuerd of a reasonable security and fair wage."

तो प्लानिंग कमीशन तो यह कहता है कि मजदूर के लिये रिक्रिएशन का भी इन्तजाम होना चाहिये। मैं ज्यादा कोटेशन देना पसन्द नहीं करता लेकिन इसलिये कोट कर रहा हूं ताकि मंत्री महोदय के दिमाग में कुछ जाय और मैं समझता हूं कि जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री अपनी जिद्द पर अड़े थे हमारे यादव साहब तो जिद्दी मिजाज के नहीं हैं, वे हमारी बात को सुनेंगे और हमको संतोष दिलाने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—इस वक्त तो प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि ५९ का ६० कर दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह—परिधि बढ़ाने वाली बात पर तो मैं बोल ही रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा, ठीक है।

श्री प्रतापसिंह—जब से कांग्रेस राज्य इस प्रदेश में आया है, दो-चार कान्फ्रेंसों में मामला भले ही ठीक से सुलझ गया हो लेकिन एक परमानेन्ट डिमार्केशन गरीब और अमीर के बीच हो

गया है। अहरौरा बांध में आप देखिये तो एक क्वार्टर में ८-८ मजदूर रह रहे हैं और एस०डी०ओ० के लिये ८ कमरों का बंगला है ।

श्रीमन्, मैं हैरोल्ड लास्की को कोट करता हूं। टी० एन० रामास्वामी द्वारा लिखित पुस्तक "फुल इम्पलायमेंट फार इंडिया" के पृष्ठ २६७ पर लिखा है कि—

"No nation can hope to survive," wrote Professor Harold Laski twenty years ago, "No civilization has ever survived in which there is a permanent division of its people into rich and poor."

यानी वह सभ्यता, वह संस्कृति और वह देश ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रह सकते हैं जहां स्थायी डिमार्केशन हो मजदूरों के लिये और अमीरों के लिये, मजदूरों की नीचे की तनख्वाह हो और उसको बढ़ाया न जाय और पूंजीपतियों की तिजोरियां को भरा जाय। मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि हैरोल्ड लास्की की बात कह रहा हूं। आगे उन्होंने कहा है कि :—

"If you hold your ear to the ground", wrote Stuart Chase in 1942, "you can hear a muffled roar echoing around the world.....It is the voice of the people demanding security and an end to this paradox of plenty. It is the revolt of the masses asking for food which farmers let rot upon the ground or dump into the streams. This subterranean roar is the most powerful force in the world today."

उन्होंने कहा है कि जो भावना मजदूरों में उठ रही है वह बहुत मजबूत है और इसको अलग से नहीं रखा जा सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। इसके बाद लेबर मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई और उसमें भी मजदूरों के वेलफेयर के बारे में और मिनिमम वेजेज के बारे में विचार किया गया।

श्री अधिष्ठाता—माननीय प्रतापसिंह जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये केवल दो घंटे का समय है। अगर ऐसी ही बात थी तो आपको मंत्रणा समिति में कहना चाहिये था कि इसके लिये हमें चार घंटे चाहिये। मैं आपको रोकता नहीं हूं लेकिन आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये दो घंटे हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल यह मंत्रणा समिति को वापस कर दिया गया था और आज उसने कोई सिफारिश नहीं की है।

श्री अधिष्ठाता—वापस करने का प्रस्ताव तो सदन ने अस्वीकार कर दिया था, इसके लिये दो ही घंटे हैं।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और जहां तक मुझे याद है मैंने कभी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और मुझे ऊंट पटांग बोलने की आदत नहीं है। इसलिये यदि आप चाहें तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय प्रतापसिंह जी, मैंने आपको रोका नहीं है मैंने तो केवल इतना कहा है कि इसके लिये दो घंटे का ही समय है और उसके हिसाब से आप अपने को ऐडजेस्ट कर लें।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मैं ऐडजस्ट कर रहा हूं। लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में कहा है कि :—

"The Ministers approved the Committee's proposal that a State Government's share of expenditure on extension of medical care to workers families under the Employees, State Insurance Scheme should be one-eighth of the total outlay during Second Plan period. This constitutes a significant extension of medical relief provided under the Employees' State Insurance

[श्री प्रतापसिंह]

Scheme. The financial position in respect of the scheme should be reviewed before the expiry of the Plan period."

यानी मेडीकल फेसिलिटीज के बारे में कहा गया है। में आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके लिये आज तक कोई कोशिश की गई है ? मैं समझता हूं कि नहीं की गई है, बल्कि इसके विपरीत रवैया रहा है। एक रवैया यह भी रहा है कि कोई भी बात हो एडजूडिकेशन बिठा दो। गिरी जी ने कहा कि "It is the enemy number one" में आपके सामने गवर्नमेंस डायरी के पृष्ठ २९ से पढ़ना चाहता हूं कि—

"I have never been either shy or modest in expressing my views on the question of industrial relations. I have always stated that adjudication is enemy number one of the working classes and I still maintain that view. Especially at this time when we are thinking of industrializing of our country on the basis of Five-Year Plans, industrial peace and industrial truce is a condition precedent."

यानी ऐडजूडिकेशन के बारे में गिरी जी ने कहा है कि यह चीज गलत है इसको खत्म करना चाहिये। मान्यवर, मिनिमम वेजेज के बारे में लेबर कान्फ्रेंस में कहा गया है कि ११५ रुपये होनी चाहिये और सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट निकली है उसके अनुसार ८० रुपये से कम तनख्वाह नहीं मिलेगी। बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा है कि ६० रुपये मिनिमम वेज होगी। अभी मंत्री जी ने कहा कि पहाड़ के खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेज तय करने वाले हैं। अभी ऐग्रीकल्चर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट निकली है। उन्होंने कहा है कि पर्वतीय इलाके में एक मजदूर की तीन रुपये महीने आमदनी है। ताज्जुब होता है कि वह कैसे जिन्दा रहता होगा। बम्बई की सरकार ने खेतिहर मजदूर की ७६ रुपये मिनिमम वेज रखी है।

मान्यवर, जो मूल अधिनियम है सेंटर का, जिसके मुताबिक यह विधेयक लाया जा रहा है उसकी धारा ६,७,८ में तमाम कमेटीज एप्वाइंट करने का अधिकार है। लेकिन जब आदरणीय सदन में हमने मांग की प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिये और इसके लिये एक कमेटी बिठानी चाहिये तो हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं यू० पी० पे कमेटी को कोट करके बैठ जाऊंगा। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि आज जरूरत नहीं है। लेकिन पे कमेटी क्यों बैठी ? इसलिये कि यह तय करने की जरूरत थी कि क्या तनख्वाह होनी चाहिये, और क्या रिश्ता तनख्वाह और कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स का होना चाहिये। आज सरकार अपने एम्प्लाइज से कहती है कि आपको माडल एम्प्लाइज होना चाहिये। तो सरकार को भी तो माडल एम्प्लायर होना चाहिये। यू० पी० पे कमेटी के पृष्ठ २० पर लिखा हुआ है :—

"The low paid and middle-class Government servants have been the worst victims of the economic disorder in society caused by the second World War. The Committee feel that in addition to the liberal scales of pay proposed for this class of Government servants, something more is needed to give them real relief. The Committee, therefore, recommend that Government servants drawing pay up to Rs. 60 per mensem should be allowed free education for their children up to the High School standard."

माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में यह कमेटी बैठी थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो पे कमेटी ने यह सिफारिश की थी ६० पये तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को यदि हम रुपयों में सहायता नहीं दे सकते तो उनके बच्चों को हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिये, उनके लिये आज के मुख्य मंत्री और उस समय के उस कमेटी के अध्यक्ष ने क्या किया, इसका जवाब वह लेजिस्लेचर और जनता को दें। मान्यवर, कैबिनेट कोई बड़ी चीज नहीं है, कैबिनेट, कमेटी आफ दि हाउस है। मंत्रियों को यह गलतफहमी रहती है कि वे बहुत बड़े

आदमी हैं। इस हाउस के कहने पर एक कमेटी बैठायी गयी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। जिसके अध्यक्ष आज के मुख्य मंत्री थे। उस सिफारिश को मुख्य मंत्री के जमाने में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर मैं उनके दिमाग की उपज की तारीफ करता हूं। १९४६ में जो कमेटी बैठी उसने १९३७ के महंगाई के आंकड़े लिए। इसलिये इसकी डेट खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूं कि अगर आप को अपना प्लान सफल बनाना है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले आपको पे कमीशन बैठाना पड़ेगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पे कमेटी बैठा कर ४०० मिनिमम वेज कर दीजिये। पे कमेटी तय करेगी कि एक डेमोक्रेटिक सेट अप में एम्प्लायर और इम्प्लाइज में क्या रिश्ता होना चाहिये, क्या उनके सर्विस रूल्स होने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आदरणीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन का समर्थन करके अपने अमूल्य सुझाव पेश करें ताकि यादव जी मजदूरों और गरीबों की भलाई के लिये इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता---कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---श्रीमन्....

श्री भगवतीसिंह विशारद---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यदि बन वाला विधेयक, जो अभी तक चल रहा था उसको समाप्त कर दिया जाय तो अच्छा है। इसके बाद इसको लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---यह समाप्त हो जाय तब उसको लिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या कुछ समय निश्चित किया जा चुका है, क्योंकि २ घंटे में करीब-करीब ३५ मिनट हो चुके हैं और दूसरे में यदि ३५ मिनट और निकल गये तो तीन भाषणों में ही यह समय समाप्त हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता---आप चाहते हैं कि समय निर्धारित कर दिया जाय?

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी हां, मैं यह चाहता हूं कि इस पर समय निश्चित हो जाय।

श्री अधिष्ठाता---अभी तो खंडों पर विवाद नहीं हो रहा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---कितना समय जनरल डिस्कशन के लिये और कितना समय खंडों के लिये रहे यह निश्चित हो जाता तो ठीक था।

श्री अधिष्ठाता---मैं समय निर्धारित करूं तो आप शिकायत करेंगे और निर्धारित न करूं तब भी शिकायत करेंगे। तो ऐसे मौकों पर यदि समय निर्धारित न हो तो अच्छा है। खंडों पर समय निर्धारित किया जा सकता है पर विवाद के लिये नहीं।

***श्री रामलक्षण तिवारी**---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारा राष्ट्र छटपटा रहा है, देश करवट बदल रहा है। राष्ट्र के निर्माण के लिये चारों तरफ से चेष्टा की जा रही है। हर एक निर्माण कार्य के लिये, देश में धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिये पूंजी और श्रम के सहयोग की आवश्यकता पड़ा करती है। हमारे देश में पूंजी और श्रम के सहयोग के लिये बराबर कोशिश की जाती रही है और जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से इस ओर हमारा कदम और भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे राष्ट्र के भीतर से एक बोल उठाया जाता और जिस तरह से सारे देश के लिये, सारे यहां के निवासियोंके लिये सुख की कल्पना करके उस ओर हम देख रहे हैं और जिस तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन तिवारी]

सदन के दिमाग में उसका रूप मूर्तिमान है उसी तरह से आज देश के रहने वाले लोगों का ध्यान भी उस तरफ हो रहना चाहिये था। हमारी दृष्टि एक तरफ रहनी चाहिये थी —उत्पादन बढ़ाने की ओर, और देश को अधिक से अधिक उन्नतिशील बनाने की ओर। हमारी एक आवाज होनी चाहिये थी जिस आवाज से हमारे देश का सिर ऊंचा हो सके, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भी जब कि हमारे राष्ट्र का निर्माण-कार्य चल रहा है, जब कि हम इसको राष्ट्र की प्रसव पीड़ा का समय कह रहे हैं उस समय हमारा बोल भी भिन्न-भिन्न निकल रहा है। हम तरह-तरह की आवाज निकालते हैं। हम अपने कर्त्तव्य से अलग होकर अपने अधिकारों की मांग इतनी ज्यादा करते हैं कि हमारा ध्यान कहां हमें जाना है उससे भी हम हटते चले जाते हैं। क्या यह भी संभव है कि अगर देश में धन न रहे और देश में ऐश्वर्य न रहे तो जितना भी हमारा आदर्श है वह पूरा हो सकेगा?

जिस तरह से हमारे भाई प्रतापसिंह जी ने आपके सम्मुख अभी रिपोर्ट से पढ़कर सुनाया और श्रमिकों के संबंध में ऊंचे-ऊंचे विचार व्यक्त किये, क्या वह नहीं समझते कि जिन लोगों के विचार श्रमिकों के प्रति इतने ऊंचे हो सकते हैं, उनको अधिकार प्राप्त होने पर उन अधिकारों को देने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? उनका कहना यह है कि धोखा दिया जा रहा है और विश्वासघात किया जा रहा है। लेकिन मैं क्या यह पूछ सकता हूं कि जिन लोगों की यह घोषित नीति है, जिनकी यह स्पष्ट घोषणा है और जिन लोगों की श्रमिकों के प्रति एक स्पष्ट नीति है वह उस नीति से हटकर कहां जा सकते हैं? लेकिन उनको सोचना चाहिये कि उस स्पष्ट नीति के बावजूद भी अगर वह ऐसा करने में असमर्थ हो रहे हैं तो कोई न कोई खास कठिनाई होगी जिसके लिये वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। श्रमिक को वेतन अधिक मिले, यही नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स और दूसरों की थ्योरी को आप ले लीजिये तो मूल्य की परिभाषा करते हुये उन्होंने कहा कि किसी भी कमोडिटी का मूल्य वह हुआ करता है जो उसमें श्रम लगा रहता है। तो इस हिसाब से कहीं भी नफा रखने की गुंजायश रहती नहीं। इस हिसाब से किसी भी वस्तु का मूल्य उतना ही होना चाहिये जितना कि उसके निर्माण में श्रम लगा रहता है और इससे अधिक अगर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है तो अनुचित है और सारी चीजें उपभोग के लिये पैदा की जानी चाहिये। व्यवसाय के लिये, व्यापार के लिये, मुनाफे के लिये चीजें नहीं होनी चाहिये।

हमारे प्रताप सिंह जी यदि उस आदर्श तक पहुंच गये होते तो अधिक अच्छी बात होती, लेकिन वह दो कदम पीछे रह कर ही जिन नीतियों को हमने अपनी अवस्थाओं को देखते हुये घोषित किया था, उन्हीं तक अपने को सीमित रखे। उन्होंने तीन, चार रिपोर्टें सदन में प्रस्तुत कीं और उनका हवाला देते हुये, लास्की का हवाला देते हुये अपने तर्कों को उन्हीं तक सीमित रखा और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जो चीजें की गयी हैं उन के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। जहांतक मैंने समझा, उनके तर्क और भाषण का एक मात्र निचोड़ यह था कि जितनी भी बातें की गयी हैं वह पूरी नहीं की जा रही हैं। लेकिन सरकार की ओर से यह कभी भी नहीं कहा गया कि जितनी बातें हमने कही हैं, चाहे सरकारी सीटों में बैठ कर या गैर-सरकारी कमेटियों में रह कर, उनमें से किसी में भी हम पीछे हटे हों।

हमारी जो आज की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये हम जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं वहां तक काम करने की ओर हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। इस परिस्थिति में अगर प्रताप सिंह जी होते तो वह क्या करते यह मेरी समझ में नहीं आता। आज भी जो नीति वह बरत रहे हैं वह देश के लिये घातक नीति कही जा सकती है। एक तरफ श्रमिकों को वह उभाड़ते हैं, रोजी-रोटी के लिये मांग कर के और दूसरी ओर वह सरकार को विवश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक रोजी दी जाय, उनको आप अधिक से अधिक वेतन दें, उनको अधिक से अधिक मजदूरी दें। यह दोनों बातें साथ-साथ कैसे चल सकती हैं? उत्पादन बढ़े नहीं, सरकार को पैसा मिले नहीं, टैक्स सरकार लगाये नहीं, रुपया कहीं से प्राप्त करे नहीं,

लेकिन जितने भी लोग हैं उन सब की तनख्वाह बढ़ा दी जाय, सबको मजदूरी बढ़ा दी जाय, सब को अधिक से अधिक आराम पहुंचा दिया जाय, यह सारी चीजें एक स्वर से कही जा रही हैं और मैं नहीं समझता कि ऐसा करना कहां तक न्यायसंगत है ? क्या उनकी सरकार अगर रही होती तो वे यह सब बातें कर पाते ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर उनकी सरकार रही होती तो वे इतना भी करने में समर्थ नहीं होते क्योंकि उनके पीछे जनशक्ति और जनता का सामर्थ्य आज भी उतना नहीं है जितना कि कांग्रेस सरकार के पीछे है। आज जो सरकार चल रही है उसके पीछे एक जनमत है, एक शक्ति है और उस शक्ति के आधार पर ही, उसकी भावना को देखते हुए और प्रजातांत्रिक विचारों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये वह आगे काम रही है, कदम बढ़ा रही है। आज अगर यह समाजवादी राज्य दूसरे मुल्कों की तरह का होता तो यह घोषित कर दिया गया होता कि प्रजातंत्र का यह रूप हर्गिज यहां नहीं रहने दिया जायगा । जिस तरह से रूस आदि में प्रोलीटेरियट स्टेट की स्थापना कर के, टोटेलिटेरियन स्टेट की स्थापना कर के सब की जबानों पर ताले लगा दिये गये और राज्य के नाम पर उठने वाली शक्तियों को तबाह कर दिया गया, जनता के संगठनों को बनाने के लिये उन्हीं लोगों को अख्तियार दिया गया जो कि राज्य के निर्माण करने में सहयोग करने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता—रामलक्षण जी, आप अपने को सीमित रखें । आप विषय के बाहर जा रहे हैं ।

श्री रामलक्षण तिवारी—इस समय जो श्रम नीति की विवेचना हुई है मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं । जिस श्रम नीति को वह अविलम्ब यहां लाना चाहते हैं उसे लाने के लिये यदि उस नीति का अवलम्ब यहां लिया जाता, तो इसमें शक नहीं कि उस पैटर्न को लाने के लिये इस देश में लाठी की जरूरत पड़ती और वह ऐसी लाठी होनी चाहिये थी कि जो इस देश के निवासियों को छू सकती हो। लेकिन लाठी के बल पर हुकूमत चलाने की घोषणा हमने नहीं की। हमने प्रजातंत्र की भावनाओं और उसके सिद्धांतों पर ही राज्य चलाने की घोषणा की। किन्तु आज इस देश में ऐसे भी लोग विद्यमान हैं जो राज्य परिवर्तन के बाद राष्ट्र निर्माण के कार्य में भी प्लेटफार्म पर खड़े होकर हुकूमत को गाली देते हैं। यही मुल्क है जिसमें स्ट्राइक आदि बातों को लोग प्रोत्साहन देते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । आपके मना करने पर भी माननीय सदस्य विषय से बाहर बोल रहे हैं। क्या स्ट्राइक आदि का जिक्र किया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—मैंने एक बार उनको टोक किया था। माननीय सदस्य समय का भी खयाल रखें और कृपया विषय पर ही बोलें।

श्री रामलक्षण तिवारी—इसलिये मैं पुनः अपने विरोधी भाइयों से आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि अगर सचमुच उनमें राष्ट्र-भक्ति है, उनके हृदयों में देश-प्रेम विद्यमान है, और वे देश की सेवा करना चाहते हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, तो आप उन को रोटी मांगने के लिये प्रोत्साहित न करें, हड़ताल करने के लिये न उकसायें, बल्कि हम सब लोग मिल कर एक आवाज से, भूखों रह कर, अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक कम करके देश के किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन करने की ओर अग्रसर करें। इसी से देश समृद्ध होगा। तभी अधिक से अधिक हमारा देश तरक्की करेगा और तभी देश का हर एक तबका खुशहाली से जीवन व्यतीत करेगा। इसके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं और अधिक न कह कर, सभी माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसे वे जल्द से जल्द स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक सप्ताह के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय गृह उप-मंत्री की कार्यकुशलता और उनकी क्षमता के प्रति, अत्यन्त आदर के भाव रखते हुये भी मुझे खेद है कि आज इस अहम सवाल पर जब कि बहस हो रही है, न तो माननीय मुख्य मंत्री जी ही यहां पर इस समय मौजूद हैं और न श्रम उप-मंत्री महोदय ही हैं। इस श्रम विभाग से जिन मंत्री जी का कोई संबंध नहीं है, वे आज इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं।

मान्यवर, अगर इस संशोधन विधेयक को देखा जाय तो मुझे यह कहने के लिये विवश होना पड़ता है कि यह संशोधन विधेयक सरकार की अयोग्यता और सरकार की अकर्मण्यता की यह निशानी है। अभी तक जितने संशोधन विधेयक आये हैं समय बढ़ाने के सिलसिले में वे केवल इसलिये आते थे कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, हमको और समय दिया जाय ताकि हम इसको आगे तक करते रहें। किन्तु आज यह संशोधन विधेयक इसलिये आया है कि यह निकम्मी सरकार इसको ३१ दिसम्बर, १९५९ तक न्यूनतम वेतन कानून को लागू करने का कार्य नहीं कर पायी और इसलिये इसको और समय दिया जाय जो ३१ दिसम्बर, १९६० तक हो।

मान्यवर, सरकार पर मेरा गम्भीर आरोप है और वह न केवल इसी कारण है, बल्कि इस कारण भी है कि उसने संविधान की अवहेलना की है। संविधान की धारा ४३ में यह लिखा है---"उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम निर्वाह मजूरी, शिष्ट-जीवन स्तर तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।" तो संविधान में हमें यह निर्देश दिया गया है राज्य सरकार को कि वह जीवन निर्वाह के लिये, शिष्ट जीवन व्यतीत करने के लिये ऐसी मजदूरियां तय करेगी, लेकिन इस सरकार ने वह काम नहीं किया और आज इस संशोधन विधेयक के द्वारा वह ४--६ महीने का और समय बढ़ाना चाहती है।

मान्यवर, इसके पहले कि मैं और कुछ निवेदन करूं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन के लिये कौन से कारण हैं किस समय से इस संबंध में विचार होना शुरू हुआ है। सन् १९२८ में मिनिमम वेज फिक्सिंग कनवेंशन एशियन कंट्रीज का हुआ था। उसमें सारे एशियन कंट्रीज ने तय किया था कि अपने-अपने देशों में न्यूनतम वेतन निश्चित करके लागू करेंगे। लेकिन हम दुर्भाग्य से उस समय गुलाम थे। अंग्रेजों को परवाह नहीं थी कि हिन्दुस्तान के साधारण नागरिक, खेतिहर मजदूर तथा कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूर ऐसा वेतन पा सकें जिससे उनका जीवन-यापन हो सके।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के पुण्य प्रताप से, देश के करोड़ों नागरिकों के बलिदान से हम १९४७ में स्वतंत्र हुये, राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हुईं और १९४८ में इस बात की आवश्यकता महसूस करते हुये कि मजदूरों में न्यूनतम वेतन निश्चित होना चाहिये। केंद्रीय सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें प्रांतीय सरकारों को इस बात का अधिकार दिया कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में इस कानून को यथासंभव लागू कर दें। उस केंद्रीय कानून में दो परिशिष्ट हैं जिनमें १३ व्यवसाय हैं, उसमें ऐसे पेशे लिये गये जिनमें एक पेशा खेतिहर मजदूरों का लिया गया और यह कहा गया कि इनके संबंध में कानून जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिये। यद्यपि समय-समय पर केंद्रीय सरकार ने भी विधेयक के लागू करने की तिथियां बढ़ाई हैं। किन्तु जो अंतिम तिथि निश्चित की थी, उस तक भी यह प्रांतीय सरकार इस काम को पूरा नहीं कर पायी, इसलिये उसने निश्चय किया है कि ३१ दिसम्बर, १९६० तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि शीघ्राति-

शीघ्र इस मिनिमम वेजेज बिल को लागू कर दिया जाय ऐक्ट बनाकर, जिससे उन मजदूरों को जिनको जीवन निर्वाह से कम मजदूरी मिल रही है, उचित मजदूरी मिले।

इस संबंध में सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना तो जोर दिया गया कि सबसे पहले मिनिमम वेजेज फिक्स होनी चाहिए। अगर अपने नियोजन कार्यों को आगे बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नियोजन कार्य पूरा हो और हमारे देश के निर्माण-कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें तो आवश्यक था कि मजदूरों का वेतन भी निश्चित किया जाय। इसीलिए फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में यह बात कही गयी कि मजदूरों का वेतन सबसे पहले निश्चित कर देना चाहिए। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान खत्म हुआ। उसके बाद सेकेंड फाइव ईयर प्लान आया और उसमें भी इस बात को फिर दोहराया गया कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और जो निश्चय हुए थे उनको भी कार्यान्वित नहीं किया।

जिस कान्फ्रेंस का जिक्र माननीय प्रतापसिंह जी ने किया और जिसके सम्बन्ध में आपने भी प्रश्न किया था कि क्या उस कान्फ्रेंस में मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं बैठते, मैं उस कान्फ्रेंस का हवाला देना चाहता हूं। उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि भी बैठते हैं और सर्वसम्मति से फैसले होते हैं लेकिन सरकार उनसे पीछे हटती जाती है। उसमें निश्चय हुआ था कि मिनिमम वेजेज के लिये निश्चय सर्वमान्य है और जिस अवधि के भीतर वह लागू हो जाना चाहिये उसके भीतर लागू हो जायगा। लेकिन उस कान्फ्रेंस की बात नहीं मानी गई। इस संशोधन विधेयक में उसका जिक्र न करके यह कहा गया है कि सारे देश के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह अयोग्यता प्रकट की गई कि उन्होंने अपने-अपने प्रदेशों में मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं किया, इसलिये इसके लिये अब समय बढ़ाया जाय। एक तरफ तो सरकार ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में फैसले करती है और फिर उनको कार्यान्वित न करते हुये कारण यह बताती है कि चूंकि वह काम को समय से पूरा नहीं कर पाई इसलिये और समय चाहती है। कोई कारण उन्होंने बताया होता कि इस समय मजदूरों को मजदूरी इतनी अधिक मिल रही है कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है या इतनी बड़ी आपत्ति है कि यह नहीं किया जा सकता तो हम उस बात को सोचते। हमारी कठिनाई यही है जिस कार्य को सरकार पूरा नहीं करना चाहती है उसे उससे कैसे पूरा करावें। हम अभी उसे उलट नहीं सकते हैं और १ १/२ साल अभी और बरदाश्त करना होगा।

अभी माननीय रामलक्षण जी ने प्रसव पीड़ा का जिक्र किया। मैं उनसे और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कभी सोहर गाने का भी समय आवेगा या सदैव प्रसव पीड़ा ही चलती रहेगी। अगर सोहर गाने का वक्त नहीं आया तो देश में बड़ी निराशा होगी और सब बरबाद हो जावेंगे। इसलिये जरूरत आज इस बात की है कि देश में आशा पैदा की जाय। मजदूरों में उल्लास पैदा किया जाय। यह तभी हो सकता है जबकि उनको भरपेट भोजन मिलेगा। हमसे कहा जाता है कि वर्ग-संघर्ष क्यों बढ़ाते हो। हम इस आरोप को सर-माथे पर लेते हैं। अगर गरीब की रोटी के लिये लड़ने पर हमें कोई दोषी कहता है तो हम उस दोष को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। महात्मा जी ने कहा था कि जब तक इस देश का दरिद्र इस देश का नारायण नहीं बनेगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। मुझे दुख है कि आज शासक पार्टी दरिद्र को दरिद्र बनाये रखने में ही देश का कल्याण समझती है।

मान्यवर, जो सिफारिशें सरकारी तौर से हुई वे तो हुई ही हैं लेकिन उसके साथ मिनिमम वेजेज फिक्स करने के लिये कुछ सामाजिक आधार भी हैं। इसलिये सामाजिक तौर से भी उस पर विचार करने के लिये विवश होना पड़ता है। देश में जीवन-यापन के साधनों की महंगाई होती जा रही है। इसलिये यह उचित है कि मजदूर को अपना जीवन-स्तर कायम रखने के लिये उचित वेतन मिलना चाहिये। जहां पर मजदूरों के संगठन हैं वहां भले ही रामलक्षण जी लाख लेक्चर दें, वे अपने लिये रोटी सरकार से ले ही लेते हैं मगर जो लोग संगठित नहीं हैं, जैसे राइस मिल के मजदूर हैं या

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

जो मजदूर फुटकर हैं, आपके यहां भदोही में कालीन उद्योग के मजदूर हैं, सोप वर्क्स के मजदूर, पत्थर और रोड़ी तोड़नेवाले और खेतिहर मजदूर हैं, वे चूंकि संगठित नहीं है इसलिये अपनी बात मनवाने में सफल नहीं है। उनके संगठित न होने के कारण इस सरकार की हिम्मत है कि उसने दिसम्बर, ५९ तक मिनिमम वेजेज फिक्स नहीं की। अगर उनका भी जबर्दस्त संगठन होता जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का है जो हड़ताल की नोटिस दे सकते हैं तो ये भी सरकार से घुटने टिकवा लेते और अपनी जायज बात मनवा लेते। लेकिन मुझे दुख है कि आज उनका कोई संगठन नहीं है। इसलिये मैं अपने इस प्रस्ताव द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम वेजेज अब जल्दी लागू करे। साथ ही मिनिमम वेजेज कानून लागू होने के बाद उसके सम्बन्ध में कुछ नियम हैं। नियम ये हैं कि हर साल उनको रिवाइज होना चाहिये कि मिनिमम वेजेज उपयुक्त हैं या नहीं और जैसे वे मिलने चाहिये वैसे मिल रहे हैं या नहीं। यह सब जांच-पड़ताल होती रहनी चाहिये। यह सब तभी हो सकता है जबकि इस कानून की परिधि बढ़ाई जाय और परिधि तभी बढ़ सकती है जबकि मेरे संशोधन को मान लिया जाय। हम प्रवर समिति में समझा सकेंगे कि एक नोटीफिकेशन के द्वारा सारे प्रदेश में यह कानून आज ही लागू किया जा सकता है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय विशारद जी ने बड़े अच्छे ढंग से सरकार के सामने रखा कि उसने उन मूक मजदूरों का निम्नतम वेतन मुकर्रर करने में किस प्रकार ढीलाढाली की है। अभी रामलक्षण जी ने कहा कि सरकार लाठी के बल से राज्य नहीं करना चाहती है और वह किसी की जबान पर ताला नहीं लगाना चाहती हैं। मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि ....

श्री अधिष्ठाता—कहां ताला लगा है? आप बोल तो रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप जरा सुनें तो समझ में आ जायगा। जेल में हमारे ऊपर लाठियां चली हैं। सीतापुर जेल में, फतेहपुर और फतेहगढ़ जेलों में हम लोगों पर लाठियां चली हैं। इस बात को आप प्रत्यक्ष रूप से देख लें। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। मैं भुक्त-भोगी हूं और लाठी-चार्ज सहकर आया हूं।

इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट के सम्बन्ध में सरकार थोड़ा-सा उन ग्रामीण मजदूरों की ओर ध्यान दे जो लाखों की संख्या में कृषि उद्योग में काम कर रहे हैं जिनके बारे में आपका यह कर्त्तव्य था कि न केवल इस विधेयक के मुताबिक बल्कि संविधान के मुताबिक उनका निम्नतम वेतन आप मुकर्रर कर देते। संविधान में यह निर्देश हुआ है लेकिन आप उस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हालत यह है कि वहां किसी हालत में भी ६ आना, ८ आना से अधिक नहीं मिल रहा है। मजदूरों से बेगार में काम कराया जा रहा है। यह मैं कानपुर की बात कह रहा हूं। मैंने सरकार को कई पत्र इस बारे में लिखे, मजदूरों के दस्तखत करा कर दरख्वास्तें भेजी हैं कि उनको वहां ६ आना मजदूरी मिल रही है। गुलामों की तरह उनको वहां रखा जा रहा है। उनको एक सीमित रकम दे दी जाती है और एक सीमित समय तक उनसे काम लिया जाता है और उनकी मदद इस माने में पुलिस करती है। देहात में यह प्रथा आज भी जारी है। जमींदारी आज चाहे खत्म हो गयी हो लेकिन जमींदारी आतंक आज भी कायम है। जूते और डंडे के बल पर न केवल पुरुषों से ही काम लिया जाता है वरन् स्त्रियों और बच्चों से भी बेगार ली जाती है और यह खुले आम चल रहा है। पिछड़ी जातियां, जिनके लिये आप बहुत दम भरते हैं, कीड़े-मकोड़ों की तरह जीवन व्यतीत कर रही हैं। देहात में मजदूरों के घर उजाड़ दिये गये हैं, वे तबाह हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है और आप अभी तक इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट को उनके लिये लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा है स्पेसीफाइड स्थानों में। मैं आपका ध्यान दफा ५ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है—

"In fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment for the first time under this Act, the appropriate Government shall either—

(*a*) appoint a committee to hold enquiries and advise it in this behalf...."

आपकी कमेटियों आदि की व्यवस्था है लेकिन उसका नतीजा क्या होता है। नैनीताल में एक कमेटी बैठी। उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि टेक्सटाइल मिल के मजदूरों का वेतन ६ रुपया बढ़ा दिया जाय। लेकिन कानपुर वालों ने सरकार को अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद भी क्या हो रहा है? एक तरफ तो सरकार मिनिमम वेजेज मुकर्रर नहीं कर पाती और बार-बार अवधि बढ़ाती जाती है और दूसरी तरफ अगर कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचती भी है तो उनको कार्यान्वित नहीं करा पाती। इस पर आप कहते हैं कि देश के साथ चलो, उत्पादन बढ़ाओ, मानो कि आप कांग्रेस कमेटी में बैठे हुए अपने दलवालों के सामने भाई चारे की बातें कह रहे हों। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां लोग पीड़ित हैं, उनकी दशा दयनीय है, बरसात में हालत यह है कि उनकी झोपड़ियों में बैठने को जगह नहीं है और फिर भी यह सरकार उनके लिये मिनिमम वेजेज मुकर्रर करने के लिये टालमटोल कर रही है।

संविधान सन् ५० में बना था। उसको आज १० वर्ष हो गये लेकिन आप अभी तक मिनिमम वेजेज मुकर्रर नहीं कर पाये। आज उस दुखी श्रमिक के लिये देर करने की आवश्यकता नहीं है। आप रोजाना आर्डिनेंस लाया करते हैं लेकिन उनके लिये कोई आर्डिनेंस आप नहीं ला पाये। आज वह लोग जो ऊंचे ऊंचे दफ्तरों में काम करते हैं वे आपकी गर्दन पकड़ कर सब कुछ ले लेते हैं चाहे हड़ताल के बाद ही आपने उनको दिया लेकिन आपको देना अवश्य पड़ा और चाहे हड़ताल के रूप में न दिया हो, बाद को देना पड़ा। लेकिन असंगठित मजदूरों के लिये न आपके पास दया है, न कानून है और न आपका ध्यान उनकी तरफ है। उनके लिये आप के पास सामर्थ्य नहीं है उलटे नारा लगाते हैं कि सहयोग दो। यह उपदेश अपने पास रखो। यह क्यों कहते हैं और समय क्यों बरबाद करते हो और यहां वास्तविकता को समझकर कुछ कार्य नहीं करना चाहते हो। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों से न आया होता वह यह कहता तो समझ में बात आती लेकिन वह कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो दुख होता है। जिन्होंने कभी श्रमिकों का हाल देखा है, जो गांवों में रहे हैं, उनके दुख दर्दों के बारे में तनिक भी ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि आज न्यूनतम वेतन भी उनको नहीं मिलता है बल्कि उलटे लाठी के बल पर उन आदमियों से श्रम लेते हैं। मैं फतेहपुर जेल से आ रहा हूं। वहां पर ४ आने प्रतिदिन से अधिक वेतन औरतों को नहीं दिया जाता रहा है, वहां पर पुरुषों को आठ आने से अधिक वेतन नहीं दिया जा रहा है और विशेष कर पिछड़ी जाति वाले भाइयों को, तो कहां गये हमारे हरि भाई जो पिछड़ी जातियों के बारे में बड़ी तेज आवाज से कहा करते थे, वह दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। कहां हैं वह? मैं चाहता हूं कि वह कहते और अपनी सरकार को डांटते क्योंकि उनके कहने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, हम कहने लगें तो कहा जाता है कि समय बरबाद करते हैं। तो उनको कहना चाहिये था कि यह सरकार उसको ठीक करे लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।

आज जो अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है। अगर यह सेलेक्ट कमेटी में जाता तो वहां पूरा मौका बहस करने का मिलता और इसके एक एक खंड पर सिंहावलोकन करने का मौका मिलता। हमें इस गम्भीर समस्या को समझने के लिये बैठकर शान्ति से मौका मिलना चाहिये था बजाय इसके कि २ घंटे के अन्दर इसको पास कर दो। आप आज भी समय लेना चाहते हैं, १४ साल तो हो गये आपको वादे करते करते लेकिन आपके वादे झूठे हैं। लोग जान चुके हैं आपका बाजार झूठों का बाजार बन

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

चुका है। इससे अधिक मुझे इस समय कहना नहीं है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय और इसकी परिधि बढ़ाई जाय।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं दोनों तरफ की सुन रहा हूं लेकिन समझ में कुछ बात आयी नहीं। मजदूरों की बात चल रही है। आप सोचें कि आज भी जो पुलिस का चौकीदार है उसे साढ़े चार और पांच रुपये तनख्वाह मिलती है। तो पहरा देने वाले को ५ और सोने वाले को ढाई हजार! मैं तो पश्चिमी जिले का रहने वाला हूं। आप पूर्वी जिलों के रहने वाले लोग जानते ही होंगे कि हमारे यहां तो डेढ़ रुपया रोज मजदूरी मिलती है। १ रुपया रोज तो जो मवेशी चराता है ग्वाला उसको मिलता है, लेकिन हलवाला, फावड़ावाला, पहरा देनेवाला, लड़ने वाला कोई हो वहां डेढ़ रुपया रोज मिलता है। पूर्वी जिलों में हम देखते हैं कि वहां महुआ बटोर लिया जाता है और उसको वहां के गरीब मजदूर खाते हैं। वहां मजदूरी एक चौथाई और एक तिहाई दी जाती है। वहां चार-चार और पांच-पांच आने पैसे हल जोतने वाले को मिलते हैं और बड़े आदमी लोग तो उस पांच आने पैसे को भी उन गरीबों को नहीं देते हैं। माता, बहनें सबेरे से कमर कस कर खेतों में जाकर काम करती हैं क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, खावें क्या? शाम को घर में रोटी या भाजी या प्याज का एक गेंठा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फाका रह गया। ये जो पूर्वी जिले के मिनिस्टर हैं उनके यहां त्राहि-त्राहि मची हुई है। वह शीरा जिसे हमारे यहां के मवेशी खाते हैं और जो भैंसों को बिनौले के साथ दिया जाता है उसे पूर्वी जिले वाले शर्बत की तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां का आदमी तो उल्टी करके मर जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा स्वराज्य है और कैसी जनसेवा है कि एक तरफ तो ८ रुपया और दूसरी तरफ ५ हजार या ४ हजार रुपया तनख्वाह दी जाय। ऐसी हालत में जनता के अन्दर कानून कैसे रह सकता है? अगर सरकार कानून बनाती है तो उसका कानून खुद टूट जाता है। सरकार ने शारदा ऐक्ट बनाया था कि १८ साल की लड़की और २५ साल के लड़के की शादी होनी चाहिये। इससे कम उम्र वाले अगर शादी करेंगे तो उसके लिये सजा दी जायगी। लेकिन आज भी ७ साल की लड़की और ११ साल के लड़के की शादी खुलेआम होती है। इसलिये मैं कहता हूं कि गरीबों की भलाई करो, अगर गरीबों की भलाई नहीं कर सकोगे तो एक दिन वह आयेगा जब इस देश के अन्दर अशान्ति ही अशान्ति नजर आयेगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि पूर्वी जिले के गरीबों को बचाओ, पश्चिमी जिले के गरीब तो ठीक हैं और ठीक रहेंगे, इसका हमको कुछ खयाल होना चाहिये।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सामने मिनिमम वेजेज ऐक्ट में यह तब्दील करना मकसूद है कि इसके शिड्यूल के मातहत जो कम से कम वेजेज कायम करने हैं उनके लिये दिसम्बर, १९६० तक टाइम बढ़ा दिया जाय। मिनिमम वेजेज ऐक्ट को ठीक तौर पर समझने के लिये यह जरूरी है कि हाउस के सामने वह नक्शा आवे कि जिन हालात में यह ऐक्ट बनाया गया है। जंग के खतम हो जाने के बाद जो मुल्क के अन्दर मजदूरों में बेचैनी बढ़ी और चारों तरफ हड़तालें हुईं, उसकी वजह यह थी कि दौराने जंग सरमायेदारों ने तो बहुत पैसा कमाया मगर मजदूरी नहीं बढ़ी और उसके नतीजे पर सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ बनाकर उन दस्तकारियों में मजदूरों के मजदूरी सम्बन्धी मामले को तय करने का रास्ता खोल दिया। मगर उसका एक रिएक्शन हुआ और वह यह कि जो छोटी दस्तकारियां थीं जिनमें एक आदमी, दो आदमी या चार आदमी मजदूरी में लगे हुए थे उनमें भी एक बेचैनी थी कि सब की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। सरकार भी चाहती है कि उन लोगों को मुनासिब तनख्वाह मिले।

दूसरी दिक्कत और थी और वह यह कि जिस दिन तबियत आयी मालिक ने मजदूर से कह दिया कि तुम ठीक काम नहीं करते हो इसलिये चले जाओ, निकल जाओ, मजदूरी लेने

देने का कोई सवाल नहीं। तो इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने वेजेज ऐक्ट सन् १९४८ पास किया। इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट के पास करने का मंशा यह नहीं था कि वे मजदूरों को इतनी मजदूरी दिलवाना चाहते हैं कि वे बहुत अच्छे ढंग से रह सकें। जिसे लिविंग वेज कहते हैं, मजदूरों को यही दिलवाने का मंशा था कि उसको सब्सटेंटिव वेज मिल जाय ताकि मजदूर की रूह व जिस्म साथ रह सके और उसकी हस्ती बनी रहे, उसका एक्सप्लायटेशन न हो। इसमें ज्यादातर वही दस्तकारियां रखी गई हैं जो बहुत छोटी किस्म की दस्तकारियां हैं जिसमें थोड़ी तादाद में लोग बिखरे हुये लगे हैं और एक मसला सरकार के सामने यह है कि जहां हमको मजदूरी मजदूर को दिलाना है वहां हमें यह भी खयाल करना है कि वह छोटे दस्तकार जो अपनी दस्तकारी को लेकर बैठे हैं कोई बात उनके हक में ऐसी न हो जाय कि मजदूरी उनकी देय शक्ति से अधिक हो जाय, यानी इस कारण से वह दस्तकारी ही मर जाय क्योंकि मजदूरी के मामले में हमने ऐसा काम किया जिससे उन दस्तकार को इतना पैसा नहीं दे सकते थे। इन्हीं २ बातों के संरक्षण के लिये उस मौके पर यह ऐक्ट आया था। पहले तो कम से कम उनको इतना वेतन मिले कि उनकी जिन्दगी कायम रहे, यह न हो कि मालिकान उनसे जब तक चाहें काम लें, जो चाहे दें, जब चाहें निकाल दें, कोई उनको ओवर टाइम न दें और कह दिया कि आज समझ में नहीं आया तुम जा सकते हो।

इस ऐक्ट में ३०–३२ दफात हैं जिनमें यही बातें हैं कि अगर बकाया है तो वह कैसे वसूल हो, उसका बहुत सीधा तरीका है कि मैजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त देकर वसूल किया जा सकता है, ओवरटाइम की वसूली का तरीका भी दिया गया है। इन सब चीजों के लिये यह किया गया है कि मालिकान को एक रजिस्टर रखना होगा और उसको इंसपेक्टर चेक करते रहेंगे, ज्यादातर तो इंस्पेक्टर शिकायतों को अपनी बातचीत से ही तय करा देते हैं क्योंकि हर काम में दो, चार ६ मजदूर बिखरे हुये होते हैं इनके लिये यह असम्भव होता है कि वह अदालत का और वकील का खर्च उठा सकें और वह अपनी कोई मजबूत यूनियन भी नहीं बना सकते। इस वास्ते जो मिनिमम वेजेज के इंस्पेक्टरान हैं वही ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करते रहते हैं। इसके बनने से बहुत बड़ा संरक्षण छोटी दस्तकारियों में काम करनेवालों को मिला, अगर यह कहा जाय कि यह भी गवर्नमेंट का मिसलेनियस इंडस्ट्रीज ऐक्ट है तो वह गलत न होगा और छोटी छोटी दस्तकारियों के फैलने के बाद इस ऐक्ट की जरूरत आज और भी अधिक महसूस होती है और अगर इसको अप-टुडेट किया जायगा तो यह आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेगा और इसका जो पूरा लाभ हो सकता है वह हमारे सामने आ सकेगा।

यहां पर इसके अन्दर प्रस्ताव यह है कि जो शिड्यूल के अन्दर दस्तकारियां दी थीं उन सबके बारे में मिनिमम वेजेज फिक्स की गई हैं लेकिन गढ़वाल के जिले में. . . .

श्री अधिष्ठाता—डाक्टर साहब, विषय इस वक्त यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय, इसी पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।

डाक्टर जयगोपाल—गढ़वाल में जो चाय के बागात हैं, वहां के मजदूरों की वेजेज अभी मुकर्रर नहीं हुई हैं और न अभी पहाड़ी इलाके के खेतिहरों की हुई हैं। इसमें जो तरीका मिनिमम वेजेज फिक्स करने का दिया गया है उसके मुताबिक इसको प्रवर समिति में भेजने के माने यह होंगे कि इसमें देर हो जायगी, इस वक्त इसका नोटीफिकेशन हो गया है, उसकी सब कार्यवाही मुकम्मिल हो चुकी है लेकिन चूंकि ऐक्ट की मियाद खत्म हो चुकी है इसलिये यह विधेयक आया है वगैर अवधि को बढ़ाये कानून की शक्ल इसको नहीं दी जा सकती। प्रवर समिति में भेजने से वक्त निकल जायगा जो काम जल्दी से जल्दी हो सकता है उसमें देर हो जायगी। हां, यह बात हो सकती है कि जब हम इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर कर लें, इस सरकार को यह पावर्स मिल जायं जो कि इस रुके हुए काम को पूरा करने के लिये जरूरी हैं तब हम गवर्नमेंट के सामने यह चीज पेश कर सकते हैं कि इस ऐक्ट के अन्दर एक दूसरा अमेन्डमेन्ट लाये और फिर उसे प्रवर समिति के सामने पेश किया जाय और उसके अन्दर जो खूबियां पैदा करनी हैं उनकी कोशिश की जाय

[डाक्टर जयगोपाल]

हम इसकी मियाद सन् १९६० के बजाय ६२ या ६३ तक बढ़ाने की भी बात सोच सकते हैं क्योंकि सेक्शन २७ में इस बात की गुंजायश है कि गवर्नमेंट जिन-जिन दस्तकारियों के बारे में समझती हो कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट में आनी चाहिए या उनको और तरह का संरक्षण देना जरूरी है तो वह बाई नोटीफिकेशन शिड्यूल के अन्दर इजाफा कर सकती है और उसके लिये मजीद टाइम की जरूरत होती है। मैं यह भी दरख्वास्त कर सकता हूं कि ६० के बजाय मियाद ६२ और ६३ कर दी जाय । लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने शक जाहिर किया कि सरकार तेजी से काम नहीं करती है, हालांकि सन् १९४८ में यह शिड्यूल बना था लेकिन सन् १९५९ तक वेज मुकर्रर नहीं कर सकी है। यह हो सकता है कि मेरी यह मांग कि ज्यादा मियाद बढ़ायी जाय इस शुबहे को बढ़ाने का बाइस हो । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो संशोधन पेश किया जा रहा है वह निहायत मुनासिब है । मगर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अभी हाउस के अन्दर एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने वायदा किया कि वह छोटे प्रिंटिंग प्रेसों को मिनिमम वेजेज के शिड्यूल में लाएंगे । आज जरूरत यह भी है कि हमारी खंडसारी का जो काम चल रहा है, उनमें छोटे टाइप के जो क्शर हैं जिनमें १० से कम आदमी काम करते हैं, जो फैक्टरीज ऐक्ट में नहीं आते हैं, उनको भी शिड्यूल में लाया जाना चाहिये।

छोटे-छोटे इंजीनियरिंग वर्कशाप हैं, जिनमें दो-दो और चार-चार मिस्त्री काम करते हैं, उनको भी इसके शिड्यूल में लाया जाना चाहिये। छोटी-छोटी दस्तकारियों में जरूर यह दिक्कतें हैं कि जब तक वह इस ऐक्ट के मातहत नहीं आतीं तब तक न कोई तनख्वाह मुकर्रर है, न वीकली रेस्ट है, न ओवरटाइम है। अगर तनख्वाह वगैरह भी मार लें तो सिवाय इसके कि पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट का सहारा लिया जाय और कोई चारा नहीं है । उसमें भी यही होगा कि तनख्वाह क्या मुकर्रर थी। वहां तो तनख्वाह ऐसी है कि जो दोनों की रजामन्दी हो गई वह मुकर्रर हो गई, क्योंकि कानून तो कोई उनको मजबूर नहीं करता कि वह रजिस्टर आदि रखें। इस तरह की छोटी-छोटी दस्तकारियों में भले ही वही मिनिमम वेज मुकर्रर कर दिया जाय जो कि चालू हैं, पर उससे यह जरूर होगा कि जो दूसरी दफाएं हैं जिनसे कि मजदूरों को संरक्षण मिलता है वह तो मिल सकेगा।

दूसरी बात मेरे दोस्त ने कही कि सरकार इन दो जगहों पर मिनिमम वेज मुकर्रर करने में क्यों नाकामयाब रही। ऐसा नहीं है कि मंशा न हो। मंशा तो थी, कर सकते थे, लेकिन एक मजबूरी थी और वह यह कि अल्मोड़ा जिले में चाय बागान के अन्दर कम से कम वेतन मुकर्रर किया गया और वहां हुआ २६ रुपये माहवार या १ रुपये योमिया । वहां के प्लान्टेशन वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा है और हमारी इंडस्ट्री उजड़ रही है। इसी तरह देहरादून वाले कहते हैं । तो गढ़वाल में, जहां प्लांटेशन उससे छोटे दर्जे का था, वहां मुकर्रर करते समय क्या इस चीज का एक्सपेरीमेन्ट हमको नहीं कर लेना चाहिए ? अगर वेजे ज्यादा हो गया है और इंडस्ट्री बरबाद हुई है तो यह तयशुदा है कि वह दस्तकारी नहीं रह सकती। हमें तो मजदूर और दस्तकारी दोनों का ही खयाल रखना चाहिए। इस तजुर्बे को अच्छी तरह से जांचने के लिये हमें थोड़ा-सा टाइम लगा जिसकी वजह से देरी हुई। अब मैं खेतिहर मजदूर की बात रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अब समय बहुत कम है आध घंटे में इस बिल को पास होना है ।

डाक्टरजयगोपाल—मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—ज्यादा टाइम तो आप ले ही रहे हैं। मतलब की बात तो आप कह चुके हैं।

डाक्टर जय गोपाल—अब आगे नहीं लूंगा।

खेतिहर मजदूर की यह पोजीशन है जहां तनख्वाह मुकर्रर हो चुकी है क्या उनसे भी किसी ने फ़ायदा उठाया है ? इसलिये कि जब तक उसके पीछे आर्गेनाइजेशन नहीं होगा मिनिमम वेज के मुकर्रर हो जाने के बाद आखिर उसको लागू कौन करायेगा ? फिर दूसरी बात यह पैदा होती है कि क्या जमींदारी अबालीशन के बाद जो एक इन्क्लाब हुआ है उसके बाद खेतिहर मजदूरों की एक बहुत ऐग्रेसिव यूनियन बना कर हम दूसरे इन्क्लाब को चालू कर दें या नहीं ? यह सब कंसीडरेशन हैं जो बहुत जरूरी हैं। इन सब को सोचते हुए देर करना नालायकी नहीं है, देर करने का इरादा भी नहीं है। अब वेज बोर्ड्स के मुकर्रर हो जाने के बाद फिर यह सिचुएशन पैदा हो गई है, जैसा इस ऐक्ट में दिया गया है कि मिनिमम वेज रिवाइज किये जायं, सरकार उस काम को जारी करे। अतः मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में नहीं भेजा जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—माननीयगेंदासिंह जी, आप ५ मिनट बोलें । एक आपका संशोधन भी तो है खंड २ पर।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)— श्रीमन्, मैं समझता हूं डाक्टर जयगोपाल जी ने इस मामले को ठीक तौर से समझा नहीं....

श्री अधिष्ठाता—वह तो आप के संशोधन का समर्थन कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—वह कह तो रहे थे कि सेलेक्ट कमेटी में जाने का विरोध करता हूं लेकिन सारी बातें ऐसी कह रहे हैं जिनसे सेलेक्ट कमेटी में जाने का समर्थन होता है। सरकार का केवल इतना समर्थन कर रहे हैं कि दिसम्बर, १९५९ के बजाय दिसम्बर, १९६० कर दिया जाय लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि शेड्यूल भी बदला जाय, कुछ और शामिल किया जाय। सारे कानून में कुछ अमेंडमेंट का सुझाव रख रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने यह कहा कि मैं समर्थन कर रहा हूं सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री गेंदासिंह—आखिर में उन्होंने यह कहा कि सेलेक्ट कमेटी में जाने का विरोध करता हूं। हालांकि शुरू से ले कर आखिर तक उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में जाने के लिये वजूहात पैदा किये।

अब मुझे यह कहना है कि मेरा अमेंडमेंट मूव हुए बिना असल में सही तसवीर सामने नहीं आवेगी सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव है वह इसलिये है कि इस मिनिममवेजेज बिल में जो दूसरी खामियां हैं वह भी सामने आ सकें। सरकार उन दूसरी खामियों को सामने नहीं आने देना चाहती। इसमें एक शब्द है "ऐप्रोप्रिएट गवर्नमेंट"। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट से हर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वह अपने शेड्यूल में रिवीजन कर सकती है। यह अधिकार है कि जो मजदूरी फिक्स हुई हैं उनको बराबर बदला करे और खास तौर से एक टाइम लिमिट कर दी है कि दिसम्बर, १९५९ तक जरूर मजदूरी की दर बदली जानी चाहिये। प्रदेश की सरकार को, सारी जां-फ़िशानी करने के बाद, बहुत फ़िक्र है खेतिहर मजदूर की और ११, १२ जो इंडस्ट्रीज हैं शेड्यूल में उनके मजदूरों की फ़िक्र है। उसने सन् १९५९ के दिसम्बर को निकाल दिया और आज चाह रही है कि हमको दिसम्बर, १९६० तक और मियाद दे दो ताकि और सोने की फुरसत मिल जाय।

मैं मानता हूं, माननीय राम स्वरूप यादव को इस बिल को पायलट करने को भेज दिया। मैं यह समझता हूं कि यह पाप का काम चीफ मिनिस्टर और बहुगुणा जी नहीं कर सकते थे और उसे रामस्वरूप यादव जी से कराने की कोशिश की गयी। यह बात भी मैं खुल्मखुल्ला कहना चाहता हूं कि इस हाउस में इस बिल पर एक भी हरिजन सदस्य बोलने के लिये खड़ा नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

खास तौर से ट्रेजरी बेंचेज से महीलाल, शिव प्रसाद और गंगा प्रसाद जी बोलें कि हम शोषण करते हैं। इस क्षेत्र में शोषण करने वाले आदमी चिल्ला रहे हैं कि इस पर बहस करो और सरकार से फैसला करवाओ कि जो मजदूरी २६ रुपये रखी हुई है उसे साढ़े ३६ वह करें। एम्पलाइज की तरफ से मुझे प्रतिनिधि के तौर पर रखा गया। मैंने इस गरज से कि सरकार को कतई दिक्कत न हो यह भी कराया कि एक मत से रिपोर्ट आये। एम्प्लायर और एम्पलाइज सब ने मिल कर एक मत से रिपोर्ट की। इसमें थोड़ा मुझे भी श्रेय है। सबने यह तय किया कि मिनिमम जो २६ रुपये है इसे बदल दिया जाय।

(इस समय ३ बजकर ७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मिनिमम जो २६ रुपये हैं उसे साढ़े ३६ कर दिया जाय। साढ़े ३२ से लेकर ४५ और ५२ तक के बीच में शेड्यूल इंडस्ट्रीज और एग्रिकल्चर लेबर की तनख्वाह के लिये हमारी सिफारिश हुई है। लेकिन उसके लिये भी न लेबर मिनिस्टर को और न डिप्टी मिनिस्टर को फुर्सत है और जो ८० उस तरफ बैठने वाले हैं लेबर के प्रतिनिधि उनको भी फुर्सत नहीं है। सीलिंग का बिल जिस वक्त आयेगा इस हाउस को छोड़ कर चले जायंगे और जिस समय हरिजन भाइयों को दो आने बेशी मिलने की बात आयेगी तो बाहर चले जायंगे। हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जायगा कि हम मुल्क में गड़बड़ी फैला रहे हैं, वर्ग विभेद फैला रहे हैं।

अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने हाथ जोड़ कर कहा कि इस बिल के लिये थोड़ा ज्यादा वक्त दे दिया जाय तो मंजूर नहीं हुआ। इसलिये मंजूर नहीं हुआ कि भंडा फूटेगा। उस तरफ से भी लोग कंडेम करते हैं इस गवर्नमेंट को इस सवाल पर। श्रीमन्, १९५२ में एग्रिकल्चर एंक्वायरी कमेटी बैठी। उसमें तय हुआ कि १३ परसेंट परिवार एग्रिकल्चर लेबर है इस १३ परसेंट में ८ परसेंट तो बिना जमीन वाला परिवार है और बाकी के पास थोड़ी-सी जमीन है। उस बिना जमीन वाले के लिये फैसला करना है कि कितनी मजदूरी दिलाई जाय। इस फैसले को माननीय रामस्वरूप जी यादव यहां पेश करने आये हैं कि दिसम्बर तक के लिये टाल दो।

श्री रामस्वरूप यादव—सिर्फ हिल डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी के लिये पहले ही तय कर चुके हैं।

श्री गेंदासिंह—जिस काम की वजह से कमेटी बैठी हुई थी उसकी सिफारिश के मुताबिक आपने फैसला कर दिया कि वह सारी सिफारिश सारे सूबे में लागू की जाय।

श्री रामस्वरूप यादव—जवाब दूंगा।

श्री गेंदासिंह—अच्छी बात है। मुझे सिर्फ यह कहना है कि यह सदन की बड़ी भारी ज्यादती है समाज के उस हिस्से पर जो बहुत दिनों से दबा हुआ है। उसे ध्यान रखना चाहिये और खास कर जब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पिछले २० वर्षों में नेशनल इन्कम तो ४२ परसेंट बढ़ी लेकिन मालूम नहीं वह किधर चली गयी। इसकी जांच करने के लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी जो पता लगायेगी कि वह कहां चली गयी। हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि सारे देश में नेशनल इन्कम बढ़ी मगर यू० पी० में नहीं बढ़ पायी। आप ने २६ रुपये मिनिमम वेज सन् १९५०–५२ में तय किया और सन् १९६० तक उसको रिवाइज नहीं कर पाये। ऐग्रीकल्चर इन्कम बढ़ी, जो और तरह के मजदूरी करने वाले हैं उन सबकी इन्कम बढ़ी, मुनाफा बढ़ा लेकिन बावजूद इस सब के जो सब से नीचे का तबका है उसकी इन्कम २६ रुपये ही रही और उस का रिवाइज करने की आप को फुर्सत नहीं मिली और अभी दिसम्बर तक मिलेगी भी नहीं। तो जाहिर है कि नेशनल इन्कम आप किस के घर भेजना चाहते हैं। इसको प्रवर समिति में भेजने की बात टालने वाली बात नहीं है बल्कि एक्सपोज करने की बात है। उसमें महीलाल जी भी रहेंगे, गंगा प्रसाद जी भी रहेंगे और शिवप्रसाद जी भी रहेंगे

जो उन लोगों के बड़े हिमायती बनते हैं । तो ये सब मिल कर उनका भला करें इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजने की बात है ।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन के समर्थन या विरोध में अपने सुझाव पेश किये हैं। मैं अधिक समय न लेते हुये केवल दो तीन बातें कह देना चाहता हूं ।

ट्रेजरी बेंचेज की ओर से विरोधी दल पर यह आरोप लगाया गया कि अगर हमारी सरकार होती तो हम लाठी और गोली के बल पर इस पालिसी को लागू करा सकते । मुझे ताज्जुब है कि सच्चे माने में जब समाजवादी सरकार होगी तो क्या वह लाठी और गोली की सरकार होगी । यह तो आज जो तथाकथित समाजवादी सरकार है उसी में सम्भव है ।

उधर के एक बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उनसे कहूंगा कि जब कभी वे हाउस में बोलें तो कम से कम विरोधी दल के सवालों का जवाब दें । उन्होंने कहा कि आज रोटी और कपड़े का नारा हमें नहीं लगाना चाहिये । मैं माननीय तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि आज जो उन्हें दो सौ रुपये वेतन के मिलते हैं उसे छोड़ दें क्योंकि उनका विश्वास है कि रोटी और कपड़े के बगैर उनका काम चल सकता है । यह भी कहा गया कि हमारी मंशा बहुत साफ है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं । मैंने बहुत-सी कान्फ्रेन्सों को कोट करने के बाद यह बताया कि कान्फ्रेन्स में तो ऐसा लगता है कि देश का नक्शा कल को बदलने वाला है लेकिन जैसे ही कांफ्रेन्स समाप्त हुई और मीठी-मीठी चाय पी कर मिलमालिक और गवर्नमेंट के लोग बाहर निकलते हैं वे उन सब बातों को भूल जाते हैं । उदाहरण के लिये अभी नैनीताल में त्रिदलीय कान्फ्रेस हुई थी । उसने कुछ फैसले लिये और मुख्य मंत्री जी को यह काम सौंपा कि बाकी मामलों को वह खुद तय कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ ।

यह भी कहा गया कि अल्मोड़ा और देहरादून के चाय और खेतिहर मजदूरों पर हम यह ल.गू नहीं कर सके । क्यों नहीं लागू कर पाये यह मैं बताना चाहता हूं । शायद सरकार समझती है कि जिन बड़े-बड़े लोगों के चाय के बागात हैं वे नाराज हो जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप नई दलीलें न दें ।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मंत्री जी की बगल में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने कहा है कि वह बगीचे वालों के लिये ज्यादा करने वाले थे लेकिन नहीं किया अब क्यों नहीं किया इसके बारे में नहीं बताया ।

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में ही बोलें ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, इसलिये नहीं किया कि मिलमालिक नाराज हो जायेंगे तो श्रीम, यह बातन् नहीं होनी चाहिये । यह आपकी कमजोरी है, उनकी नहीं ।

एक बात यह है न्यूनतम वेतन के बारे में । मुझे यह कहना है कि पी० डब्लू० डी० के मजदूर के लिये केवल ३५ रुपये ८ आने वेतन मिलता है और वह भी चार-चार महीने तक नहीं मिलता है और उधर इंजीनियरों को हजार डेढ़ हजार रुपया मिलता है । इसलिये हम इस बिल को प्रवर समिति में ले जाना चाहते हैं । इसमें रोटी कपड़े का ही सवाल नहीं है बल्कि भावना को भी बदलना है । आज जितने भी मिल मालिक हैं, जितने भी पूंजीपति हैं और जितने भी आपके अधिकारी हैं वह मजदूर को एक काम नहीं समझते हैं बल्कि कौम समझते हैं । हमें आज इस भावना को प्रतिपादित करना है कि मजदूर कौम नहीं है बल्कि एक काम है । मजदूरों को तरह तरह से परेशान किया जाता है, रोजाना उनको निकाला जाता है ।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी उसकी सिफारिशों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया ? इन शब्दों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रतापसिंह]

साथ में मांग करता हूं कि जो कमेटी माननीय सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता मे बैठी थी उसको सिफारिशों को लागू किया जाय। इसके अतिरिक्त नैनीताल में जो ट्रिपार्टाइट लेबर कान्फ्रेंस हुई थी उसके फैसले को लागू किया जाय। अंत में जो गिरि जी ने कहा है मजदूरों को कलेक्टिव बार्गेनिंग की छुट मिलनी चाहिये। आपने दुनिया भर के कमीशन बिठाये और पुलिस कमीशन भी बिठाया। लेकिन श्रीमन्, इन तमाम कमीशनों को खत्म करके केवल एक कमीशन होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि विस्तारपूर्वक इस पर वहां विचार हो सके। अगर न्यूनतम वेतन सबको दे दिया जायगा तो वर्गविहीन समाज की ओर यह हमारा एक प्रमुख कदम होगा। मान्यवर, जिस सिद्धान्त को १९२८ में एशिया के समस्त देशों ने स्वीकार किया, जिस सिद्धान्त को केन्द्रीय सरकार ने १९४८ में स्वीकार किया और जिस सिद्धान्त को १९५४ में जो हमारी लेबर की १३ वीं कनफ्रेंस हुई उसने स्वीकार किया वही सिद्धान्त हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार १९६० तक भी स्वीकार नहीं कर पाई। मान्यवर, वह इस प्रकार है कि :—

"In the course of the 13th Session of the Indian Labour Conference (Mysore, January, 1954) a paper on wage fixing machinery reviewed the efforts that had been made to apply the Minimum Wages Act, 1948. The Planning Commission had recommended in the First Five-Year Plan that "full and effective implementation of minimum wages legislation should be secured", and "the enforcement of minimum wages for agricultural workers in low wage pockets, for the larger farms and in areas selected for intensive development should be regarded as an important aspect of the programme for improving the conditions of agricultural workers and should receive high priority."

इसके साथ-साथ दूसरे प्लान में कहा गया "enforcement of minimum wages should be implemented."

श्री उपाध्यक्ष—माननीय विशारद जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय नये प्वाइंट्स नहीं रखे जा सकते हैं। किसी ने अगर प्वाइंट उठाया हो तो उसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—श्रीमन्, यह प्वाइंट्स उठाये गये और यह कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन आप संक्षेप में ही कहें।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, यह कहा गया कि इंडस्ट्री की पेइंग कैपेसिटी भी देखनी चाहिये। लेकिन श्रीमन्, जहां हम किसी इंडस्ट्री की पेइंग कैपेसिटी देखते हैं वहां यह भी जरूरी है कि यह देखें कि मजदूर का कम से कम वेतन ऐसा हो जिससे वह अपना जीवनयापन कर सके। इसलिये मिनिमम वेजेज फिक्स करने के लिये जहां पेइंग कैपेसिटी को देखें वहां मजदूरों को कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिये जिससे वह जीवन निर्वाह करके इंडस्ट्री की सेवा कर सके। जरूरत इसकी नहीं है कि खाली इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया जाय। उत्तर प्रदेश की सरकार इंडस्ट्री की तरफ ही झुकती रहती है। जहां अल्मोड़ा और देहरादून के चाय बागान के मालिकों ने थोड़ा-सा जोर मारा और कहा कि हमारे अन्दर इतनी शक्ति नहीं है कि हम मजदूरों को मिनिमम मजदूरी दे सकें, तो हमारी सरकार ने घुटने टेक दिये। खेद है कि आज मजदूरों में उतनी शक्ति नहीं है कि संगठित होकर आवाज उठायें नहीं तो सरकार को उनकी इतनी बात माननी पड़ती।

अन्त में मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि हमारे मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें और इसको प्रवर समिति में ले जाकर विचार करें।

श्री रामस्वरूप यादव—मैं इन दोनों प्रस्तावों का जो कि प्रवर समिति में जाने के लिये पेश हुए हैं, विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय प्रतापसिंह को बड़े गौर से सुना। मैं यह नहीं समझ सका कि इसको प्रवर समिति में भेज कर क्या तब्दीली मिनिमम वेजेज ऐक्ट में करा लेंगे। इस वक्त वेजेज को मुकर्रर करने का सवाल सदन के सम्मुख नहीं है। इस समय केवल यह प्रश्न है कि हिल डिस्ट्रिक्ट्स में वेतन मुकर्रर नहीं हो सका है जिसका नोटिफिकेशन हो चुका था लेकिन समय समाप्त हो गया। उस समय को १९६० तक बढ़ाना है।

जहां तक मिनिमम वेजेज के मुकर्रर करने का सवाल है इस ऐक्ट में धारा ५ है, उसके अनुसार मुकर्रर होती है। उसके बारे में जनरल डिस्कशन में कोई नयी बात नहीं कही गयी। वह सिद्धान्त मौजूद है कि किस आधार पर मिनिमम वेजेज मुकर्रर होनी चाहिये। मिनिमम वेजेज के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किये गये हैं उनमें एक विचार लेकर कुछ लोग चले कि नीड बेस्ड वेजेज होनी चाहयें। माननीय प्रतापसिंह ने यही आधार माना था। मैं उनका उत्तर देने से पहले निवेदन कर दूं कि माननीय गेंदासिंह जी उस समय उपस्थित नहीं थे जब यह बिल पेश हुआ था। इसी वजह से वह ८० लाख की बात कह उठे। मेरे खयाल में पहाड़ों की कुल आबादी भी ८० लाख नहीं है। चन्द हजार मजदूर जो पहाड़ों पर काम करते हैं उनके लिये यह बिल लाया गया है। केवल पहाड़ के चार जिलों के बारे में मिनिमम वेजेज नहीं मुकर्रर हो सकी थी। बाकी देहरादून में पहले ही कायम कर चुके हैं। कोई जगह बाकी नहीं रह गयी है जहां मिनिमम वेजेज ऐक्ट से कवर न होती हो।

गेंदासिंह जी ने यह भी कहा और माननीय डाक्टर जयगोपाल ने भी यह स्वीकार किया है। उन्होंने यह कहा है कि राज्य सरकार जब कभी मुनासिब समझे कि शेड्यूल में कुछ तब्दीली हो या रेट्स का रिवीजन हो तो वह हो सकता है। इसके लिये विशेष बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो भी जिक्र हुआ वह मिनिमम वेजेज पर कंसेन्ट्रेटेड रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५२ में मिनिमम वेजेज इस ऐक्ट के अन्दर कायम हुई, कुछ आइटम्स के बारे में। उस वक्त जो हमारा प्राइस इंडेक्स नम्बर था वह ४४१ था और १९५९ में वह ४६९ है। जो फर्क है वह सदन के सामने है। इस फर्क के होते हुए जो कमेटी बैठी थी, जिसके बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने स्पष्टतः प्रश्न पूछा है कि उस कमेटी ने जो अपनी राय दी है उस पर सरकार क्या कर रही है। सरकार के सामने वह विषय है और सरकार का इरादा है कि पहले जो वेजेज मुकर्रर की गयी थीं १९५२ में उन पर विचार किया जाय। यह स्पष्ट है कि तब से इंडेक्स में कुछ खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कि विचार करेंगे। १९५८ या १९५९ में जो वेजेज कायम हुई है उनके बारे में तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि १९५७ में प्राइस इंडेक्स ४६८ था। उस पर उस समय विचार किया गया था जब १९५८ में वेजेज को मुकर्रर किया गया था।

माननीय मोतीलाल अवस्थी ने कहा कि टेक्सटाइल मिल्स, कानपुर में ६ रुपये देना शुरू नहीं किया है। इसके साथ ही जो कान्फ्रेंस नैनीताल में हुई थी उसके निर्णय के अनुसार जो विषय तय हुआ था ४६ हजार मजदूरों के बारे में, उसके लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। ५० हजार मजदूरों का वह मामला था लेकिन उसमें से ४६ हजार मजदूरों के बारे में सरकार ने अपने आदेश जारी कर दिये हैं और उस निर्णय को कार्यान्वित किया गया है। यह भी निवेदन करूं कि इस मिनिमम वेजेज के विषय को केवल इसी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि आवश्यक मजदूरी कितनी हो और आवश्यकता की पूर्ति के लिये कितनी मजदूरी मिलनी चाहिये। इसी आधार को लेकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की थी। अगर वही आधार मान लिया जाय कि वेतन १००, १२५ रुपये से ज्यादा हो जाय तो क्या आज की इस स्थिति में हमारे

[श्री रामस्वरूप यादव]

उद्योग जिन्दा रह सकते हैं ? जो काश्तकार मालिक के रूप में काम करते हैं, वे जिन्दा रह सकते हैं ।

मिनिमम वेजेज मुकर्रर करने के लिये हमको पर-कैपिटा इन्कम को देखना होगा और साथ ही अपने राष्ट्र की आमदनी को भी देखना होगा । यह बातें दृष्टि में रखी जायंगी तो सभी हमारे उद्योग और काश्तकार, जो मजदूरों को रखते हैं, या फार्म जहां मजदूर रखे जाते हैं, वह जीवित रह सकते हैं । आज बहुत ज्यादा मजदूरी बढ़ाकर उद्योगों को जीवित नहीं रखा जा सकता है । मेरी बात को चाहे सही न माना जाय लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आज किसानों की हालत मजदूरों से खराब नहीं है । एक छोटा काश्तकार, जैसी की छोटी-छोटी होल्डिंग हमारे प्रदेश में है, उन पर काम करने वाला काश्तकार जो है, उसकी आमदनी क्या मजदूर से कम है ? इस आदरणीय सदन के सदस्य स्वयं इस बात से परिचित होंगे कि काश्तकारों को मजदूरों से नीचे गिराना क्या न्यायोचित है ? यह विचारणीय विषय है । जैसा मैंने निवेदन किया आज क्या आवश्यकता के अनुसार वेजेज मुकर्रर की जा सकती हैं ।

मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि जहां तक किसी भी निर्णय को कार्यान्वित करने की बात है यह कोशिश की जाती है कि जो फैसले हुए हैं उनका आदर किया जाय । साथ ही साथ सरकार के सामने हमेशा यह विषय रहता है कि उन फैसलों का आदर किया जाय । सरकार भी उतना ही रुपया व्यय कर सकती है जितना खर्च करने की वह स्थिति में है । उद्योग भी उतना ही रुपया खर्च कर सकते हैं जिससे वह जीवित रह सकें । यदि बहुत से उद्योग अपने यहां अभी तक उस निर्णय को कायम नहीं कर सके तो यह उनकी कठिनाई हो सकती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज का विषय यह नहीं था कि मिनिमम वेजेज कायम की जायं । जैसा कि प्रतापसिंह जी ने उदाहरण देकर बतलाया, मैं कहूंगा कि जो कमेटी बनाई गई थी, उसके निर्णय पर सरकार विचार कर रही है और यह आशा की जाती है कि कुछ मिनिमम वेजेज जो पहले मुकर्रर थे, उनमें कुछ संशोधन किया जाय । मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा । पहाड़ी जिलों में जहां पर कृषि सम्बन्धी मिनिमम वेजेज बढ़ाने की बात है, अगर इसी तरह से इस बिल को सदन स्वीकार कर लेता है तो नोटिफिकेशन होने के बाद वहां पर वह वेजेज हो जायेंगे । यदि दिसम्बर, १९६० तक इसकी अवधि बढ़ जाती है तो उसके वेजेज मुकर्रर हो जायेंगे । इसलिये मैं प्रतापसिंह जी से कहूंगा कि वह इस संशोधन को वापिस ले लें और इसको इसी तरह से पास हो जाने दें ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन ७ दिन के भीतर प्रस्तुत करे और जिसको परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक सप्ताह के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, २, प्रस्तावना तथा शीर्षक

मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये,

विधेयक

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधि- नियम, १९६० कहलायेगा; — संक्षिप्त शीर्ष- नाम तथा प्रारम्भ

(२) यह अधिनियम १ जनवरी, १९६० से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

२—उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मिनिमिम वेजेज ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ए) के उपखंड (१) तथा (२) में जहां भी संख्या '1959' आयी हो उसके स्थान पर संख्या '1960' रख दी जाय । — ऐक्ट संख्या ११, सन् १९४८ का संशोधन

श्री गेंदासिंह—मैं तो समझता हूं कि सरकार की इच्छा के मुताबिक ही सदन ने प्रस्ताव स्वीकार कर दिया है और उसकी इच्छा के मुताबिक ही मैं संशोधन रखना चाहता हूं। माननीय यादव जी ने अभी कहा है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपने संशोधन तो रखा ही नहीं ।

श्री गेंदासिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में संख्या '१९६०' के पहिले शब्द 'सितम्बर' रख दिया जाय ।

माननीय यादव जी दिसम्बर कह रहे हैं और हमने सितम्बर रख दिया है और इसमें कुछ करना नहीं है । अगस्त में इसका नोटीफिकेशन हो चुका है इसलिये इन पिछड़े हुए हरिजन भाइयों को, जो खेती करने वाले हैं, उनकी मदद कुछ जल्दी हो सके तो अच्छा होगा । आपने यह इ समें कहीं कहा नहीं है कि यह हिली डिस्ट्रिक्ट्स के लिये हो रहा है, लेकिन अगर उन्हीं के लिये है तो इस संशोधन को भी स्वीकार कर लीजिये, यह कुछ पहले ही लागू हो जायगा। मैं समझता हूं कि अगर कोई खास जिद न हो तो इसको स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये और ऐसा होने से यह विधेयक शीघ्र ही लागू हो सकेगा ।

श्री रामस्वरूप यादव—मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि नोटीफिकेशन के बाद भी कुछ कार्यवाही करना जरूरी होता है और इतने कम समय में वह कार्यवाही कर पाना मुश्किल हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह—आप कुछ समय दें तो मैं कुछ अवश्य कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—तीसरा कारण भी तो बाकी है । आप एक मिनट में कह लें ।

श्री गेंदासिंह—मैं अब हरिजन कहलाने वाले भाइयों से अपील करता हूं कि हमारी मदद करें । चाहे वे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के, वे हम से मिल कर सरकार को हरावें

[श्री गेंदासिंह]

इस संशोधन पर । सरकार की नीयत उन गरीब लोगों के साथ न्याय करने की नहीं है जिनकी मदद के लिये मजबूर होकर उसे यह बिल यहां लाना पड़ा है । माननीय यादव जी ने कुछ देर पहले जो कहा था उस के लिये मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने को करेक्ट करें । वह कहते हैं कि १९५२ में जब मजदूरी फिक्स की गई थी उस समय से आज के प्राइस इंडेक्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है । उनको फर्क नहीं दिखाई देता, शायद उनके घर के लोग अनाज खरीदते नहीं । मुमकिन है कि मैनपुरी से आटा, चावल आ जाता हो, लेकिन जो गरीब हरिजन और दूसरे लोग शहर और देहात में खरीदकर खाते हैं उनकी कमर टूट रही है । मैं माननीय रामस्वरूप जी, जो बुद्धि रखने वाले आदमी हैं, से अपील करना चाहता हूं कि मेहरबानी कर के अपने डिपार्टमेंट के स्टैटिस्टिक्स को देखने की कृपा करें और उसे देखने के बाद वे इस जगह पर पहुंचेंगे और जान पायेंगे कि प्राइस इंडेक्स में कितना फर्क हुआ है । उसे ध्यान में रख कर इस तरह की बात कहना उनको शोभा नहीं देता ।

श्री रामस्वरूप यादव---प्राइस इंडेक्स में बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है ।

श्री गेंदासिंह---लेकिन मैं कहता हूं कि फर्क पड़ता है । आपने मजबूर होकर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह ५ रुपये इस साल बढ़ायी, कुछ पहले ढाई रुपये बढ़ायी । केन्द्रीय सरकार ने १५ रुपये अपने कर्मचारियों को दिये , लेकिन खेती में काम करने वाले महीलाल जी और शिव प्रसाद जी के भाई बंदों के लिये आप कुछ बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं । तो मैं अपील करता हूं हरिजन भाइयों से कि इस संशोधन पर वे सरकार को हरा कर उनकी अक्ल ठिकाने करें ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में संख्या "१९६०" के पहिले शब्द "सितम्बर" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में---३४,

विपक्ष में---७४ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

रामस्वरूप यादव---मैं प्रस्ताव करता हूं कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०
खंड ६-८ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८-एच० क उपखंड (२) के मद (बी) में शब्द "prescribed" के पश्चात् शब्द " Any person aggrieved by the decision of the forest officer can appeal to the District Judge whose decision

shall be final and binding and shall not be questioned in any other court of law." रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८–आई के उपखंड (i) की पंक्ति २ में शब्द "notification" तथा शब्द "in" के बीच शब्द "and the decision of the appeal by the District Judge against the order of the forest officer" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८–आई के उपखंड (ii) की सातवीं पंक्ति में शब्द "twenty" के स्थान पर शब्द "ten" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८–जे० के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"The person whose land, trees or structures thereupon are so taken shall be entitled to receive compensation."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं–

"Provided that land will be returned to the original owner in case the latter satisfies the Government or gives an undertaking that he will maintain and preserve the developed forest as such."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—३१,
विपक्ष में—७७ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

कुछ प्रयोजनों के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिये,

ऐक्ट सं
१६, १९२

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया जाय

ऐक्ट सं

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा ।

संक्षिप्त
शीर्षना

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर---मैं प्रस्ताव करता हूं कि दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री प्रतापसिंह---मैं विरोध करता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं भी विरोध करता हूं । हमें अवसर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---अब समय नहीं है ।

प्रश्न यह है कि दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---७३ ,

विपक्ष में ---२३ ।)

त्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ वैधानिक आपत्ति है । श्रीमन्, यदि आप प्रक्रिया नियमावली के नियम १२५ को देखें तो उसके दूसरे पैरा में यह लिखा हुआ है :---

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्णरूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे ।"

श्री उपाध्यक्ष---यह नियम तो पुरःस्थापन से संबंध रखता है । वह स्टेज तो खत्म हो गयी । अब विचार का प्रश्न हमारे सामने है, इसलिये आपकी आपत्ति लागू नहीं होती ।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, मेरी दूसरी आपत्ति भी है । यह संविधान के भी विरुद्ध है । आप मौलिक अधिकारों की धारा १९ (२) को देखने की कृपा करें । वह इस प्रकार है :---

"(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात अपमान-लेख, अपमान-वचन, मानहानि, न्यायालय-अवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा सम्बन्ध रखने वाले किसी विधि को बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी ।"

श्री उपाध्यक्ष---तो उसमें आपको क्या कहना है ?

कुंवर श्रीपालसिंह---इसमें मेरा यह कहना है कि इसमें कुछ ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं इस विधेयक के द्वारा जो अवैधानिक हैं, अनैतिक हैं और जो सी० आर० पी० सी० आदि के द्वारा वैधानिक नहीं हैं । अब इसमें यदि आप धारा ३३ (२) में निर्दिष्ट अनुसूची के भाग-ब

में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में जिला परिषद् जिले के भीतर समुचित व्यवस्था कर सकती है।" अब इस अनुसूची २ के भाग-ख की धारा ७, जो पृष्ठ ११४ पर छपी है, देखें तो उसमें लिखा है :— "कोई क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने में सहायता देना।" तो "घृणित कर्म या व्यवसाय", इसकी परिधि इतनी व्यापक है कि कोई भी चीज इसमें आ सकती है। अगर इस शब्द की परिभाषा इस विधेयक में दे दी गई होती तो मैं इसका विरोध न करता, मगर चूंकि इस विधेयक में परिभाषा नहीं दी गई है और इन शब्दों पर परिभाषा में कोई प्रकाश कतई नहीं डाला गया है तो यह परिधि इतनी व्यापक हो गई है कि उसमें वह भी अनैतिक कार्य आ सकते हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मना किये गये हैं। चूंकि केन्द्रीय सरकार के कानूनों को गलत करने के लिये हम कानून नहीं बना सकते हैं इसलिये मेरा खयाल है कि यह कानून बनाकर हम गलती कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अगर रोकने का भी अधिकार दें तो भी गलत है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, यह बात नहीं है, घृणित कार्य करने का अधिकार हम उस सीमा तक नहीं दे सकते जो इसमें वर्णित है क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा मना है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसके माने यह होंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मना किये घृणित कर्मों को करने के लिये जिला परिषद् जमीन दे सकती है या दिलवा सकती है। इसलिये मैं यह विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को अभी वापस ले लिया जाय और फिर से विचार करके नया विधेयक लाव।

श्री उपाध्यक्ष—इस संबंध में माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसको तो बिलकुल यही कहना चाहिये कि यह अर्थ का अनर्थ करना है। यहां तो उन ट्रेड्स से मतलब है जो लीगली, लाफुली चलाये जा सकें। ऐसी चीज जिससे लोगों को असुविधा हो, जैसे कहीं बदबू हो या जिस चीज को आंखों से देखने में घृणा हो, या जैसे कहीं हड्डियां स्टोर करनी हों, या कोई आदमी कहीं स्लाटर हाउस बनाना चाहता हो या कोई कम्पोस्ट खाद बनाना चाहता हो, तो उसके लिये समुचित स्थान देने की व्यवस्था करने का इसमें विधान किया गया है ताकि इल्लीगली कोई अपनी मनमानी न कर सके। जब तक कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध कोई बात न हो और लीगली कोई आदमी किसी तरह का ट्रेड करना चाहे तो उसके लिये कांस्टीट्यूशन में गुंजायश है। लाफुली कोई ट्रेड करना कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध नहीं जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, चाहे मंत्री जी जितना भी कहें उसके लिये हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर यह मैं जरूर कहूंगा कि यह जो कानून बन रहा है उसकी परिभाषा में इन शब्दों को जोड़ा नहीं गया है। घृणित शब्द से मतलब वेश्यावृत्ति तथा जुए खेलने से भी हो सकता है, तो ऐसे कामों के लिये भी जमीन उपलब्ध करने या कराने में मदद देने की बात इसके अन्दर निहित है। तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी जो परिभाषा है घृणित व्यवसाय की उसी को मानने के लिये लोग बाध्य कैसे होंगे जब तक कि कानून के अन्दर पूरी तरह से उसकी परिभाषा न आ जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को इस संबंध में क्या कहना है कि घृणित शब्द से जो उनका मतलब है वही सही है और कुंवर श्रीपालसिंह जी का सही नहीं है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इल्लीगल ऐक्शन को लीगेलाइज करने के लिये ही इसे रखा गया है, जैसा कुंवर श्रीपाल सिंह जी का खयाल है उससे इसका मतलब नहीं है। जब तक इस तरह की कोई चीज सामने न आ जाय तब तक इसके विरुद्ध कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता। हां, आगे यदि जरूरत महसूस हुई तो यथा समय इसमें लाफुली ट्रेड्स शब्द जोड़ दिये जायंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस शब्द का अर्थ समझने की बात है, मैं समझता हूं कि अंग्रेजी 'आबनाक्शस' का तर्जुमा घृणित ठीक ही है। यह ट्रांसलेशन की गलती है कि किसी की टांग टूट गयी हो। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि यह शब्द 'घृणित' आबनाक्शस के लिये है तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। यह घृणित शब्द बराबर है आबनाक्शस के।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं इस पर थोड़ी-सी वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हमारा जो मूल विधेयक है वह हिन्दी में है। तो हिन्दी का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में है या अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिन्दी में है? अगर अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिन्दी में है तो इसका माने यह हुआ कि पूरा विधेयक ही अवैधानिक हो गया। क्योंकि हमारे यहां की राज्य भाषा हिन्दी है और मूल विधेयक हिन्दी में है, इसलिये उसके शब्द और उसकी भाषा का अर्थ हिन्दी में ही मान्य होना चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्य की सेवा में इतना निवेदन कर दूं कि भारत के संविधान के अनुसार १९६५ तक जो भी विधेयक इस आदरणीय सदन में पारित होंगे उनकी अथाराइज्ड कापी का हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, उस पर मैंने दोनों पक्ष के विचार सुने। वैधानिक प्रश्न के द्वारा कोई ऐसी वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी गयी जिससे इस विधेयक पर विचार ही रोक दिया जाय। जैसा कि दोनों पक्ष के विवादों से मालूम हुआ कि केवल एक प्रस्ताव के रूप में एक विधेयक है और चूंकि पूरा विधेयक ही प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने है तो अभी सदन को पूरा मौका है, जब चाहे जिस शब्दावली को अनुचित समझे, बदल दे। ऐसी हालत में चेयर को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और इस कारण उसे अवैधानिक मानकर मैं इसके विचार के प्रस्ताव को रोक नहीं सकता। अन्त में अगर इस किस्म का कोई पला रह जायगा तो आमतौर से अध्यक्ष, विधान सभा, अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। यदि सदन कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर देता है तो उसके लिये हमारे देश में विभिन्न न्यायालय मौजूद हैं। इंगलैण्ड की बात अलग है, वहां पर पार्लियामेन्ट ही सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन हमारे यहां विधान के अनुसार विभिन्न न्यायालय हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट भी हैं। अगर कोई अनियमितता रह जायगी तो न्यायालय में भी जाया जा सकता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रेसीडेंट की एसेंट के लिये भी जाएगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—जब एक गलती मालूम हो गई तो आप आज्ञा दे दें कि उसे सुधार लें।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि विचार करके देखेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज अपने को इस स्थिति में पाता हूं कि इस विधेयक को सीधे इस सदन के सामने विचारार्थ पेश कर सकूं। अभी इसको प्रवर समिति में जाना था, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मित्रों के सुझाव पर और उनके सहयोग से हमें वहां नहीं ले जाना पड़ा और सीधे यहां पर लाये और सदन ने कृपा करके यह इजाजत दी कि इस पर विचार हो जाय। मैं अपने उन मित्रों के प्रति जिन्होंने इसमें सहयोग दिया अपना आभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकता हूं।

श्रीमन्, वैसे तो इसका जो मूल विधेयक था वह पारसाल जुलाई में इस सदन के सामने रखा गया था और प्रवर समिति के सामने भी जा चुका था और वहां विचार भी हो चुका था। लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया कि इस लोकतन्त्र का विकेन्द्रीकण करने के लिये यह आवश्यक है कि खण्ड स्तर पर भी एक लीगल कांस्टीट्यूशनल बाडी बनाई जाय ताकि प्लान का काम, रचना का काम, आसानी से चल सके। इसलिये उस विधेयक को वापस लिया गया और उसके स्थान पर यह रखा गया।

साधारणतः इस विधेयक के अन्दर प्रायः वही बातें है जो पिछले विधेयक में थीं। दो-तीन बातें जो इसमें नई समाविष्ट की गयी हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अगर हम और चीजों पर अपना समय न लगायें बल्कि उन्हीं चीजों पर अपने को केन्द्रित करें तो यह मुमकिन होगा कि जो मतलब प्रवर समिति में हासिल होता वह इस सदन में भी हासिल हो सके, ऐसी मेरी आशा है।

जैसा कि बार-बार सरकार की तरफ से कहा गया और जिसे मैं फिर दोहराना चाहता हूं, यह विधेयक ऐसा विधेयक है कि जो किसी पार्टी की दृष्टि से देखा और विचारा नहीं जा सकता है। यह विधेयक यह कल्पना करता है कि न मालूम कितने साल तक यह व्यवस्था जोकि यह स्थापित करेगा, कायम रहेगी और उसके अनुसार हमारे प्रदेश में, जिलों में, खण्डों में और ग्राम पंचायतों में व्यवस्था की जायगी। श्रीमन्, मूल कल्पना इस विधेयक के पीछे यह है कि शासन के बहुत सारे काम जो जिला स्तर पर विकेन्द्रित किये जा सकते हैं, जिनको आसानी से स्थानीय जनता के नुमाइंदों पर छोड़ा जा सकता है, उनको सरकार अपने हाथ से हटा करके विकेन्द्रित कर दे। यह सही है कि आज जिस सीमा तक हम चाहते हैं विकेन्द्रीकरण किया जाय और बहुत से माननीय सदस्य तथा जनता में भी जो आशा की जाती है कि विकेन्द्रीकरण किस दर्जे तक कर दिया जाय, उस दर्जे तक हम आज इस विधेयक की मार्फत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि जब उपयुक्त समय समझा जायगा और इस विधेयक के ऊपर जो अमल किया जायगा उसके अनुभव के प्रकाश में और बाद में जो तरक्की हम करेंगे उसके आधार पर इसमें और विकास हो जाय और बिना इस सदन में फिर से आये सीधे सरकार जी० ओ० से अपने काम का कोई हिस्सा इन जिला परिषदों को हस्तांतरित कर सकेगी।

इस विषय में मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में, मनुष्यों का आचरण, समाजों का आचरण, संस्थाओं का आचरण, सिर्फ जो विधान के अन्दर लिख दिया जाता है उससे शासित नहीं होता है, वह शासित होता है वास्तव में समाज के अन्दर जो शक्तियां हैं वह किस तरह से अपने को स्थापित करती हैं, किस तरह से अपने को अरेंज करती हैं, स्थिर करती हैं और राजनीति अन्ततोगत्वा शक्तियों का एक संतुलन कहलाता है। और जिस कदर जनमत जाग्रत होगा समाज आगे बढ़ेगा, तो यह नामुमकिन है कि सरकार के ऊपर उसकी प्रतिक्रिया न हो और सरकार अपने को विवश न पाये उन चीजों को हस्तांतरित कर देने के लिये जिनकी कि बाकायदा मांग समाज के अन्दर हो और जिसको कि देश चाहता हो। एक जाग्रत जनमत वास्तव में सब से बड़ा कैरेक्टिव है, रेस्ट्रेन्ट करने वाला है और संचालन करने वाला है जिसके सामने बड़ी से बड़ी सरकारें टिक नहीं सकती हैं। फिर हमने अपने देश के अन्दर जो राज्य व्यवस्था स्थापित की है वह बालिग मताधिकार पर स्थित है और हर ५ साल में जो भी शासक हों उनको जनता के सामने जाना पड़ता है, अपनी बात कहनी पड़ती है और उनसे आदेश लेना पड़ता है कि हम जिस कार्यक्रम को चलाना चाहते है वह सही है या नहीं। अगर जनता की मुहर उन पर लग जाती है तभी वह यहां आ करके या अन्यत्र शासन का काम चला सकते हैं अन्यथा नहीं। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिये और मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरकार स्वयं समझदारी से काम करे तो वह भी जनमत की उपेक्षा नहीं करना चाहेगी।

मेरा दावा तो यह है कि सरकार यदि उपेक्षा करना भी चाहे और जनमत अगर जाग्रत है तो सरकार उपेक्षा कर नहीं सकती और जनमत का प्रभाव सरकार के आचरणों पर, कार्य-

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

कमों पर बिना पड़े रह नहीं सकता है और इस दृष्टि से अगर हम इन जिला परिषदों को देखेंगे तो मैं यह विनय के साथ कहना चाहूंगा कि इनके अन्दर इतनी गुंजायश है इनको बढ़ाने की, व्यापक बनाने की कि इनके मातहत और बहुत से काम जो आज शायद नहीं हैं, कल आ सकते हैं; उनको लाने की हम अगर समझदारी के साथ इन पर आचरण करें, उनको वर्क आउट करें, तो हमें सफलता मिल सकती है। जिस सद्भावना से इस बिल के कई स्टेजेज पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों से विचार-विनिमय हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अपने सहयोग का परिचय दिया उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जब सचमुच में इसके मुताबिक चुनाव होंगे और परिषदें बनेंगी तो उसके अमल में भी यही सद्भावना उसी स्तर पर हर जिले में प्रदर्शित होगी और उस हालत में उनसे अधिक से अधिक आशा की जाती है कि उनके द्वारा जनहित के कार्य होंगे और प्रदेश की सेवा हो सकेगी।

इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वैसे उसकी आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन अगर उसका उल्लेख मैं इस समय न करूं तो शायद कुछ शकूक और गलतफहमियां कुछ लोगों के दिमाग में रह जायं। वह बात यह है कि मैं तसलीम करता हूं कि प्रवर समिति को इस बिल को न भेज कर जो सीधे इस पर विचार करने का संकल्प सदन ने किया है, उसके पीछे यह भावना जरूर है कि यह विधेयक जल्द से जल्द पास हो . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माननीय मंत्री जी के मुंह से यह निकला कि इस बिल को प्रवर समिति में न भेजकर सीधे इस पर विचार करने का सदन ने संकल्प किया है, जब कि अभी प्रवर समिति में भेजने के तमाम प्रस्ताव यहां मौजूद हैं, तो क्या पहले से कोई मंत्री इस हालत में आने वाले संकल्प के विषय में एन्टीसिपेट कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—जो आपस में उनकी विरोधी दल के नेताओं से बातचीत हुई है उसी के आधार पर वह कह रहे हैं, वह रोक नहीं रहे हैं, इसी का उल्लेख उन्होंने किया है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई शब्दों की बात है तो वह सुधार लें, इस प्रकार इस पर सीधे विचार करने के पीछे केवल भावना यह है कि हमारे चुनाव शीघ्र से शीघ्र हो जायं। अगर वह मेरे मुंह से वाक्य न छीनें तो मैं शायद उसका भी जिक्र कर दूं लेकिन यह कोई अच्छी शोभा की बात नहीं है कि जब मैं एक गंभीर विषय पर बोल रहा हूं या जो बात कहना चाहता हूं उस वक्त बार-बार जो आपत्ति की जाती है, यह अच्छी चीज नहीं है, कोई रागद्वेष की बात नहीं है, मैं तो सीधे सद्भावना से आपको सब बात बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आर्डर! आर्डर!!

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शीघ्र से शीघ्र का अर्थ जल्दी से जल्दी ही हो सकता है इससे अधिक नहीं, इससे ज्यादा न देर हो सकती है न जल्दी। मैंने तो कोई चीज छिपाने की भी कोशिश नहीं की, जो भी सद्भावनायें थीं वे सब मैंने माननीय विरोधी दल के लोगों के सामने रख दीं और मुझे विश्वास भी दिलाया गया कि अगर सितम्बर तक यह विधेयक पास हो जायगा तो फरवरी तक चुनाव हो सकते हैं। ऐसा आश्वासन मुझे चुनाव विभाग ने दिया है। चुनाव तो वही करायेगा, मैं स्वयं तो कराऊंगा नहीं। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सारी कोशिश चुनावों को फरवरी तक कराने की है; लेकिन जो बात मेरे हाथ की नहीं है उसके लिये मैं यहां पर वादा कर लूं, यह मेरे लिये उचित न होगा। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि अगर सद्भावनाओं के मूल में विश्वास किया जा सकता है, जैसा कि अभी तक माननीय सदस्यों ने किया है तो मुझे आशा है कि हम अपने को साबित करेंगे कि हम विश्वास किये जाने योग्य हैं। बस इससे ज्यादा कहना अब मैं अनावश्यक समझता हूं।

अब इस विधेयक में जो अन्य बातें रखी गई हैं वे दो तीन हैं, उनका भी मैं थोड़ा जिक्र कर दूं । एक तो यह कि जो खण्ड समिति बनेगी उनका संगठन क्या हो । वैसे तो मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसको सरसरी निगाह से देख लिया होगा और कुछ मित्रों ने इसका काफी अध्ययन भी किया होगा लेकिन बहुत संक्षेप में मैं इशारा किये देता हूं कि इन खंड समितियों को बनाने का उद्देश्य यह है कि योजना का काम है, उसमें जनता का सहयोग मिल सके । इसलिये हर पंचायत का प्रधान पदेन खण्ड समिति का सदस्य होगा । इससे उनकी तादाद कम ज्यादा हो जाती है । हमने तो चाहा कि तादाद थोड़ी हो लेकिन कोई दूसरा तरीका हमें ऐसा नहीं लगा जो ठीक होता और हम यह करते कि दो गांव पंचायतों में से एक प्रधान उसको रिप्रेजेंट करे । यह शायद बहुत वांछनीय नहीं होता । इसमें बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आतीं जो आगे चल कर तकलीफ दे सकती थीं । इसलिये इस बात को स्वीकार किया गया है कि हर गांव सभा का प्रधान सदस्य हो । फिर जिला बोर्ड बहुत बड़ी हो जायगी लेकिन इसमें कोई डर नहीं है ।

हर पंचायत को इसमें प्रतिनिधित्व मिल सकेगा । इस तरह से ७२ हजार से अधिक जो हमारी पंचायतें हैं उनका सीधा सहयोग इन क्षेत्र सभाओं के कामों में हमको मिल सकेगा, वे समझ सकेंगे कि उनके यहां क्या-क्या काम होता है । हर पहलू से अगर खेती का काम है, अधिक अन्न उपजाने का काम है तो वह समझ सकते हैं कि हमारे यहां क्या हो रहा है । क्या दे सकता है, क्या संभावनायें हैं, वह एक जानकारी के साथ और थोड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां आकर निर्णय करेंगे । अगर हम गलत निर्णय करते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा । हमने यह निश्चय किया था तो इसका यह परिणाम हुआ । भविष्य में हमको अधिक सावधान रहने की जरूरत है । डेमोक्रेसी का मूल सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति से या समूह से जिस चीज की संभावना हो उसको वह जिम्मेदारी के साथ करे । उस जिम्मेदारी का वह अहसास करे । ऐसा न हो कि संबंध दूसरों से हो, हजारों लाखों दूसरे आदमियों की बहबूदी और बरबादी का सवाल हो और कुछ ऐसे लोग उसका निर्णय करें जिनसे स्वयं वह प्रश्न संबंध न रखता हो । यह दोष इस व्यवस्था से हट जायगा और यह आशा की जा सकती है कि जो खण्ड स्तर के ऊपर हमारी समितियां बनेंगी उनमें सचमुच में लोग एक जीवित दिलचस्पी ले सकेंगे अपने अनुभव के प्रकाश में, जो उनको पिछला होगा या आगे होगा, उससे वे लाभ उठा सकेंगे और उनके निर्णय बहुत कुछ असलियत और वास्तविकता से सम्बन्ध रखेंगे ।

इस समिति के अन्दर और भी कुछ सदस्य होंगे । खास तौर से स्त्रियों और हरिजनों के पहले ही प्रतिनिधि नहीं होंगे । जितनी कमी पूरी संख्या पूरी करने में रह जायगी उतने व्यक्ति और ले लिये जायंगे ।

सहकारिता के विभाग के भी दो, तीन आदमी इसमें और रखे गये हैं ताकि उनका सहयोग मिल सके । खण्ड स्तर पर जो सहयोग तथा सहकारिता की क्रियायें चल रही हों उनमें उनको इस खण्ड स्तर से पूरा सहयोग तथा मदद मिल सके । इस समिति का जो प्रधान होगा वह चुना हुआ नान-आफिशियल होगा और साधारणतया इस समिति का सारा काम निरीक्षण और संचालन उसका कर्त्तव्य होगा । इस तरह की समितियां जिला स्तर पर जिला परिषद् में आयेंगी और साथ ही जितने बड़े-बड़े जिले हैं जिनमें ३०, ३२, २५, २६ बड़े-बड़े खंड हैं वहां पर एक व्यक्ति इस तरह से पदेन प्रधान की हैसियत से काम करेगा और एक व्यक्ति डायरेक्ट इलेक्शन से आ जायगा । और इसके अलावा एक चीज जो पहले विधेयक में नहीं थी और इसमें है वह यह कि अब जितने एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० तथा एम० पीज० हैं वे सब पदेन इसके सदस्य हो सकेंगे । एक से ज्यादा जिलों से जिनका सम्बन्ध है, जैसे एम० पीज० में कहीं-कहीं हैं या एक खंड से ज्यादा जिनका सम्बन्ध है, उन लोगों को स्वयं चुनना होगा कि किस जगह उनका मकान है उसी जगह वे सदस्य हो सकेंगे, सब जगह नहीं हो सकेंगे, लेकिन एम० एल० एज० का जहां तक ताल्लुक है, वे जहां-जहां उनकी कांस्टीटुएंसी होगी उस खंड में भी भाग ले सकेंगे और जिला स्तर पर भी भाग ले सकेंगे ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---अरबन एरियाज के बारे में क्या होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अरबन एरियाज का तो इसमें है नहीं। इसमें म्युनिसिपैलिटीज ली गयी हैं । उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा, लेकिन मेरा खयाल है कि पदेन एम० एल० एज० इसमें होंगे। जिला परिषद् की जो हम कल्पना करते हैं वह वास्तव में एक सेकेंड स्टेज गांव और खंड के बीच में, सरकार के और इनके बीच में एक तीसरी इकाई है, उसकी कल्पना हम करते हैं और इसी वास्ते जिला परिषदों में म्युनिसिपैलिटीज के प्रेसीडेंट्स को भी मेम्बर बनाया गया है, नहीं तो गैप रह जाता और इसी दृष्टि से एम० एल० एज० भी उनके मेम्बर हो जायेंगे। महापालिका के जो मेयर साहब हैं वे भी इसमें हैं। (नहीं, नहीं की आवाजें) वह विषय ऐसा है कि उसके ऊपर आगे विचार हो जायगा।

इसमें जो हमने कोआप्शन का सिद्धान्त माना है उसका कुछ मित्रों ने विरोध किया और खासतौर से हरिजन भाइयों की तरफ से यह मांग आयी कि जिह तरह से एम० एल० एज० के चुनाव में या दूसरी जगह उनका संरक्षण होता है वही संरक्षण इसमें भी दिया जाय। जहां तक डायरेक्ट एलेक्शन का ताल्लुक है वहां तक तो यह संरक्षण मुमकिन हो सकता है लेकिन जिस जगह पर पदेन सदस्य हैं वहां पर इसका प्राविधान करने में कठिनाई है । इसलिये हमने यह समझा था कि कोआप्शन का तरीका ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस विषय में अगर इस आदरणीय सदन की राय यह हो कि नहीं, संरक्षण ही होना चाहिये तो जहां तक डायरेक्ट एलेक्शन का ताल्लुक है वहां तक हम उसे मान सकते हैं और इस सम्बन्ध में अगर कोई संशोधन आयेगा तो सरकार को उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

जिला परिषद् को यह अधिकार भी दिया गया है कि ग्राम पंचायतों और टाउन एरियाज का नियन्त्रण वह करे। आज तक सरकार जो नियन्त्रण करती थी उसको भी हस्तांतरित कर देने का विचार है ताकि जिला परिषद् ही उस काम को करे। जहां तक मेम्बरों को रिमूव करने या परिषदों को रिमूव करने का सवाल है, इसमें यह प्राविधान रखा गया है कि जिला परिषद् से पहले सरकार राय ले लेना चाहेगी कि उनकी क्या राय है और उसके बाद ही कोई निर्णय करेगी। यह भी इसके अन्दर एक सुधार किया गया है ताकि उनकी राय से सरकार लाभान्वित हो सके।

बाकी बहुत-सी चीजें मैं पिछली बार इस सदन को बता चुका था, कोई नयी चीजें नहीं हैं और अन्त में जब मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुन चुकूंगा उसके बाद अगर कोई संदेह रह जायंगे तो उनका निराकरण करने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---आचार्य दीपंकर जी, यह जो आपका प्रस्ताव है कि "उपर्युक्त विधेयक को विचारार्थ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसके क्षेत्र का विकास किया जाय"। "उसके क्षेत्र का विकास किया जाय" इससे आपका क्या यह मतलब है कि सिलेक्ट कमेटी को पावर्स बढ़ा दी जायं ?

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---इसको इस तरह कर लीजिये कि " जिसको इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार होगा।"

आचार्य दीपंकर---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक को विचारार्थ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हमें कुछ वैधानिक दिक्कत है कि इसमें परिधि बढ़ाने की कहां गुंजायश है । यह तो समूचा बिल प्रवर समिति में जा रहा है। परिधि बढ़ाने के अधिकार की तो उस जगह मांग करनी चाहिये जब किसी ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा हो और किसी धारा या किसी अंश के संशोधन करने की जरूरत हो तो दूसरे हिस्सों के बारे में उसकी परिधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है। लेकिन यह तो समूचा बिल जा रहा है इसलिये परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव उपयुक्त नहीं होगा।

आचार्य दीपंकर—श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि विधेयक में जो गलतियां हैं उनको ठीक किया जाय और जो नई चीज बढ़ानी हो वह भी बढ़ाई जा सके। इसलिये मेरा प्रस्ताव परिधि बढ़ाने का वैधानिक है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह ठीक है कि किसी अधिनियम में यह अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन जिन कारणों और उद्देश्यों के अनुसार यह बिल पेश हुआ है, उसके अलावा हो सकता है कि और कोई नवीन बात हो जिसका समावेश उसमें न हो सका हो, उसको रखा जाय तो उसमें दिक्कत होगी। मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा विषय हो, माननीय सदस्य गेंदासिंह जी की जानकारी के लिये उपस्थित कर दें।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं अपनी दिक्कत रफा कर सकता हूं और अब यह रूलिंग हो गयी कि विधेयक के बाहर की भी किसी बात को ले आने का हमें अधिकार रहेगा। यह तो बहुत अच्छी रूलिंग हो गयी।

आचार्य दीपंकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की तरफ से यह बात कही गई कि वह चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और जनतांत्रिक अधिकार इस विधेयक के द्वारा नीचे के स्तर पर जनता के पास पहुंच जायं। यह जिला परिषद् और क्षेत्रीय समिति विधेयक, पिछली मर्तबा जो थे उस समय भी यह बात कही गयी थी और प्रवर समिति में जब यह विधेयक गया तो वापस नहीं लौटा विधान सभा में। मुझे विश्वास है कि अब की मर्तबा जब विधान सभा विचार करेगी तो यहां का यहीं रहेगा और पास होगा और मैं ऐसी आशा करता हूं कि प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करेंगे और यह प्रवर समिति में ही उलझा रहेगा। यह कभी भी अस्तित्व में न आ सके और इसके अनुसार जनता अपने मत द्वारा अपने प्रतिनिधियों को जिला परिषद् में न भेज सके, मैं समझता हूं कि दो कारणों से यह विधेयक जनतन्त्र का विकेन्द्रीकरण करने में असमर्थ है।

घोषित उद्देश्यों के आधार पर पहली बात तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनता को क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के संगठन से इतनी दूर रख कर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का अवलम्बन करके जनता को जो जनतांत्रिक अधिकार दिये जाने चाहिये थे यह विधेयक नहीं देना चाहता है।

दूसरा कारण यह है कि क्षेत्र समिति का आम तौर पर और जिला परिषद् का खास तौर पर संचालन पूर्णतया अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया गया है और निर्वाचित प्रतिनिधि इसके केवल दर्शक रूप में कार्य करेंगे। सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स अधिकारियों के हाथ में सौंप दी गयी हैं। इस प्रकार से अगर हम यह बात देखें तो यह जो दावा किया जाता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय और नीचे के स्तर पर लोगों को अधिकार दिये जायं ताकि वह मन चाही संस्थाओं का संगठन कर सकें, यह बिलकुल निराधार है।

दूसरी बात यह कही गयी है धारा ४२ के अन्दर कि जिला परिषद् के जितने भी कार्यकर्त्ता हैं, उनकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा नहीं होगी। सम्पूर्ण कार्य मुख्य कार्याधिकारी या दूसरे एग्जीक्यूटिव आफिसर्स के द्वारा किये जायंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन केवल बैठकों में सभापतित्व करने के लिये एक आलंकारिक संस्थान के लिये होगा। जहां तक नगरपालिकाओं का सम्बन्ध है, वहां पर सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स चेयरमैन को दी गयी हैं लेकिन जिला परिषद् विधेयक में इस किस्म की सम्पूर्ण पावर्स जिला परिषद् के अध्यक्ष को न देकर, मुख्य कार्याधिकारी

[आचार्य दीपंकर]

जिसकी नियुक्ति सरकार करेगी उसको दी गयी हैं जबकि उससे जो छोटे इंस्टीट्यूशन्स हैं, संगठन की दृष्टि से भी और आमदनी की दृष्टि से भी, उस छोटी सी नगरपालिका के अध्यक्ष के हाथ में सम्पूर्ण एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और वहां का एग्जीक्यूटिव आफिसर उसी के मातहत काम करता है। यहां पर एग्जीक्यूटिव पावर्स जिला परिषद् के अध्यक्ष को न सौंप कर मुख्य कार्याधिकारी को सौंपी गयी हैं। इससे जनतन्त्र के सिद्धांतों का सबसे बड़ा हनन होगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से धारा ४३ के अनुसार परिषद् के अधिकारियों की नियुक्ति का जब प्रश्न आता है तो मालूम होता है कि जो भी जिला परिषद् के मातहत अधिकारी होंगे उनसे अध्यक्ष को काम नहीं लेना है इसीलिये विधेयक ने स्पष्टतः यह बात कही है कि परिषद् या अध्यक्ष को उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यहां तक कि ४० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति का तथा २०० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति का प्रश्न है, उसे भी मुख्य कार्याधिकारी या विभागीय प्राधिकारी करेंगे। जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद् को उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया है।

माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं और मैं फिर दोबारा मिसाल देना चाहता हूं नगरपालिका के अध्यक्ष की कि जितने कर्मचारी नियुक्त होते हैं नगरपालिका का कार्य करने के लिये, उनकी नियुक्ति का अधिकार अध्यक्ष को होता है और यहां पर जिला परिषद् के अध्यक्ष को वह अधिकार नहीं दिया गया है।

इसी प्रकार से धारा ४३ के उपखंड (४) में यह बात कही गयी है और प्राधिकारी को इतनी शक्ति दी गयी है कि वह आयोग और चुनाव समिति—चुनाव समिति के लिये इस विधेयक में यह बात कही गयी है कि चुनाव समिति चुनाव जिला परिषद् के सदस्यों से मिलकर करेगी जोकि कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिये अपेक्षित हो—उसकी चाहे तो उपेक्षा कर सकता है और किसी कर्मचारी की नियुक्ति करने के पहले यह भी हो सकता है कि वह उनकी मर्जी के बिना और पूछे बिना उनकी नियुक्ति कर ले। इस प्रकार का अधिकार इस बात की ओर इंगित करता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की नियुक्ति और बरखास्तगी करने का अधिकार जिला परिषद् के अध्यक्ष और नीचे के अधिकारियों को नहीं है बल्कि इनकी नियुक्ति और बरखास्तगी का अधिकार प्राधिकारी और मुख्य कार्याधिकारी को है जिसके असर से ये लोग काम करेंगे। जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनकी कीमत उन कर्मचारियों के लिये कुछ भी नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट था उसके अन्दर कलेक्टर को बहुत ज्यादा पावर थी। परन्तु एक मर्तबा पूरे इस विधेयक को पढ़ने के बाद कहीं पर जिला मैजिस्ट्रेट के लिये कोई नुमायां स्थान दिखाई नहीं दिया।

पूरे विधेयक में उसके लिये कोई गुंजायश नहीं रखी गयी है लेकिन क्योंकि यह सरकार जिलाधीश के बिना एक कदम भी चल नहीं सकती है और यह समझती है कि नौकरशाही के द्वारा नियन्त्रण जब तक किसी इंस्टीट्यूशन पर नहीं हो जाता, जब तक किसी इंस्टीट्यूशन को नौकरशाही के ग्रिप से न जकड़ लिया जाय तब तक आगे नहीं चला जा सकता है। इस विधेयक के अन्दर दो जगह जिला मैजिस्ट्रेट को जो ताकत दी गयी है वह इतनी ज्यादा है कि इस पूरे विधेयक में मुख्य कार्याधिकारी और जिला परिषद् के अध्यक्ष को जो ताकत है उन ताकतों को बालायेताक रखकर वह जो चाहे कर सकता है। जिला मैजिस्ट्रेट चाहे तो आपत्तिकाल में तो विशेष रूप से किन्तु आम तौर पर भी जब चाहे विकास कार्य को रोक सकता है, उसमें ब्रेक लगा सकता है और उनकी बगैर इच्छा के कागज भेजने के लिये मजबूर कर सकता है। यहां तक एक बात कही गयी है धारा २२६ में कि जिलाधीश हर तीसरे महीने पूरी प्रगति की रिपोर्ट प्रदेशीय सरकार के पास भेजेगा।

यह कार्य जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा भी हो सकता है और मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त होंगे वह भी विकास रिपोर्ट भेज सकते हैं और जिला परिषद् के दूसरे अधिकारी और कुछ निर्वाचित अधिकारी, जिनको जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जिनके द्वारा जिला परिषद् के अन्तर्गत होने वाली जो विकास योजना है, वह कितनी सफल हुई है, कितनी विफल हुई है, इसका पूर्ण विवरण सरकार के पास तीन महीने के अन्दर नहीं बल्कि दो महीने के अन्दर भेजा जा सकता है। लेकिन यह कार्य इस विधेयक के अनुसार जिलाधीश को करना पड़ेगा। सिर्फ विकास की रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिये जिलाधीश को कहा गया है। जब जिला परिषद् का अध्यक्ष होगा और जिला परिषद् के दूसरे अधिकारी होंगे तो जिला मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार देना, जिला परिषद् की कार्य-प्रणाली के विरुद्ध होगा और उसके ऊपर छा जाना होगा। मैं समझता हूं इस प्रकार का अधिकार जिलाधीश को देना और बिना किसी आवश्यकता के देना, खामख्वाह एक ऐसी संस्था के ऊपर जिसको जनता मिलकर चुनेगी, उसमें कदम-कदम पर हस्तक्षेप का अधिकार हो, बहुत अनुचित है।

इसी प्रकार से इस विधेयक के अन्दर यह अधिकार दिया गया है कि जिलाधीश जब चाहे अध्यक्ष को या मुख्य कार्याधिकारी को या उपाध्यक्ष को जितने भी अधिकार हैं, उनको अपने हाथ में ले ले। इस तरह से मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो मूलभूत आदर्श और घोषणायें हैं, जिनका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया उसके खिलाफ कदम-कदम पर ऐसी कोशिश की गयी है और पूरे विधेयक को पढ़ने से उसकी झलक मिलती है कि थोड़ा-सा अख्तियार सरकार देना चाहती है लेकिन उस को डर महसस होता है कि कहीं उन अख्तियार का दुरुपयोग न हो जाय। अख्तियार बाद में देते हैं लेकिन उसे लेने की कोशिश पहले करते हैं। अगर सरकार ने कहीं अख्तियार देने की कोशिश भी की तो उस के साथ साथ इतने अंकुश और नियन्त्रण में वह परिषद् को कस देना चाहती है कि जिनसे जनता को और परिषद् के सदस्यों को कुछ स्वतंत्रता तो मिल जाय, लेकिन वह उसी तरह से स्वतंत्र रहें जिस प्रकार कि किसी को रस्सी में बांध कर घूमने की आजादी दे दी जाय। और अगर उसके बाद उसके बाहर वह कुछ अधिकार लेना चाहते हैं तो उसके लिये बंदिशें कदम-कदम पर लगायी गयी हैं।

इतना ही नहीं, परिषद् और उसकी समितियों को जो बनाया जाता है कार्य-संचालन के लिये, उनमें भी इस बात की कोशिश की गयी है कि जनता के जो नुमाइंदे परिषद् में चुन कर आये हैं वह उन समितियों में कम से कम रहें। वहां एक कार्य समिति है। इसके अतिरिक्त एक नियोजन समिति है। नियोजन के लिये कौन-कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी जाय, कौन से कार्य को द्वितीय स्थान पर रखा जाय, कौन से कार्य का संचालन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिये, उनकी देखरेख और कार्य के संचालन के लिये एक प्रमुख उपसमिति परिषद् की होती है—नियोजन समिति। देखा जाय कि उस समिति में कौन लोग रहेंगे? इस विधेयक के अनुसार उसमें जिला परिषद् का अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष रहेंगा और मुख्य कार्याधिकारी भी रहेगा, क्योंकि वह तो छूट ही नहीं सकता और इसके अलावा जितने भी जिला स्तर के अधिकारी हैं वे सब इसमें रहेंगे। जिला स्तर के अधिकारी इस विधेयक के अनुसार ९ गिनाये गये हैं और १०वां होगा मुख्य कार्याधिकारी। एक उपाध्यक्ष और दूसरा अध्यक्ष होगा और इसके अलावा जनता की तरफ से चुने हुए जो नुमाइंदे परिषद् में आये हैं उनका कोई भी प्रतिनिधि उस समिति में न होगा। अलावा इसके लोक सभा के, विधान सभा के, राज्य सभा के, विधान परिषद् के जो पदेन सदस्य हैं जिला परिषद् में, वह भी इसमें नहीं होंगे। तो मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि कदम-कदम पर यह कोशिश की जाती है कि जो कुछ भी स्वतंत्रता दी जाय जनता को, उस पर नौकरशाही और अफसरों का किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण रखा जाय।

इतना ही नहीं, आगे चल कर इन समितियों में जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों और विधायकों में से किसी को भी रखने की गुंजाइश इसमें नहीं है। इसके अलावा यह भी सही है कि पिछली मर्तबा जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार विधान सभा

[आचार्य दीपंकर]

या लोक सभा के सदस्य जिला परिषदों में नहीं रह सकते थे, लेकिन अब की मर्तबा यह तरमीम भी की गई है कि इस विधेयक के अनुसार लोक सभा और विधान सभा के सदस्य भी इस जिला परिषद के सदस्य होंगे और वह पदेन सदस्य समझे जायेंगे। इतना तो जरूर है कि जब जिला परिषद् के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न आयेगा उस समय लोक सभा या विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता जिला परिषद के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद के लिये नहीं कर सकेगी। इसी प्रकार इसमें जब धारा १८ के अनुसार जिला परिषद् का संगठन होता है तो जिला परिषद् के संगठन में उसके खंड १ और २ के अनुसार जो सदस्य आते हैं यानी जितने भी गांव पंचायतों के प्रधान आयेंगे और इसके अलावा जो अन्य सदस्य होंगे उनका आधा हिस्सा निर्वाचित होगा। मैं समझता हूं कि यह मांग भी बहुत दिनों से इस पूरी विधान सभा की रही और इसमें बगैर किसी पार्टी का खयाल किये हुए पूरे सदन की यह राय थी कि जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिये। परन्तु इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि धारा १८ के खंड २ और ३ के अनुसार जितने भी सदस्य इन क्षेत्रीय समिति में आयेंगे, उनके आधे से कम निर्वाचित नहीं होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई होगी। तो जहां तक तिहाई सदस्य निर्वाचित हों और शेष मनोनीत किये गये हों, यह बात अनुचित है और उससे सब से ज्यादा अधिकारों का हनन होता है। यदि यही तरीका रहता है तो हम जिला परिषदों को जनता की चुनी हुई जमायत नहीं कह सकेंगे।

इसके अलावा मैं आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय समितियों में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों के प्रतिनिधि रखने की बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि यह सवर्था उचित है। परन्तु जहां यह उचित है कि क्षेत्रीय समितियों में प्रारम्भिक पाठशालाओं के टीचर्स का प्रतिनिधित्व हो, उससे ज्यादा उचित यह है कि प्रत्येक एक हजार अध्यापकों के यूनिट पर उनका एक प्रतिनिधि जिला परिषद् में होना चाहिये। अगर वहां पर उनका प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से न हो पाये, अगर उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से न हो पाये, अगर वहां पर हरिजनों का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व न हो पाये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि उससे जनता का क्या लाभ होगा और सरकार क्यों उनको रखना उचित नहीं समझती। इसके अलावा पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भी अध्यापकों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से रखा जाता था। हमारे यहां एक एक जिले में, जहां पर अध्यापकों की संख्या तीन-तीन और चार-चार हजार तक है, जो लोग इस देश की फाउन्डेशन हैं, अगर वे लोग जिला परिषद् में होंगे तो मैं समझता हूं कि वे ज्यादा अनुभव की बातें बता सकते हैं शिक्षा के सम्बन्ध में। इसके अलावा पाठ्यपुस्तकों के बारे में भी उचित सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी कठिनाइयां शिक्षा के सम्बन्ध में होंगी, वे बता सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि पहली मर्तबा जहां सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा सका था और इस बार उसने क्षेत्रीय समितियों में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि उनको इसमें सम्मिलित किया जाय वहां मैं यह निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। खण्डों के हिसाब से जब पूरे जिले का डिवीजन होगा, उस वक्त ग्राम क्षेत्र के सम्बन्ध में यह निर्णय किया जायगा कि कौन से ग्राम कौन से खंड में सम्मिलित होंगे। मैं इस बारे में अपनी यह दृढ़ राय रखना चाहता हूं कि यह बात कि कौन से ग्राम क्षेत्र, कौन से खंड में या क्षेत्र समिति में, सम्मिलित किये जायं, इसका निबटारा या इसका निर्णय न तो पंचायत राज के सिक्रेटरी के जरिये हो सकता है, न परगने के अधिकारी द्वारा हो सकता है और न जिलाधीश के जरिये होना चाहिये। मेरी यह स्पष्ट राय है कि इसके लिये सरकार को निश्चित रूप से एक परिसीमन आयोग की स्थापना करनी चाहिये और उसके द्वारा यह कार्य होना चाहिये। इस कार्य को उन अधिकारियों के द्वारा कराना उचित नहीं है जो इस ग्रामीण जनता की राय को जानने का भी प्रयास नहीं करते।

क्षेत्रीय समितियां हर क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले ग्रामों के प्रधानों को लेकर संगठित होंगी। जब यह बात आई कि क्षेत्रीय समितियां बहुत बड़ी हो जावेंगी तो मन्त्री जी ने कहा कि हम किस प्रधान को छोड़ें, इसलिये सारे ही प्रधानों को ले लिया है। निर्वाचकों ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों को गांव का इन्तजाम करने के लिये चुना है। पंचायत का चुनाव करते समय निर्वाचकों के दिमाग में यह बात नहीं होती कि उसके द्वारा विकास का कार्य भी कराना है। इसलिये ज्यादा उचित यह होगा कि ५०, ५० या ७०, ७० गांवों के प्रधानों को लेकर क्षेत्रीय समितियां बनाने की अपेक्षा उनके लिये अलग सदस्यों का निर्वाचन हो जन-संख्या के हिसाब से। जो क्षेत्रीय समितियां संगठित हों उनके ऊपर भरोसा किया जाय और ज्यादा से ज्यादा अधिकार इन्हीं समितियों को दिये जावें और इन्हीं के द्वारा विकास और नव-निर्माण का कार्य कराया जाय। इनके ऊपर परगना अधिकारियों का ज्यादा अकुंश लगाना साबित करता है कि गांव के प्रधानों के ऊपर सरकार का विश्वास नहीं है।

मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो सरकार को, मन्त्री जी को, जरा कड़ुवी तो लगेगी लेकिन है बिलकुल सत्य.....

श्री विचित्र नारायण शर्मा—नहीं लगेगी, जरूर कहिये।

आचार्य दीपंकर—मन्त्री जी ने कहा कि वह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं। उनके इस कथन का हम स्वागत करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किसके लिये? सत्ता का विकेन्द्रीकरण छोटी-छोटी रिपब्लिक्स में पहुंचाया जाना चाहिये, लेकिन मुझे खेद है कि इस आदर्श की पूर्ति यह विधेयक नहीं करता है। यह विधेयक जनतन्त्र और जनवादी शक्तियों को विकेन्द्रित न करके प्रादेशिक अधिकारियों के पास जो अपार सत्ता और शक्तियां केन्द्रित हो गयी हैं उनको अपने छुटभइयों को जो जिलों में रहेंगे उन तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन जो शक्ति यहां पर केन्द्रित है उसको वह जनता तक पहुंचाना नहीं चाहती। आप चाहे जिस उप-समिति को देखिये, उसके फंक्शनिंग को देखिये, गति-विधि को देखिये, हर एक में यह बात झलकती है कि उन सब में अधिकारियों का नाजायज कन्ट्रोल है, जो बड़ा आलोचनीय है।

श्रीमन्, मेरा यह बात कहने का आशय बिलकुल नहीं है कि अधिकारियों को अधिकार न दिये जायें या अधिकारियों के अधिकार खत्म कर दिये जायं, मगर जो बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूं वह यह है कि जनता को अधिकार देने के नाम पर अधिकारियों को अधिकार बांटने की यह प्रणाली बन्द होनी चाहिये। इस विधेयक में इसी के ऊपर अमल किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला परिषद् और क्षेत्रीय परिषदों का जो इनर फंक्शनिंग है, उसमें बहुत सी गलतियां हैं। अगर इसका निवारण न किया गया तो निश्चित रूप से यह विधेयक उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में कोसों दूर रहेगा। अनुशासन के सम्बन्ध में भी उसमें बताया गया है कि क्षत्रीय समिति और जिला परिषदों में किस प्रकार से किस को कौन-कौन से कार्य करने हैं तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को कौन-कौन से कर्तव्यों का पालन करना है। इसके सम्बन्ध में कुछ अनुशासन सम्बन्धी बातें इस विधेयक में प्रतिपादित की गयी हैं। मैं यह बात मानता हूं कि किसी विधेयक में किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्यों के कर्तव्यों का वर्णन होना आवश्यक है लेकिन साथ ही साथ यह बात भी नहीं है कि जिस प्रकार से यह झंझट खड़ा किया गया है और जिस तरीके से बार-बार यह बात कही गयी कि मंडलायुक्त और जिलाधीश यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को अपने कर्तव्य का पालन करने में स्खलन करते देखें या ऐसा देखें कि बराबर त्रुटि की जा रही है तो उस परिस्थिति में जिलाधीश अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं और सदस्यों को हटा सकते हैं। अन्य बहुत सी संस्थाओं के पहले नियम बनाये गये हैं तथा म्युनिसिपैलिटी के भी जो नियम हैं उनके अन्दर भी इस बात का प्राविधान है कि अगर कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जब ये

[आचार्य दीपंकर]

कानून बने थे तो उस समय दूसरा ही टाइम था। उस टाइम और आज के टाइम में बहुत बड़ा फर्क है। उस समय भारत पराधीन था और नौकरशाही अपने नौकरों के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करती थी।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कल भाषण जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२९ अगस्त, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

सन् १९५८–५९ व १९५९–६० में जिला बदायूं में जिन प्रार्थना-पत्रों पर कोयले तथा लकड़ी से ईंटा पकाने के लिये अस्थायी लाइसेन्स तथा आज्ञा प्रदान की गई उनका विवरण

वर्ष		प्रार्थना-पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना-पत्र	अस्वीकृत प्रार्थना-पत्र	रिमार्क
१९५८–५९	कोयले से ईंटा पकाने के लिये अस्थायी लाइसेन्स	६	६	..	..
	लकड़ी से ईंटा पकाने के लिये आज्ञा ..	१०	१०	..	स्थायी लाइसेन्स कोई नहीं दिया गया।
१९५९–६०	कोयले से ईंटा पकाने के लिये अस्थायी लाइसेंस	१७	१६	१	..
	लकड़ी से ईंटा पकाने के लिये आज्ञा ..	१६	१०	२	४ प्रार्थना-पत्रों के विषय में जांच होरही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४१ एल० ए० १९६०—८४५।